

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021

तारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले में प्रदूषण उत्सर्जित उद्योगों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 1379) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कौन-कौन से उद्योग/संयंत्र प्रदूषण उत्सर्जन प्रवृत्ति की श्रेणी में है? (ख) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किन-किन उद्योगों/संयंत्रों की पर्यावरणीय नियमों के पालन करने संबंधी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गयी? जांच में किन-किन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया? (ग) प्रश्नांक "ख" अनुसार उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या प्रावधान है? प्रावधान के अनुरूप उद्योगों/संयंत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "एक" के अनुसार है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग/संयंत्रों के पर्यावरणीय नियमों के पालन के संबंधी जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "दो" के अनुसार है. जिन उद्योगों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन होना पाया गया, उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "तीन" के अनुसार है. (ग) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने, नोटिस के उपरांत अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने पर उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन करारये जाने, सक्षम न्यायालय में परिवार प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है. प्रश्नाधीन अवधि में उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" के स्तंभ क्रमांक 03 में दर्शित है.

गारे-पेलमा (3) खदान से कोयला उत्खनन एवं परिवहन

2. (*क्र. 839) **डॉ. रमन सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गारे पेलमा (3) खदान से किस प्रकार कोयला उत्खनन का कार्य विद्युत मंडल द्वारा कराया जा रहा है? (ख) कोयला परिवहनकर्ता ठेकेदार कौन है? (ग) परिवहनकर्ता ठेकेदार को कोयला परिवहन हेतु निविदा कब स्वीकृत की गई थी तथा कोयला परिवहन की कितनी मात्रा निर्धारित की गई थी? (घ) निविदाकार को निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिवहन कार्य हेतु कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में परिवहन का कार्य विस्तारित किया गया तथा परिवहन अवधि में वृद्धि कर, उसी ठेकेदार को परिवहन का कार्य देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गारे पेलमा सेक्टर-3 खदान का आवंटन कोयला मंत्रालय, भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को वेस्टिंग आईएर दिनांक 14-09-2015 द्वारा आवंटित किया गया. खदान के विकास एवं संचालन हेतु प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गईं. तदोपरांत न्यूनतम दरों पर चयनित माईन डेवलपर कम आपरेटर से 16-11-2017 को कोल माईन सर्विस एग्जीमेंट संपादित करने के उपरांत कोयला उत्खनन का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलियरीज लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है. (ख) कोयला खदान से निर्दिष्ट रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन का ठेका मेसर्स जय अम्बे रोड लाइन्स, रायपुर को माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलियरीज लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किया गया है. इस ठेके का अनुबंध माईन डेवलपर कम आपरेटर मेसर्स गारे पेलमा-III कोलियरीज लिमिटेड एवं मेसर्स जय अम्बे रोड लाइन्स, रायपुर के मध्य निष्पादित किया गया. (ग) परिवहनकर्ता ठेकेदार को कोयला परिवहन हेतु निविदा दिनांक 01-01-2020 को स्वीकृत की गई थी तथा मेसर्स गारे पेलमा-III कोलियरीज लिमिटेड को न्यूनतम निविदाकार के साथ आशय पत्र एवं अनुबंध निष्पादन हेतु सूचित किया गया था इसमें 5 लाख टन कोयले की मात्रा निर्धारित थी. (घ) खदान में एकत्रित कोयले को आग लगने से बचाने के लिये तथा 2x500 मेगावाट अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा को आवश्यक कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु परिवहन कर्ता ठेकेदार को दिनांक 29-08-2020 को 3 लाख टन, दिनांक 13-10-2020 को 2 लाख टन एवं दिनांक 28-11-2020 को 3.6 लाख टन अतिरिक्त मात्रा का परिवहन, दरें नेगोशियेट कर न्यून दरों पर कराया गया.

जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात कर उसकी घोषणाएं पूर्ण करने संबंधी

3. (*क्र. 1802) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा बजट सत्र 2019 को अभिभाषण में जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात करने का उल्लेख किया गया था? (ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितनी घोषणाएं की गई थी? (ग) कितनी घोषणाएं पूर्ण हो गई है व कितनी घोषणा अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जाएगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. (ख) छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष निर्धारित करते हुए जनघोषणा पत्र जारी किया था. (ग) कुल घोषणाओं में 14 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी है, तथा 22 घोषणाएं अपूर्ण है. अपूर्ण घोषणाओं के पूर्ण होने का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वन सुरक्षा समिति को स्वीकृत राशि

4. (*क्र. 524) **डॉ. लक्ष्मी धुव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वि. खं. नगरी एवं मगरलोड में स्थित वन परिक्षेत्रों के ग्रामों में वन सुरक्षा समिति में 01-01-2019 से जनवरी, 2021 तक कितनी-कितनी राशि जमा एवं खर्च की गई तथा विभिन्न मदों एवं कैम्पा मद से केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2019 से 01 जनवरी, 2021 तक कौन-कौन से कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब एवं कहाँ-कहाँ के लिए स्वीकृत की गई है? (ख) उक्त कार्यों की मदवार, वर्षवार, स्वीकृत एवं खर्च की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड नगरी एवं मगरलोड के वन परिक्षेत्रों की वन प्रबंधन समितियों में 01-01-2019 से जनवरी 2021 तक वर्षवार जमा राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :- (रु. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड	परिक्षेत्र	समितियों की संख्या जिनमें राशि जमा/व्यय की गई	जनवरी से दिसम्बर 2019		जनवरी से दिसम्बर 2020		जनवरी, 2021	
				जमा	व्यय	जमा	व्यय	जमा	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मगरलोड	उत्तर सिंगपुर	13	7.12	7.78	26.07	10.76	0.00	0.19
		दक्षिण सिंगपुर	19	1.75	12.14	2.07	8.83	0.00	0.00
2.	नगरी	नगरी	26	4.66	14.37	7.52	19.03	0.00	0.00
		केरेगांव	38	9.98	14.43	41.70	34.81	11.26	0.07
		दुगली	9	1.23	60.62	1.75	41.13	0.00	0.00
		बिरगुड़ी	20	15.46	11.80	5.40	9.79	1.90	0.00
		संकरा	5	0.00	3.75	0.00	1.73	0.00	0.15
योग			130	40.20	124.89	84.51	126.08	13.16	0.41

वर्ष अंतर्गत जमा राशि से अतिरिक्त राशि का व्यय पूर्व वर्षों की जमा राशि से किया गया है. जनवरी, 2019 से 01 जनवरी, 2021 तक विभिन्न मदों में स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, स्वीकृत दिनांक एवं कार्य स्थल की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-1, 2 एवं 3” में दर्शित है. (ख) उक्त कार्यों हेतु मदवार, वर्षवार स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-1, 2 एवं 3” में दर्शित है.

बस्तर के युवाओं और बेरोजगारों हेतु कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन

5. (*क्र. 1584) श्री मोहन मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बस्तर के युवाओं और बेरोजगारों के लिए बस्तर में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? (ख) कंडिका 'क' के अनुसार क्या कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन कर लिया गया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो किन कारणों से गठन नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां, दिनांक 30-05-2019 को. (ख) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04-09-2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में सड़क किनारे वृक्षारोपण पर व्यय राशि

6. (*क्र. 1778) श्री अरुण चोरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सड़क किनारे वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस मद/योजना में स्वीकृत की गई? (ख) कुल कितने-कितने पौधे का रोपण किया जाना था तथा कुल कितने-कितने पौधे रोपित किए गए तथा कुल कितनी राशि व्यय की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

राज्य में संचालित ताप विद्युत संयंत्र एवं उत्पादित विद्युत

7. (*क्र. 99) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कहां-कहां पर कितनी क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक में कितने मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है? प्रतिमाह कितना उत्पादन हुआ है, और कितने कोयले की खपत हुई है? (ग) उपरोक्त कोयले की आपूर्ति किस एजेंसी से हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के संचालित ताप विद्युत संयंत्रों के नाम, स्थान एवं उनकी क्षमता की जानकारी निम्नानुसार है :-

संयंत्रों के नाम	स्थान	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	कोरबा शहर, जिला - कोरबा	इकाई 01 - 250 इकाई 02 - 250 कुल - 500
हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	ग्राम - दर्फी, जिला - कोरबा	ईकाई 01 - 210 ईकाई 02 - 210 ईकाई 03 - 210 ईकाई 04 - 210 कुल - 840
कोरबा पश्चिम विस्तार	ग्राम - दर्फी, जिला - कोरबा	ईकाई 01 - 500 कुल - 500
अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा	ग्राम- मड़वा-तेंदुमाठा, जिला -जांजगीर-चापा	इकाई 01 - 500 इकाई 02 - 500 कुल - 1000

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में 18212.34 मिलियन यूनिट एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में 15609.15 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ. प्रतिमाह विद्युत उत्पादन एवं कोयले की खपत नीचे तालिका में दर्शित है.

माह (1)	वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2020-21	
	उत्पादन (मिलियन यूनिट) (2)	कोयला खपत (मैट्रिक टन) (3)	उत्पादन (मिलियन यूनिट) (4)	कोयला खपत (मैट्रिक टन) (5)
अप्रैल	1628.745	1132003	1542.352	1146988
मई	1461.025	1062251	1559.848	1223391
जून	1554.875	1123354	1493.056	1117772
जुलाई	1789.973	1227453	1700.296	1288481
अगस्त	1684.418	1163307	1686.319	1277704
सितम्बर	1471.235	1010743	1556.600	1095631
अक्टूबर	1407.611	1038022	1531.638	1131953
नवम्बर	1366.109	1024370	1585.561	1154478
दिसम्बर	1699.098	1292952	1590.263	1152348
जनवरी	1461.016	1100086	1363.221	966316
फरवरी	1265.951	908080	-	-
मार्च	1422.286	1024538	-	-
कुल	18212.34	13107159	15609.15	11555062

(ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति एस.ई.सी.एल. द्वारा की जाती है. प्रश्नाधीन अवधि में केवल अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा में कोयले की आशिक आपूर्ति एस.ई.सी.एल. के अतिरिक्त जनरेशन कंपनी को आबटित कोल ब्लॉक-गारे पेलमा सेक्टर-3 खदान से भी की गई है.

मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत नरवा विकास योजना के तहत व्यय राशि

8. (*क्र. 53) **श्री गुलाब कमरो** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत जनवरी, 2019 से 27-01-2021 तक नरवा विकास योजना के तहत कितने नालों का उपचार किया गया तथा इस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है, तथा किन-किन नालों के उपचार में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? (ख) उपचार किये नालों का नाम, स्थल एवं उपचार हेतु किये गये कार्य तथा कार्यवार व्यय राशि की जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत जनवरी 2019 से 27-01-2021 तक नरवा विकास योजना के तहत 43 नालों का उपचार किया गया है. इस मद में राशि रु. 1887.220 लाख प्राप्त हुई. व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बस्तर संभागांतर्गत पर्यटन स्थलों का रख-रखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

9. (*क्र. 1830) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागांतर्गत कौन-कौन से पर्यटन स्थल विभाग के नियंत्रणाधीन हैं? (ख) इन स्थलों के रख-रखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने विगत 02 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभागांतर्गत तिरथगढ़ जलप्रपात, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा, दण्डक गुफा एवं कांगेर

धारा, लामनी पार्क, आसना पार्क, बेतझरना, फूलोवाली पहाड़ी, तुगल बांध, गमनातराई, नेसलसनार, टाटामारी पर्यटन स्थल है जो विभाग के नियंत्रणाधीन है. (ख) इन स्थलों के रखरखाव एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विगत 02 वर्षों में राशि रुपये 858.53 लाख का व्यय किया गया है.

जिला महासमुंद सामान्य वन मण्डल में “लैण्डाना उन्मूलन” कार्यक्रम के तहत व्यय राशि

10. (*क्र. 1461) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य वन मण्डल महासमुन्द, जिला महासमुन्द अंतर्गत “लैण्डाना उन्मूलन कार्यक्रम” अंतर्गत माह अप्रैल 2018 से माह मार्च, 2021 तक कितनी राशि प्रावधानित की गई थी? परिक्षेत्र अनुसार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश “क” में प्रावधानित राशि से कितनी राशि उक्त कार्य हेतु व्यय की गई है, परिक्षेत्र एवं परिक्षेत्र के कक्ष अनुसार जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश “क” के अनुसार “लैण्डाना उन्मूलन” में कार्य एवं व्यय राशि में अनियमितता की शिकायत की गई है? यदि हां, तो जांच कार्यवाही का परिणाम क्या रहा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सामान्य वन मण्डल महासमुन्द, जिला महासमुन्द अंतर्गत लेण्डाना उन्मूलन कार्य हेतु माह अप्रैल 2018 से माह मार्च 2021 तक वन परिक्षेत्र बागबाहरा हेतु रु. 99.48 लाख का प्रावधान है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर शहर अंतर्गत बिजली के रखरखाव के संपादित कार्य

11. (*क्र. 182) श्री शैलेश पाण्डे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर शहर के लिये बिजली के रखरखाव के लिये विगत 2 वित्तीय वर्षों में बजट में कितनी राशि का प्रावधान था? (ख) विगत 2 वर्षों में रखरखाव के क्या-क्या कार्य किये गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर शहर के विद्युत लाईनों ट्रांसफार्मर एवं सब स्टेशन के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विगत दो वर्षों में प्रावधानित राशि निम्न तालिका अनुसार है :-

कंपनी का नाम	वर्ष वार प्रावधानित राशि (रुपये लाख में)		कुल राशि (रुपये लाख में)
	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	154.41		
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	899.50	1082.92	1982.42
कुल राशि	1053.91		

(ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में विद्युत के रखरखाव के लिये किये गये कार्य की जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर में निरंतर विद्युत प्रदाय बनाये रखने के लिए उपरोक्त के अलावा आंधी तुफान एवं बरसात के कारण टूटे खंभों को बदलने, टूटे तारों को जोड़कर पुनः खींचने, वितरण ट्रांसफार्मर के नये केबल बदलने एवं ब्रीदर के सिलिका-जेल बदलने का कार्य किया गया है.

जिला जांजगीर चाम्पा में संचालित रेत खदानें

12. (*क्र. 1769) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा की किस-किस नदी पर कहाँ-कहाँ पर शासकीय रेत खनन घाट संचालित हैं, विकासखण्डवार बतावें? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत संचालित रेत खनन घाट पर रेत का प्रति घनमीटर शासकीय दर क्या है? एवं शासकीय दर से अधिक दर पर रायल्टी वसूली हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में किसी भी नदी पर शासकीय रेत खदान स्वीकृत नहीं है, अपितु निविदा के माध्यम से 26 रेत खदानें आवंटित कर संचालित हैं। विकासखण्डवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत संचालित रेत उत्खननपट्टा में रेत का शासकीय दर 173.60/- प्रति घनमीटर है। रेत खदान में शासकीय दर से अधिक रायल्टी वसूल करने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है।

बस्तर जिले में संचालित गौण खनिज गिट्टी खदानों में उत्खनन

13. (*क्र. 1838) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 05-2-21 तक बस्तर जिले में संचालित किन-किन गौण खनिज गिट्टी की खदानों से कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया? खदान संचालक द्वारा कितनी रायल्टी राशि जमा की गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बस्तर जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-2021 की स्थिति में गौण खनिज गिट्टी खदानों से प्राप्त उत्खनन मात्रा एवं खदान संचालकों से प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	गौण खनिजों का नाम	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		उत्खनन मात्रा (घ.मी. में)	रायल्टी राशि (रुपये में)	उत्खनन मात्रा (घ.मी. में)	रायल्टी राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	साधारण पत्थर	217404.94	14535925	55643	10853521
2.	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	484726.24	61111432	335153.8	54126173
योग		702131.18	75647357	390796.8	64979694

नई राजधानी निर्माण हेतु किया गया शिलान्यास

14. (*क्र. 1253) श्री धनेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजधानी निर्माण हेतु शिलान्यास कब किसके द्वारा किया गया था? (ख) जिस भूमि पर शिलान्यास किया गया था क्या उक्त भूमि को नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी संस्थान को बिक्री कर हस्तांतरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब हस्तांतरण किया गया है? (ग) छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन द्वारा उक्त शिलान्यास की गई भूमि को वापस लेकर सुरक्षित करने एवं सौन्दर्यीकरण करने हेतु क्या-क्या प्रयास कब-कब किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजधानी निर्माण हेतु शिलान्यास दिनांक 08-03-2003 को श्रीमती सोनिया गांधी जी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के द्वारा किया गया था। (ख) शिलान्यास स्थल की भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। अपितु उक्त भूखण्ड वर्तमान में आई.आई.एम. को शर्तों के तहत आवंटन एवं कब्जे में दिये गये 200 एकड़ भूखण्ड का हिस्सा है, जिसके ले-आऊट में उक्त भूखण्ड “स्थापित स्मारक” के रूप में चिह्नित है। उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 9-11-2011 को आई.आई.एम. को प्रदान किया गया है। (ग) प्रश्नाधीन भूमि को शासन द्वारा वापस लेने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्थल की सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य वर्ष 2015-16 तक नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यानिकी विभाग, कार्यालय रायपुर के माध्यम से कराया गया। इसके उपरान्त शिलान्यास का रखरखाव दिनांक 30-09-2018 तक उद्यानिकी विभाग द्वारा आई. आई. एम. के सहयोग से किया गया। दिनांक 01-10-2018 से रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य आई.आई.एम. द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश में सौर उज्ज्वला योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन का प्रदाय

15. (*क्र. 1757) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौर उज्ज्वला योजना के तहत 31-01-2021 तक प्रदेश में कितने किसानों को सोलर पंप कनेक्शन दिया गया है? (ख) इसमें कितने कनेक्शन चालू हालत में है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सौर सुजला योजना (सौर उज्ज्वला योजना नहीं) अंतर्गत दिनांक 31-01-2021 तक प्रदेश के किसानों को 77 हजार 867 सोलर पंप कनेक्शन दिया गया है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित सोलर पंप में से 73 हजार 372 सोलर पंप चालू है.

प्रदेश में I.P.D.S. योजना के कार्यों की स्थिति

16. (*क्र. 1478) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ की पॉवर कंपनी द्वारा I.P.D.S (intergrated power development scheme) योजना के तहत कुल कितने कि.मी. लाईन विस्तार, नवीन ट्रांसफार्मर एवं मीटर शिपिंग हेतु निविदा जारी की गई? निर्माण एजेंसी का नाम बतावें? निर्माण प्रारंभ करने की तिथि एवं पूरा करने की अवधि क्या है? (ख) प्रश्नांश “क” के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं कितने किन कारणों से अपूर्ण है? (ग) क्या निर्माण कार्य समय पर पूर्ण कर दिए गए या नहीं? यदि नहीं, तो निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा I.P.D.S. (intergrated power development scheme) योजना के अंतर्गत 33 के.व्ही के 225.89 किलोमीटर, 11 के.व्ही के 758.08 किलोमीटर एवं निम्नदाब के 120.55 किलोमीटर, विद्युत लाईनों के विस्तार सहित 33/11 के.व्ही. के 32 तथा 11/0.4 के.व्ही. के 1,678 नये ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 1,04,628 मीटर शिपिंग के कार्य हेतु निविदा जारी की गई थी. निर्माण एजेंसी के नाम, निर्माण प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” के स्वीकृत कार्यों में से 33 के.व्ही. लाईन के 204.65 किलोमीटर, 11 के.व्ही. लाईन के 603.38 किलोमीटर एवं निम्नदाब लाईन के 47.05 किलोमीटर, लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त 1389 नये ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य एवं 86,494 मीटर शिपिंग के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं. शेष कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने का प्रयास है. प्रदेश में कोरोना महामारी (कोविड-19) के कारण लागू लॉकडाउन एवं आई.पी.डी.एस. शहरों में रोकथाम क्षेत्र (कंटेन्टमेंट जोन) बनाए जाने के कारण 33 के.व्ही के 21.82 किलोमीटर, 11 के.व्ही के 154.7 किलोमीटर एवं निम्नदाब के 73.5 किलोमीटर, विद्युत लाईनों के विस्तार सहित 11/0.4 के.व्ही. के 289 नये ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 18,134 मीटर शिपिंग के कार्य प्रभावित हुये हैं जो वर्तमान में प्रगति पर है. (ग) जी नहीं. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले निर्माण एजेंसी की समीक्षा उपरांत जिन कायदेशियों में समय विस्तार हेतु पात्रता नहीं थी उन पर निविदा की शर्तों के अनुसार राशि रुपये 2 करोड़ 58 लाख 96 हजार एवं 77 की पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है.

जल जीवन मिशन योजना के ई.ओ.आई. का निरस्तीकरण

17. (*क्र. 1813) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में ई.ओ.आई. को कैबिनेट के द्वारा निरस्त किया गया था? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या इस योजना के अंतर्गत विलेज प्लान व जिला प्लान की स्वीकृति के बिना केंद्र शासन को प्रस्ताव भेजा गया था? (ग) केन्द्र सरकार से क्या निविदा के संबंध में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो कब व क्या अनुरोध किया गया था तथा केन्द्र सरकार से क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं? उक्तानुसार अनुरोध क्यों किया गया था?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जी हाँ. मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर ई.ओ.आई. निरस्त किये गये हैं. (ख) जी हाँ. जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार विलेज प्लान व जिला प्लान की स्वीकृति ग्राम एवं जिला स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन किया जाना था परन्तु कोविड-19 के कारण राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार कर केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन राज्य जल एवं स्वच्छता समिति (कार्यकारिणी समिति) एवं राज्य जल एवं स्वच्छता समिति (शीर्ष समिति) द्वारा अनुमोदन दिया गया है. (ग) जी हाँ. केन्द्र सरकार से जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर नल कनेक्शन प्रदाय की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था. पत्र दिनांक 27-11-2020 से मार्गदर्शिका की “एकीकृत रेट कान्ट्रेक्ट” की शर्त की अनिवार्यता समाप्त करते हुए जिला स्तर पर, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से समूह में निविदाएं आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ राज्य के शेष 39.82 लाख परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत अनुरोध किया गया था. माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11 दिसंबर 2020 द्वारा उल्लेख किया गया कि

राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाने, अनुमोदन करने और कार्यान्वयन करने का अधिकार है, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत की जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। विशेष परिस्थितियों और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को सामान्य वित्तीय नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निविदा प्रक्रिया हेतु निबंधन एवं शर्तें तैयार करने का अधिकार है। राज्य के बस्तर जैसे दुर्गम, घने वनाच्छादित क्षेत्र जो कि, आदिवासी बाहुल्य एवं अतिसंवेदनशील होने के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से भी प्रभावित है, वहीं राज्य का उत्तरी भाग सरगुजा क्षेत्र है जो पहुंच विहिन घने वनों एवं पहाड़ों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ राज्य मूलतः आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जिसका रहन-सहन अन्य राज्यों की तुलना में भिन्न है। जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में एकीकृत निविदा प्रणाली के माध्यम से रेट कान्ट्रेक्ट करने का सिद्धान्त, राज्यों की आंतरिक भौगोलिक स्थिति में अत्यंत भिन्नता होने के कारण पूर्णतः अव्यवहारिक होने के कारण केन्द्र सरकार से मार्गदर्शिका की 'एकीकृत रेट कान्ट्रेक्ट' की शर्त की अनिवार्यता समाप्त करते हुए जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से समूह में निविदा आमंत्रित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सीमेंट उद्योगों को प्रदाय खनिज लीज

18. (*क्र. 1834) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट उद्योगों को कब-कब, कहाँ-कहाँ कितने रकबे की खनिज लीज, कितने-कितने समय के लिए प्रदाय की गई है? (ख) उक्त लीज प्रदान करने की शर्तें क्या हैं? (ग) वर्ष 2020 में किन-किन संयंत्रों के विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है? शिकायतों पर शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्थापित सीमेंट उद्योगों को स्वीकृत खनिज चूनापत्थर का खनिजपट्टा स्वीकृति दिनांक, स्थान, रकबे एवं स्वीकृत अवधि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) उक्त लीज खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के शर्तों के तहत स्वीकृत किया गया है। (ग) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सभी सीमेंट उद्योगों को स्वीकृत खनिजपट्टों में अनियमितता के संबंध में श्री बसंत आडिल, सदस्य जिला पंचायत द्वारा दिनांक 08-01-2020 को शिकायत प्रेषित किया गया है, जिसकी जांच आईबीएम, खनिज विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया। जांच में संयंत्रों के द्वारा पर्यावरण नियमों एवं खनिज नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया।

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर तथा वनमण्डल (सा.उ.) में कैम्पा मद से स्वीकृत राशि

19. (*क्र. 609) **श्री विक्रम मण्डावी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीजापुर जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कैम्पा मद से इन्द्रावती टाइगर रिजर्व तथा वनमण्डल (सा./उ.) में कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई ? (ख) बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कैम्पा मद से कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ग) कितने कार्य पूर्ण तथा अपूर्ण हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बीजापुर जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कैम्पा मद से इन्द्रावती टाइगर रिजर्व तथा बीजापुर वनमण्डल (सामान्य वनमण्डल) में स्वीकृत कार्य संख्या की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्षवार कार्य संख्या		
		2019-20	2020-21	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	174	264	438
	बीजापुर वनमण्डल (सामान्य)	130	117	247
योग		304	381	685

(ख) बीजापुर जिले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कैम्पा मद से स्वीकृत राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्षवार स्वीकृत राशि (रु. लाख में)			योग
		2018-19	2019-20	2020-21	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	1709.021	1319.082	1709.962	4738.065
	बीजापुर वनमण्डल (सामान्य)	1290.352	1229.068	1477.459	3996.879
	योग	2999.373	2548.150	3187.421	8734.944

(ग) प्रश्नांश "ग" की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति	
			पूर्ण	अपूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	2018-19	145	23
		2019-20	140	34
		2020-21	227	37
	योग		512	94
	बीजापुर वनमण्डल (सामान्य)	2018-19	66	36
		2019-20	85	45
		2020-21	91	26
	योग		242	107
	कुल योग		754	201

लेन्टाना उन्मूलन का श्रमिकों को भुगतान

20. (*क्र. 1729) डॉ. प्रीतम राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर वन मंडल में माह जून, 2020 से जनवरी, 2021 तक कैम्पा से कितनी राशि का लेन्टाना उन्मूलन कराया गया? (ख) क्या श्रमिकों को बैंक के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान किया गया? (ग) यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बलरामपुर वन मंडल में माह जून, 2020 से जनवरी, 2021 तक कैम्पा मद से राशि रु. 439.068 लाख का लेन्टाना उन्मूलन कार्य कराया गया है. (ख) श्रमिकों को बैंक खाता के माध्यम से तथा नगद भुगतान भी किया गया है. (ग) निवास ग्राम से 5 कि.मी. की सीमा में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले श्रमिकों, कैम्पिंग श्रमिकों एवं बैंक खाता धारण नहीं करने वाले श्रमिकों को नगद भुगतान नियमानुसार किया गया है.

जिला गरियाबंद के विलेज प्लान की स्वीकृति

21. (*क्र. 1806) श्री डमरूधर पुजारी : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों से विलेज प्लान किन-किन तारीख को स्वीकृत किए गए हैं तथा इन्हें जिला स्तर पर

कब स्वीकृति प्रदान की गई है ? जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु समिति में कौन-कौन सदस्य है ? (ख) क्या यह सही है, कि विलेज प्लान की स्वीकृति के केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया था? यदि हां, तो किन नियमों के अधीन भेजा गया उसमें दोषी कौन है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उक्तानुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 05-2-21 तक क्या-क्या कार्य करवाए गए हैं और उसमें कितनी राशि का भुगतान किया गया है कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) गरियाबंद जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 336 ग्राम पंचायतों के कुल 666 ग्रामों के विलेज प्लान (ग्राम कार्य योजना) के अनुमोदन की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” में दर्शित अनुसार है. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन गरियाबंद द्वारा जिला कार्ययोजना का अनुमोदन दिनांक 04-01-2021 को किया गया. जिला स्तर पर अनुमोदन हेतु गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन गरियाबंद में सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” में दर्शित अनुसार है. (ख) जी नहीं. राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया था जिसका राज्य जल स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी समिति एवं शीर्ष समिति से अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 05-02-2021 तक कराये गये कार्यों, भुगतान की गई राशि एवं भुगतान किया जाना शेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान की राशि (रु. लाख में)	शेष राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (वर्तमान में जल जीवन मिशन में समाहित) के अंतर्गत प्रगतिरत नलजल प्रदाय योजनाओं में	85.32	—
2.	सोलर पंप स्थापना	1212.10	121.21
3.	जल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्य में	9.88	—
योग		1307.30	121.21

प्रदेश में भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की लंबित विभागीय जांच

22. (*क्र. 983) **श्री सन्तराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों की विभागीय जांच लंबित है? (ख) लंबित होने का क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

अनुपम नगर गृह निर्माण समिति रायपुर का स्वीकृति अभिन्यास

23. (*क्र. 62) **श्री कुलदीप जुनेजा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुपम नगर गृह निर्माण समिति के स्वीकृत अभिन्यास में N ब्लाक स्वीकृत है?(ख) यदि है, तो क्या इसका निर्माण स्वीकृत अभिन्यास में उल्लेखित उद्यान भूमि पर किया गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार यदि समिति के स्वीकृत अभिन्यास N ब्लाक की निर्माण की स्वीकृति नहीं है, तो नियमों के विपरीत उद्यान भूमि पर इसका निर्माण होने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही नहीं हुई तो इस हेतु जिम्मेदार कौन है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. (ख) अनुपम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में एन ब्लॉक के स्थान पर पार्क एवं स्कूल स्वीकृत था अभिन्यास में संशोधन के पश्चात् उद्यान की भूमि पर एन ब्लॉक में भूखण्ड क्रमांक 01 से 08 तक एवं स्कूल/प्लेग्राउण्ड की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

धमतरी विकासखण्ड में विद्युत बिल, विद्युत मीटर तथा थ्री फेस की टेस्टिंग

24. (*क्र. 1753) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत वितरण केन्द्र धमतरी में 01 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अधिक विद्युत बिल की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया? कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित होने के कारण बतावें? (ख) विद्युत मीटर की गारंटी कितने सालों की तथा कितने रिडिंग तक की रहती है? क्या गारंटी खत्म होने के बाद उक्त मीटर को किसी अन्य स्थान में लगाया जा सकता है? यदि नहीं तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या थ्री फेस मीटर को कंपनी नियमानुसार समय-समय पर टेस्ट किया जाना निर्धारित है? यदि हां, तो विगत 01 वर्ष में कुल कितने थ्री फेस मीटर कनेक्शन का टेस्ट किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत धमतरी वितरण केन्द्र में प्रश्नाधीन अवधि में 323 उपभोक्ताओं द्वारा अधिक विद्युत बिल की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से सभी 323 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। वर्तमान में अधिक विद्युत बिल सुधार के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय करते समय विभिन्न श्रेणी के मीटर हेतु गारंटी अवधि निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्रमांक	मीटर के प्रकार	गारंटी अवधि
1.	सिंगल फेस	5 वर्ष 6 माह
2.	थ्री फेस	
3.	सी.टी. मीटर	2 वर्ष 6 माह
4.	एच.टी. ट्राईवेक्टर	

गारंटी हेतु रिडिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। गारंटी अवधि पश्चात् भी मीटर सही पाये जाने पर किसी उपभोक्ता के परिसर से निकाले गये मीटर को आवश्यकतानुसार अन्य उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किया जा सकता है। (ग) जी हां, निम्नदाब थ्री फेस मीटर को प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार एवं उच्चदाब/अतिउच्चदाब थ्री फेस मीटर को 01 वर्ष में एक बार टेस्ट किये जाने का प्रावधान है। धमतरी वितरण केन्द्र में विगत 01 वर्ष में निम्नदाब थ्री फेस के कुल 55 तथा उच्चदाब के 18 कुल 73 मीटर टेस्ट किये गये।

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल हेतु संचालित योजनाएं

25. (*क्र. 1659) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांक "क" की योजनाओं में वर्ष 2018-19 से जनवरी, 2021 तक केंद्र पोषित एवं राज्य की योजनाओं में कुल कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक "क" की अवधि में पुराने हैडपंपों के रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से 01-04-2019 से पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं 01-04-2019 के पश्चात् इसे जल जीवन मिशन में समाहित किया गया। वर्तमान में जल जीवन मिशन संचालित की जा रही है। राज्य सरकार के विभिन्न मदों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु संचालित योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

1. ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना.
2. नगरीय जल प्रदाय योजना.
3. बसाहटों में नलकूप खनन.
4. नगरीय निकायों में नलकूप खनन.
5. आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में रनिंगवाटर से पेयजल योजना.
6. सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना.
7. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आई.आर.पी./एफ.आर.पी. लगाना.

8. गौठानों में पेयजल व्यवस्था
9. संचालन एवं संधारण योजनाएं :-
 - I. हैण्डपम्प संधारण कार्य.
 - II. नल जल/स्थल जल योजनाओं के संचालन हेतु पंचायत को अनुदान
 - III. आई.आर.पी./एफ.आर.पी. संचालन-संधारण कार्य.

(ख) राशि का आवंटन विधानसभा क्षेत्र के लिये नहीं किया जाता अपितु जिलेवार किये जाते हैं. प्रश्नांश "क" की योजनाओं में वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक केन्द्र पोषित एवं राज्य की योजनाओं से जिले को प्राप्त कुल राशि तथा संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में किये गये व्यय राशि की कार्यवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जनवरी 2021 तक क्रमशः रुपये 41.66 लाख, रुपये 38.77 लाख एवं रुपये 28.93 लाख का व्यय विधानसभा क्षेत्र संजारी बालोद में पुराने हैण्डपम्पों के रख रखाव हेतु की गई है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बालको कैसर हास्पिटल द्वारा किया गया ईलाज

1. (क्र. 92) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालको कैसर हॉस्पिटल को सेक्टर-33 नया रायपुर में फिन शर्तो के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई ? (ख) उपरोक्त हॉस्पिटल द्वारा वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कितने मरीजों का मुफ्त और रियायती दर पर ईलाज कराया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सेक्टर-33 नहीं अपितु, नवा रायपुर, अटल नगर के सेक्टर 36 में वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन को छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत, प्रचलित प्रीमियम दर एवं नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक अदायगी व देय शास्ति के मुग्तान की शर्त पर भूमि उपलब्ध कराई गयी है. (ख) स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में 1977 एवं वर्ष 2020 में 2326 मरीजों को उपचार सुविधा प्रदान की गई तथा 1227 मरीजों की मुफ्त कैसर स्क्रिनिंग की गई है.

जांजगीर जिला के बलौदा विकासखण्ड में पुराने तार के बदले केबल स्थापना

2. (क्र. 100) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में किस-किस गांव में किस-किस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी लागत से बिजली के केबल और नवीन ट्रांसफार्मर वर्ष 2020 में और 2021 में दिनांक 26-01-2021 तक स्थापित किये गये, और कहा-कहां प्रस्तावित है ? (ख) जहां केबल तार बदले/हटाये गये हैं वहां से कितने वजन के कितने पुराने तार निकाले गये हैं और कहा पर जमा किये गये या किसको बेचे गये हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड बलौदा जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम जावलपुर में 132/33 के व्ही. अति उच्चदाब का एक नया उपकेन्द्र निर्माण हेतु राशि रुपये 39.18 करोड़ का प्रावकलन स्वीकृत है. उपकेन्द्र निर्माण के लिए निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. प्रश्नावधि में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा एल.टी. कंडक्टर से ए.बी. केबल बदलने के कार्य के स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यों का वर्षवार, योजनावार एवं लागत राशि की ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. प्रश्नाधीन अवधि में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्डवार के अंतर्गत ट्रांसफार्मर के स्वीकृत पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ख) प्रश्नावधि में आई.पी.डी.एस. योजनांतर्गत कुल 7.75 टन पुराने तार निकाले गये हैं जिसे विभाग के क्षेत्रीय भण्डार में वापस कर दिया गया है. इसी प्रकार एच.व्ही.डी.एस. एवं लाईन लॉस योजनांतर्गत 49.46 टन पुराने तार निकाले गये हैं, जिसकी कीमत का निर्धारित दर से ऑकलन कर निविदा में प्रावधान के अनुसार कार्यादेश में समायोजित कर लिया गया है. अतः लाईन से निकाले गये कंडक्टर टेकेदार द्वारा विभाग को वापसी योग्य नहीं है. जिसकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 7 में दर्शित है.

बिलासपुर नगर निगम अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता

3. (क्र. 183) श्री शैलेश पाण्डे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगर निगम सीमा में बिजली के कितने उपभोक्ता हैं ? (ख) कितने एकल बत्ती कनेक्शन हैं ? (ग) बिलासपुर में नये विद्युत सब स्टेशन के लिये शासन की क्या योजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में विद्युत के कुल 1,54,700 उपभोक्ता हैं. (ख) बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बी.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 7,436 एकलबत्ती कनेक्शन हैं. (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बिलासपुर शहर के विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु ग्राम हांफा (उसलापुर) में अति उच्चदाब 132/33 के व्ही. का एक उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है. उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से दिनांक 29-10-2020 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. भूमि आबंटन प्रक्रियाधीन है. भूमि आबंटन के पश्चात् उपकेन्द्र निर्माण हेतु आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में नये विद्युत सब स्टेशन के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (एस.टी.एन. योजना) के अंतर्गत 02 नये 33/11 के व्ही. के विद्युत सबस्टेशन यथा साईंस कॉलेज सीपत रोड के पास एवं शांति नगर में प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से स्वीकृति पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी.

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लंबित भुगतान

4. (क. 290) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 दिसंबर 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (संवाद) में प्रिंट कार्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं सरकार के नीति कार्य कार्यक्रम को प्रमोशन करने वाले कंपनियों को कितनी राशि का भुगतान शेष था ? क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं ? लंबित देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ? (ख) क्या 2018 के विधानसभा चुनाव एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कार्यालय) द्वारा संवाद के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विज्ञापन दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्या उक्त का भुगतान प्रश्नांश "क" में उल्लेखित सभी मीडिया समूहों/एजेंसी/कंपनियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक किया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिनांक 1 दिसंबर 2018 की स्थिति में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (संवाद) में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं सरकार के नीति कार्यक्रम को प्रमोशन करने वाले कंपनियों को कुल राशि रु. 131 करोड़ 74 लाख 04 हजार 444/- का भुगतान शेष था. उक्त शेष राशि में से राशि रु. 87 करोड़ 49 लाख 39 हजार 995/- का भुगतान कर दिया गया है. शेष राशि रु. 44 करोड़ 24 लाख 64 हजार 489/- का भुगतान संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को भुगतान प्राप्त न होने एवं बल्क एस.एम.एस./वाईस कॉल, सोशल मीडिया प्रबंधन, इवेन्ट-ब्रॉडिंग से संबंधित नस्तियों की जांच छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच प्रचलन में है जिससे संबंधित कंपनियों/फर्मों के देयकों का भुगतान नहीं किया गया है. शेष राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (ख) 2018 के विधानसभा चुनाव एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कार्यालय) द्वारा संवाद के माध्यम से निर्वाचन संबंधी कुल रु. 4 करोड़ 28 लाख 69 हजार 172/- के विज्ञापन दिये गये थे. विज्ञापन की उक्त राशि में से राशि रु. 1 करोड़ 09 लाख 03 हजार 264/- का भुगतान मेसर्स कन्सोल इंडिया कम्युनिकेशन प्रा.लि. रायपुर को नहीं किया गया है एवं शेष देयकों का भुगतान संबंधित मीडिया समूहों/एजेंसी/फर्मों को कर दिया गया है. मेसर्स कन्सोल इंडिया कम्युनिकेशन प्रा.लि. द्वारा किए गए बल्क एस.एम.एस. एवं वाईस कॉल के कार्य की राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक 33/2019 पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है, इसलिए भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नल जल योजना

5. (क. 339) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों में नलजल योजना चल रही है ? वर्ष 2019-20 से जनवरी 2021 तक कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, एवं कितने प्रस्तावित हैं ? (ख) कितने कार्य प्रारंभ हैं कितने-कितने पूर्ण हैं ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 60 ग्राम पंचायतों में नलजल योजना संचालित है. वर्ष 2019-20 से जनवरी 2021 तक कुल 104 कार्य स्वीकृत हुए हैं एवं 264 कार्य प्रस्तावित हैं. (ख) 12 योजना का कार्य प्रारंभ है. पूर्ण कार्यों की संख्या निरंक है.

सौर सुजला योजना अंतर्गत प्राप्त एवं लंबित आवेदन

6. (क. 340) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ एवं खरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से जनवरी 2021 की स्थिति में सौर सुजला योजनान्तर्गत कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ? (ख) कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ग) लंबित प्रकरण कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धरमजयगढ़ एवं खरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 431 तथा वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक 204 इस प्रकार कुल 635 किसानों के आवेदन सौर सुजला योजना अंतर्गत प्राप्त हुए हैं. (ख) प्राप्त आवेदनों में से वर्ष 2019-20 के सभी 431 तथा वर्ष 2020-21 के 10 किसानों को सोलर पंप स्थापित कर योजना का लाभ दिया गया है शेष में से 86 आवेदन सोलर पंप स्थापना हेतु 71 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 37 आवेदन कृषकों से औपचारिकता हेतु लंबित हैं. (ग) सोलर पंप स्थापना एवं स्वीकृति हेतु

लंबित 157 प्रकरणों को मई 2021 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है. विकासखण्डवार जानकारी नीचे दर्शित है.

विधानसभा	विकासखण्ड	प्राप्त आवेदन		स्थापित सोलर पम्प		स्वीकृत/ स्थापनाधीन	स्वीकृत हेतु लंबित	कृषकों से औपचारिकता हेतु लंबित
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2020-21	2020-21	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	311	110	311	10	24	54	22
	धरघोड़ा	51	22	51	0	9	6	7
खरसिया	खरसिया	31	29	31	0	19	10	0
	रायगढ़	29	30	29	0	28	1	1
	पुसौर	9	13	9	0	6	0	7
योग		431	204	431	10	86	71	37

कोटा विधानसभा क्षेत्र में “जामवंत योजना” के तहत वृक्षारोपण

7. (क. 759) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटा विधानसभा में भालू के संरक्षण हेतु जामवंत योजना का संचालन कब से किया जा रहा है ? (ख) क्या विभाग द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत अत्याधिक मात्रा में फलदार पौधों के स्थान पर अन्य किस्मों का वृक्षारोपण किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोटा विधानसभा में भालू के संरक्षण हेतु जामवंत योजना का संचालन नहीं किया गया है. (ख) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है.

प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतर्गत कनेक्शन का लक्ष्य

8. (क. 862) श्री अजय चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात कितना है ? प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 में जल जीवन मिशन अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक उक्त योजनांतर्गत कुल कितनी राशि केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई है ? तथा कितनी राशि का व्यय हुआ और कितनी राशि शेष रह गयी ? और शेष बचने का कारण क्या है ? निर्धारित लक्ष्य से कितना पीछे/आगे चल रही है ? यदि पीछे है तो क्यों और उसके जिम्मेदार कौन है कब तक लक्ष्य को पूर्ण कर दिया जायेगा ? दोनों वर्षों का जिलावार बतायें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्रांश की 50 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश की 50 प्रतिशत राशि का अनुपात है. प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 लाख 86 हजार कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 लाख 61 हजार 834 कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक उक्त योजना अंतर्गत कुल केन्द्र से व राज्य सरकार से प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. जल जीवन मिशन के कार्यों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से राशि शेष है. जल जीवन मिशन का कार्य अभी प्रगतिरत है. इस वित्तीय वर्ष तक निर्धारित लक्ष्य से 72.5% पीछे है. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

जल जीवन मिशन अंतर्गत जारी ई.ओ.आई. का निरस्तीकरण

9. (क्र. 863) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शीतकालीन सत्र 2020 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 257) के उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशांसा पर मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर आमत्रित ई.ओ.आई. को निरस्त कर दिया गया तो यह बतायें कि :-

उस ई.ओ.आई. में किन-किन, कहा-कहां के फर्मों द्वारा आवेदन किये गए थे ? उनकी दरें क्या थी ? एवं क्या उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पायी गयी थी जिसके कारण ई.ओ.आई. को निरस्त किया गया ? (ख) यदि हां, तो किनके द्वारा क्या अनियमितता की गयी थी ? दोषी कौन थे एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो किस कारण से निरस्त किया गया ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जी हां. ई.ओ.आई. में किन-किन, कहा-कहां के फर्मों द्वारा आवेदन किये गए थे की जानकारी † सलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. ई.ओ.आई. में उल्लेखित कार्यों के लिये पात्र फर्मों से प्राप्त दरों की जानकारी † सलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है. जी नहीं. मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर ई.ओ.आई. निरस्त की गई. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

लुण्डा तहसील के अन्तर्गत ग्राम अमड़ी और कुदर में खनन की संचालित पत्थर खनन इकाईयां

10. (क्र. 954) **डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले की लुण्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम अमड़ी व कुदर में पत्थर खनन की कितनी इकाईयां संचालित हैं ? फर्म का नाम व संचालक सहित विवरण दें ? (ख) उक्त दोनों ग्राम में किस किसके खनिज उत्खनन की अनुमति दी गई है ? (ग) क्या उक्त दोनों ग्राम में किसी आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासी द्वारा संचालित खनन इकाई स्थित है ? यदि हां, तो क्या धारा 170 “ख” का उल्लंघन नहीं है ? ऐसी खनन इकाईयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों ? (घ) किसी भी खनन इकाई की सड़क से कितनी दूरी का मापदंड है ? क्या उक्त ग्रामों में कोई क्लेशर यूनिट निर्धारित मापदंड से कम है यदि कम है तो उस यूनिट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सरगुजा जिले में लुण्डा तहसील के अन्तर्गत ग्राम अमड़ी में 06 एवं कुदर में 02 निम्न श्रेणी चूनापत्थर के उत्खननपट्टा संचालित हैं. फर्म का नाम एवं संचालक की जानकारी †† सलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के ग्रामों में निम्न श्रेणी के चूनापत्थर खनिज उत्खनन हेतु अनुमति दी गई है. (ग) जी हां. ग्राम अमड़ी में गैर आदिवासी को आदिवासी की भूमि पर उत्खननपट्टा स्वीकृत किया गया है. जिसकी जानकारी परिशिष्ट के सरल क्रमांक-5 पर दर्शित है. ग्राम कुदर में किसी गैर आदिवासी को आदिवासी की भूमि पर उत्खननपट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है. जी नहीं. छ.ग. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-70(ख) का उल्लंघन नहीं हुआ है. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 5(2) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यमार्ग से 100 मीटर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर की दूरी सभी दिशाओं से छोड़कर उत्खननपट्टा स्वीकृत करने का प्रावधान है. उपरोक्त दोनों ग्रामों में उत्खननपट्टा/क्लेशर यूनिट प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित नहीं है. अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

वन वृत्त कांकेर अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार के लंबित प्रकरण

11. (क्र. 984) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन वृत्त कांकेर अंतर्गत जनवरी, 2019 से दिनांक 03-02-2021 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन व भ्रष्टाचार से संबंधित किन-किन लोगों के विरुद्ध प्रकरण लंबित है ? वन मंडल अनुसार घटना स्थल सहित सूची प्रदान करें ? एवं वर्तमान में कितनों की जांच पूर्ण होने के पश्चात् कार्यवाही लंबित है तथा किस स्तर पर लंबित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वन वृत्त कांकेर अंतर्गत जनवरी, 2019 से दिनांक 03-02-2021 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन व उससे संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है.

नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ग्रामों में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

12. (क्र. 1254) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों को शामिल किया गया है ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में वर्णित ग्रामों में से किस-किस ग्राम में विकास कार्यों हेतु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कौन-कौन से कार्यों की कितनी-कितनी लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 41 ग्रामों को शामिल किया गया है. तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील अमनपुर :- तूता, उपरवारा, खण्डवा, भेलवाडीह, कुरू, बंजारी, चेरिया, पौता, तेंदुवा, पचेड़ा, झांकी, केंद्री, बेद्री, निमोरा, परसट्टी.

तहसील आरंग :- उमरिया, नवागांव (खु), छतौना, मदिरहसौद, रमचण्डी, बरौदा, चीचा, रीको, पलौद, परसदा, कोटनी, कोटराभाटा, तांदुल, कुहेरा, राखी, नवागांव(ख), खपरी, झांझ, कयाबांधा, सेंध.

तहसील रायपुर :- सेरीखेड़ी, नकटी, धरमपुरा, टेमरी, बनरसी, माना

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रश्नांश “क” के उत्तर में वर्णित ग्रामों में विकास कार्य हेतु जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति के नियम

13. (क्र. 1361) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा जिले में माह 2021 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बेमेतरा जिले में दिनांक 23 फरवरी, 2021 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 16 प्रकरण लंबित हैं.

रायपुर वन परिक्षेत्र के सरोरा बिलारी जंगल में तार घेरा एवं बाऊण्डी वाल हेतु स्वीकृत राशि

14. (क्र. 1479) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर वन परिक्षेत्र के सरोरा, बिलारी जंगल में वर्ष 2019-20 में तार घेरा एवं बाऊण्डी वाल कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ? निर्माण एजेंसी कौन है ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत व्यय की गई राशि की जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर वन परिक्षेत्र के सरोरा, बिलाड़ी क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में तार घेरा हेतु एंगल आयरन युक्त चैनलिंग फेंसिंग कार्य हेतु कुल राशि रु. 416.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. उक्त स्थल में बाऊण्डीवाल हेतु राशि स्वीकृति नहीं की गयी है. निर्माण एजेंसी वन विभाग है. (ख) प्रश्नांश “क” के तहत वर्तमान तक राशि रु. 379.25 लाख का व्यय किया गया है.

प्रदेश के किसानों की ऋणमाफी

15. (क्र. 1614) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ किए जाने की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में कितने किसानों की कितनी राशि माफ की गई ? जिलेवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के घोषणा के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश के किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र जारी किया गया ? हां, तो कितने किसानों को ? नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2019-20 में प्रदेश में किसानों के ऋण माफी की घोषणा नहीं की गई है. शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) उत्तर “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

लोक सेवा गारंटी योजना अंतर्गत सम्मिलित सेवाएं

16. (क्र. 1648) **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारंटी योजनांतर्गत किन-किन योजनाओं को शामिल किया गया है ? (ख) लोक सेवा गारंटी योजनांतर्गत समय-सीमा पर निराकरण नहीं किये जाने पर कार्यवाही के क्या प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 अंतर्गत 34 विभागों की लगभग 260 सेवाएं अधिसूचित है पुस्तकालय में रखे (परिशिष्ट-अ), जिसमें से 13 विभागों की लगभग 22 योजनाएं शामिल है पुस्तकालय में रखे (परिशिष्ट-ब). (ख) छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-4(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है पुस्तकालय में रखे (परिशिष्ट-स).

बालोद जिले में हाथियों द्वारा जनधन क्षति का मुआवजा

17. (क्र. 1660) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक हाथियों के द्वारा कितने जन-धन की क्षति की गई ? कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई ? कितने को मुआवजा राशि देना शेष है ? हितग्राहियों के नाम एवं पता सहित जानकारी दें ? (ख) हाथियों के स्थायी समाधान के लिए राज्य शासन द्वारा कौन-कौन सी परियोजना संचालित है एवं आगे की कार्ययोजना क्या है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बालोद जिले में जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक जंगली हाथियों द्वारा 01 जनहानि, 425 स्थलों में फसल हानि एवं 61 संपत्ति की क्षति की गई. मुआवजा भुगतान एवं भुगतान हेतु शेष प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जनहानि प्रकरण/ हितग्राहियों की संख्या	मुआवजा की राशि	फसल हानि का प्रकरण/ हितग्राहियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	मुआवजा की राशि	संपत्ति हानि प्रकरण/ हितग्राहियों की संख्या	मुआवजा की राशि	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक निराकृत प्रकरण की जानकारी

1.	1	600000.00	229	84.704	1874370.00	26	152200.00	निराकृत प्रकरण
योग -	1	600000.00	229	84.704	1874370.00	26	152200.00	

जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक लंबित प्रकरण की जानकारी

1.	0	0.00	196	53.472	8839995.00	35	49332.00	लंबित प्रकरण
योग -	0	0.00	196	53.472	8839995.00	35	49332.00	

हितग्राहियों के नाम पता सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) हाथियों के स्थायी समाधान हेतु वर्तमान में 02 योजना संचालित हैं :-

1. (6991) हाथी रहवास क्षेत्र का विकास,
2. (5502) प्रोजेक्ट एलीफेन्ट,

भविष्य की कार्य योजना -

रजवास सुधार कार्य - इस योजना के तहत हाथियों के रहवास सुधार अंतर्गत भोजन हेतु चारागाह विकास, वृक्षारोपण, बांस रोपण एवं बांस क्षेत्रों का पुनर्वास आदि कार्य किया जा रहा.

पानी की उपलब्धता – हाथियों को वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है जिसे दृष्टिगत रखते हुये जल स्रोतों का विकास जैसे-तालाब, एनीकट, स्टापडेम का निर्माण किया जा रहा है. हाथियों को अधिक मात्रा में भोजन एवं पानी की उपलब्धता हो जाने की स्थिति में हाथियों का प्रवेश आबादी क्षेत्र में कम किया जा कर हाथियों का उचित रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से सुरक्षित विचरण किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है. यह योजना वर्तमान में संचालित है और भविष्य में भी संचालित रहेगा.

हाथी मानव-द्वंद को कम करने हेतु-

1. भविष्य में हाथियों के सुरक्षा हेतु हाथी कॉरीडोर का निर्माण, हाथी मित्र दल का गठन, हाथियों में रेडियो कॉलरिंग कर मॉनिटरिंग की योजना आकाशवाणी केन्द्रों से “हमरा हाथी हमरा गोठ” का प्रसारण कर लोगों को सूचित किया जाता है.
2. हाथी समस्या के प्रबंधन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की विशेषज्ञों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है.
3. हाथी विचरण क्षेत्रों के ग्रामीणों को हाथियों के बचाव हेतु उपायों का प्रचार-प्रसार एवं वन अमले को प्रशिक्षित किया जाता है.

पामगढ़ विकासखण्ड में पानी टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन विस्तार

18. (क्र. 1692) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों में वर्ष 2019-20 से दिनांक 04-02-21 तक कितने पानी टंकी का निर्माण व पाइप लाईन विस्तार का कार्य किया गया है, कितने ग्रामों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कितने ग्रामों का कार्य अपूर्ण है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) पामगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम लोहर्सी, धरदेई, मेकरी, पनगांव, भूईगांव एवं सिर्रा में वर्ष 2019-20 से दिनांक 04-02-2021 तक 06 पानी टंकी का निर्माण किया गया है. उपरोक्त ग्रामों में पाइप लाईन विस्तार का कार्य नहीं किया गया है, तथापि योजना के अंतर्गत जल वितरण/पंपिंग मेन का कार्य किया गया है. सभी 06 ग्रामों का पानी टंकी निर्माण कार्य एवं जल वितरण प्रणाली/पंपिंग मेन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत की खपत एवं आपूर्ति

19. (क्र. 1754) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत की खपत से विद्युत की आपूर्ति कम है ? क्या विद्युत आपूर्ति कम की वजह से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या हो रही है ? यदि हां, तो खपत के अनुसार विद्युत आपूर्ति एवं लो वोल्टेज की समस्या निदान हेतु विभाग के द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है. (ख) क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अति उच्चादाब उपकेन्द्र एवं सामान्य उपकेन्द्र निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर एवं उक्त प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी एवं कार्य प्रारंभ कब तक हो जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं. धमतरी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत की खपत नहीं, अपितु मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है. इस परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में 132/33 के.व्ही. अति उच्चादाब का एक उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् उपकेन्द्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. चूंकि उपकेन्द्र निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है, अतः प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 33/11 केव्ही के 02 नये सबस्टेशन ग्राम सोरिद तथा दोनर का निर्माण प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से स्वीकृति उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष में ससाधनों की उपलब्धता पर पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं.

प्रदेश में हाथकरघा संघ आमसभा एवं संचालक मण्डल की आयोजित बैठकें

20. (क्र. 1773) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में हाथकरघा संघ द्वारा आम सभा का आयोजन एवं संचालक मंडल की बैठक कराने की संवैधानिक प्रक्रिया है ? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 में कहां-कहां, कब-कब आमसभा एवं संचालक मण्डल की बैठक आयोजित की गयी है ? आमसभा एवं संचालक मण्डल की बैठक कितने माह में एक बार कराना आवश्यक है ? (ख) क्या संघ के वार्षिक आम बजट में अनुमोदन उपरांत राशि का व्यय किया जाता है ? यदि हां तो कब-कब अनुमोदन उपरांत राशि का व्यय किया गया है ? (ग) क्या उक्त संघ के कार्यालयों में बिना बजट के राशि व्यय करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कौन-कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर द्वारा आमसभा एवं संचालक मंडल की बैठक संघ के उपविधि अनुसार आयोजित कराने का प्रावधान है. वर्ष 2020-21 में वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है एवं संचालक मंडल की बैठक दिनांक 29-12-2020 को आयोजित की गई थी. उक्त बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई. संघ के उपविधि अनुसार वार्षिक आमसभा की बैठक वर्ष में एक बार एवं संचालक मंडल की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है किन्तु 03 माह में कम से कम एक बार बुलाये जाने का प्रावधान है. (ख) संघ के वार्षिक आमसभा में अनुमोदन उपरांत राशि का व्यय किया जाता है. राज्य हाथकरघा संघ के पंजीयन पश्चात् वर्ष 2001-02 से 2019-20 तक वार्षिक आमसभा में बजट अनुमोदन उपरांत किया गया है. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ में बिना बजट के राशि व्यय करने के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

आर.डी.ए. की भूमि को ग्रामोद्योग विभाग को आबंटन

21. (क्र. 1785) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंडरी कपड़ा मार्केट के पास स्थित जमीन ग्रामोद्योग विभाग को दी गई है ? यदि हां तो कितनी, जमीन, किन-किन शर्तों पर, कितने वर्षों के लिए कब दी गई ? (ख) क्या उक्त जमीन को वापस लेने की कोई योजना है ? यदि हां तो क्यों ? (ग) क्या उक्त जमीन में निर्मित परिसर को तोड़कर व्यावसायिक परिसर बनाने की योजना है ? यदि हां, तो परिसर को तोड़ने व व्यावहारिक परिसर बनाने के कारण बताएं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. 04 एकड़ भूमि, अनुबंध की निर्धारित शर्तों † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 30 वर्षीय पट्टे पर दी गई थी. (ख) जी हां. इस भूमि पर बेहतर व्यावसायिक उपयोग किया जाना विचाराधीन है. (ग) प्रश्नाधीन भूमि पर ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष में 01 या 02 बार ही मेले के लिए उपयोग किया जाता है. इस प्रश्नाधीन भूमि पर व्यावसायिक परिसर बनाये जाने पर भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी.

रायपुर हाट बाजार की स्थापना

22. (क्र. 1786) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पण्डरी रायपुर में हाट बाजार स्थापित है ? यदि हां तो कब कितनी राशि से, किस-किस मद की राशि से ? क्या केन्द्र शासन की राशि भी शामिल थी ? (ख) हाट बाजार की जमीन किसकी है और किन शर्तों पर कितने वर्षों के लिए दी गई है ? क्या हाट बाजार को तोड़ने की योजना है यदि हां तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) पंडरी रायपुर में छत्तीसगढ़ हाट स्थापित है. जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2008 में पूर्ण हुआ है. उक्त हाट के निर्माण की कुल लागत राशि रु. 756.50 लाख है. जिसमें राशि रु. 669.00 लाख राज्य सरकार, राशि रु. 52.50 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा राशि रु. 35.00 लाख विकास आयुक्त (हाथकरघा) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है. (ख) यह जमीन रायपुर विकास प्राधिकरण की है. रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 वर्षों के लिये पट्टे पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड को †† संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शर्तों के अधीन दिया गया है. वर्तमान में हाट बाजार को तोड़ने की कोई विभागीय योजना नहीं है.

लेन्टाना उन्मूलन मद से स्वीकृत/व्यय राशि

23. (क्र. 1789) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर जिला-कोरिया में विगत 3 वर्षों के अंतराल में लेन्टाना उन्मूलन मद से कितनी राशि की स्वीकृति हुई कितनी राशि खर्च हुई ? प्रत्येक रेंजवार कक्ष क्रमांक के तहत जानकारी उपलब्ध कराए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में विगत 3 वर्षों में लेन्टाना उन्मूलन के लिए स्वीकृत राशि रु. 4,82,52,700.00 तथा व्यय राशि रु. 4,70,23,146.00 है. परिक्षेत्रवार/कक्ष क्रमांकवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

मनेन्द्रगढ़-विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बांस पौधरोपण

24. (क्र. 1790) डॉ. **विनय जायसवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वन मण्डल मनेन्द्रगढ़ एवं बैकुण्ठपुर क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में बांस पौधरोपण कुल कितनी लागत से कितने हेक्टेयर में किया गया? वर्तमान में कितने बांस के पौधे सुरक्षित हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ एवं बैकुण्ठपुर क्षेत्र में विगत 03 वर्षों में बांस पौधरोपण नहीं कराया गया है. अतः लागत, रोपण क्षेत्र एवं सुरक्षित पौधों की संख्या का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

औद्योगिक इकायों के दूषित जल का निष्पादन

25. (क्र. 1798) श्री **धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक रायपुर, जिले के किन-किन नदी, नाला, तालाबों के जल की जांच की गई? (ख) क्या कंडिका “क” के क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगों द्वारा दूषित जल बिना उपचार के नदी, नालों में बहार जाने के मामले प्रकाश में आया है? यदि हां तो उसकी जांच कब-कब की गई? (ग) कंडिका “क” के क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों से प्रवाहित होने वाले विषैले जल के निष्पादन के लिए शासन के क्या-क्या दिशा निर्देश हैं? क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया है, हां तो क्या, नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायपुर, जिले के जिन नदी, नाला, तालाबों के जल नमूनों की जांच की गई है, उनकी सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) शासन के पृथक से निर्देश नहीं है. तथापि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं इसके नियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु समुचित दूषित जल उपचार व्यवस्था करने, दूषित जल उपचार व्यवस्था का सतत् संचालन करने, निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित करने एवं उद्योग से शून्य निस्सारण की स्थिति सुनिश्चित करने का प्रावधान है. जी हाँ, इनका पालन किया जा रहा है.

पर्यावरण संरक्षण मण्डल के द्वारा उद्योगों के जारी नोटिस

26. (क्र. 1809) श्री **रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खारून व अरपा नदी में किन-किन उद्योगों का वेस्ट प्रवाहित हो रहा है? उसे रोकने के लिए वर्ष 2020 में क्या क्या कार्यवाही की गई? किन किन उद्योगों को नोटिस दी गई है व उस नोटिस पर उद्योगों के द्वारा क्या-क्या किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : खारून नदी में केवल मेसर्स मिलाई इस्पात संयंत्र, मिलाई, जिला-दुर्ग के आउटलेट-सी से उपचारोपरांत दूषित जल सोमनी नाले के माध्यम से खारून नदी में प्रवाहित होता है. उद्योग द्वारा उक्त उपचारित दूषित जल को नदी में मिलने से रोकने के लिए रिसाईक्लिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है. अरपा नदी में किसी भी उद्योग का दूषित जल प्रवाहित नहीं होता है. अतः नोटिस देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

मेक मॉडल व वैरीएंट अनुमोदन पश्चात् वाहन की बिक्री

27. (क्र. 1810) श्री **रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि वाहनों की बिक्री के लिए मेक मॉडल व वैरीएंट अनुमोदन के पश्चात् ही बिक्री किए जाने के नियम हैं? यदि हाँ, तो इन नियमों के पालन न किए जाने पर क्या कार्यवाही के नियम हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां. यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यवसाय प्रमाण पत्र के धारक ने केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 39 से 43 तक के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है तो वह धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा.

आउटसोर्सिंग समाप्त कर युवाओं को रोजगार संबंधी

28. (क्र. 1814) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ के अभिभाषण (बजट सत्र 2019) में जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात करने का उल्लेख किया गया था? (ख) यदि हां, तो क्यों घोषणापत्र में आउटसोर्सिंग समाप्त कर युवाओं को नौकरी देने के संबंध में घोषणा की गई थी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) जी हां.

जिला बस्तर के वनीय क्षेत्रों के संरक्षण, विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु संपादित कार्य

29. (क्र. 1831) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कौन-कौन से वन परिक्षेत्र के वनों के संरक्षण, विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्या-क्या कार्य किए गए हैं? (ख) इन कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च की गई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में वनों के संरक्षण, विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए गए कार्यों का परिक्षेत्रवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) रु. 91,02,72,380.00

राम वनगमन पथ में वृक्षारोपण में व्यय राशि

30. (क्र. 1835) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राम वन गमन पथ में राज्य शासन द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में, किस-किस मद से, कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? (ख) उक्त वृक्षारोपण कार्य कब कराया गया तथा वर्तमान में कितने वृक्ष जीवित अवस्था में हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. राम वनगमन पथ में राज्य शासन द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है. जिलेवार, मदवार, स्वीकृत राशि की कार्यवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2020 (माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर) में कराया गया तथा वर्तमान में 1,48,854 वृक्ष जीवित अवस्था में हैं.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यात्री बसों की टैक्स माफी

1. (क. 70) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले में वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक कितनी यात्री बसों के कितने टैक्स कब कब माफ किये गये ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : रायपुर जिले में वर्ष 2019-20 में यात्री बसों की टैक्स माफ की संख्या निरंक है. वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-04/आठ-परि./2020 दिनांक 04 जून 2020, आर 472/आठ-परि./2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं एफ 5-06-01/आठ-परि./2020 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के द्वारा कुल 826 यात्री बसों के रु. 3,80,82,530/-टैक्स माफ किये गये हैं.

प्रदेश में उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल की वसूली

2. (क. 71) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 27-01-2021 तक प्रदेश के उच्चदाब विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल की बकाया वसूली राशि कितनी है ? (ख) इस बकाया राशि की वसूली हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिनांक 27-01-2021 की स्थिति में प्रदेश के 910 उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल की बकाया राशि रुपये 1,771 करोड़ 66 लाख है. (ख) दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में बकाया राशि की स्थिति एवं वसूली हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	उपभोक्ता संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	दिनांक 05-02-2021 के पश्चात् प्राप्त भुगतान (करोड़ रुपये में)
1.	रेल्वे	04	1,201.17	0
2.	शासकीय/सार्वजनिक उपभोक्ता	190	159.36	0
3.	अस्थायी विच्छेदित	218	12.52	7.35
4.	किश्त में भुगतान करने वाले	89	50.58	12.97
5.	“बी” फार्म	46	0.82	0
5.	“सी” फार्म	33	7.66	0
6.	“आर. आर. सी.”	28	70.16	0
7.	न्यायालयीन प्रकरण	30	273.31	0.55
योग		638	1764.08	20.87

शेष 272 उपभोक्ताओं की चालू माह की बकाया राशि भुगतान हेतु लंबित होने के कारण उन्हें नोटिस एवं अस्थायी रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही जारी है.

रायपुर जिले में उद्योगों को उत्पादन की प्रदत्त अनुमति

3. (क. 127) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले के धरसीवा और तिल्दा तहसील में पिछले 2 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 26-1-2021 तक किन-किन उद्योगों को क्या-क्या उत्पादन के लिए किन-किन शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

तेलंगाना राज्य को बेची गई बिजली

4. (क्र. 134) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 2021 में दिनांक 26-01-2021 तक कितनी मात्रा में बिजली प्रतिमाह तेलंगाना राज्य को किस दर से बेची है ? कितना भुगतान उपरोक्त दिनांक तक शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 2021 में माह जनवरी-2021 तक तेलंगाना राज्य को बेची गई माहवार बिजली की मात्रा एवं जारी मासिक देयक के आधार पर दर की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. दिनांक 26 जनवरी-2021 तक रुपये 2962.30 करोड़ की राशि का तेलंगाना राज्य द्वारा भुगतान किया जाना शेष है.

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के गांवों का विस्थापन

5. (क्र. 135) **श्री सौरभ सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया के अंतर्गत कितने ग्राम किस-किस वन कक्ष में स्थापित हैं ? उपरोक्त ग्राम की जनसंख्या कितनी है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ? (ख) उपरोक्त ग्राम के विस्थापन करने के लिए क्या योजना है ? कब तक विस्थापन होगा ? विस्थापित ग्राम के नागरिकों को कहां पर कितनी भूमि दी जायेगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया के अंतर्गत 35 ग्राम स्थापित हैं. उक्त सभी ग्राम राजस्व ग्राम होने के कारण वन कक्षों में स्थापित नहीं हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामवार जनसंख्या †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित ग्रामों के विस्थापन हेतु कोई योजना नहीं है.

बिलासपुर शहर अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर

6. (क्र. 228) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर शहर में पिछले 2 वर्षों में कितने नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं कितने ट्रांसफार्मर बदले गये हैं, बदलने का क्या-क्या कारण है.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बिलासपुर शहर में विगत 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में माह जनवरी 2021 तक) में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 132/33 के व्ही. ए. के 01 नवीन पॉवर ट्रांसफार्मर तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 33/11 के व्ही. के 02 नये पॉवर ट्रांसफार्मर तथा 11/0.4 के व्ही. के 260 नये वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं, इस तरह उक्त दोनों कम्पनियों द्वारा कुल 263 नग नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं. उक्त अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण 33/11 के व्ही. के 02 पॉवर ट्रांसफार्मर एवं 176 वितरण ट्रांसफार्मर तथा क्षमता वृद्धि के लिये 03 वितरण ट्रांसफार्मर, इस तरह कुल 181 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं.

बिलासपुर शहर अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता

7. (क्र. 229) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर शहर में बी.पी.एल. श्रेणी के कितने उपभोक्ता हैं ? (ख) बी.पी.एल. परिवारों के बिजली बिल से प्रतिवर्ष बिलासपुर से कितना राजस्व शासन को प्राप्त होता है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर शहर के अंतर्गत बी.पी.एल. श्रेणी के वर्तमान में एकल बत्ती कनेक्शन के 7,436 उपभोक्ता हैं. (ख) बिलासपुर शहर के अंतर्गत बी.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित 30 यूनिट से अधिक विद्युत की खपत करने पर राज्य शासन को विगत 03 वर्षों में विद्युत शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाख में)

वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (माह नवम्बर तक)
5.13	5.33	5.08

खनिज पट्टों का आबंटन

8. (क्र. 844) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बाक्सईट की खदानों का खनिज पट्टा किन कम्पनी/संस्था/निजी व्यक्तियों को आबंटित है ? खनिजवार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कौन-कौन से खनिजों का पट्टा आबंटन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन/प्रक्रियाधीन/प्रचलन में है ? खनिजवार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान की जाय ? (ग) प्रश्नांश “ख” की अवधि में प्राप्त आयरन और खनिजपट्टा के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को किस वरीयता क्रम के आधार पर निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कम्पनी/संस्था एवं व्यक्तिगत आवेदक के आधार पर कार्यवाही संबंधी पृथक-पृथक जानकारी प्रदान की जाय ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य में खनिज कोयला, लौह अयस्क एवं बाक्सईट के कम्पनी/संस्था/निजी व्यक्तियों को आबंटित खनिजपट्टा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में प्राप्त खनिज कोयला का 01 बाक्सईट के 03 आवेदन पत्र विचाराधीन/प्रक्रियाधीन/प्रचलन में है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “ख” अवधि 2020-21 में आयरन और के खनिजपट्टा के आबंटन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. अतः जानकारी निरंक है.

छ. ग. विद्युत मण्डल द्वारा पूरक देयक के नाम पर जारी सर्कुलर

9. (क्र. 847) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पूरक देयक के नाम पर जारी किये गये सर्कुलर की जानकारी क्या राज्य के सभी डिवीजन में जारी किया गया है ? यदि हां तो राजनांदगांव जिले के किन-किन डिवीजन में कितने-कितने पूरक बिल वर्ष 2020 में जारी किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नहीं अपितु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 एवं यथा संशोधित की कंडिका 9.26 के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षानिधि तथा मासिक नियमित बिल के अलावा ऑडिट तथा अन्य कारणों से अतिरिक्त बिल की वसूली हेतु पूरक बिल जारी किये जाने का प्रावधान है. जिसकी जानकारी प्रदेश के सभी संभागीय कार्यालयों को है. राजनांदगांव जिले के संभागवार वर्ष 2020 में जारी किये गये पूरक बिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संभाग का नाम	जारी किये गये बिलों की संख्या
1.	राजनांदगांव	3017
2.	खैरागढ़	304
3.	डोंगरगढ़	89
4	डोंगरगांव	532
	कुल योग	3942

जिला-धमतरी अंतर्गत जल-जीवन मिशन के तहत आबंटित राशि

10. (क्र. 872) श्री अजय चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन में जिला धमतरी अंतर्गत वित्तीय 2019-20 व 2020-21 में कितनी राशि आबंटित हुयी थी ? उनमें से कितनी राशि खर्च की गयी कितनी शेष बच गयी एवं शेष बचने का क्या कारण है ? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में इस जिले में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? एवं कौन-कौन सी एजेसी काम कर रही है ? तथा 31 जनवरी, 2021 तक कितना घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? एवं कितना शेष है और देरी के क्या कारण है ? एवं कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? विधानसभाक्षेत्रवार बतायें ? (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत जिला स्तर में कमेटी गठित की गई है यदि हां, तो कब गठित हुयी, कौन-कौन अध्यक्ष/सदस्य हैं ? कितनी बार, कहां कहां बैठक ली गयी ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन में धमतरी जिले अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कुल राशि रु. 1254.08 लाख आबंटित हुई थी. उनमें से राशि रु. 1085.11 लाख खर्च की गयी एवं शेष राशि रु. 168.97 लाख शेष है. 13 सोलर पम्प स्थापना हेतु क्रेडा विभाग को राशि जारी किया जाना है, जो शेष है. (ख) धमतरी जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :-

लक्ष्य वर्ष 2019-20	लक्ष्य वर्ष 2020-21	लक्ष्य वर्ष 2021-22
23686	64737	लक्ष्य का निर्धारण प्रक्रियाधीन है.

जल जीवन मिशन अंतर्गत धमतरी जिले में केवल सोलर पंप आधारित योजनाओं के लिये क्रेडा छत्तीसगढ़ क्रियान्वित एजेंसी निर्धारित है. शेष योजनाओं के लिये कोई भी एजेंसी निर्धारित नहीं हुआ है. धमतरी जिले अंतर्गत कुल 147044 ग्रामीण परिवार है, जिसमें से दिनांक 22-02-2021 तक कुल 39060 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध है तथा कुल 107984 ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन शेष है. धमतरी जिले में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने हेतु लक्ष्य माह सितम्बर-2023 निर्धारित है. विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. (ग) जी हां. जिला स्तर पर दिनांक 22-01-2020 को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है. अध्यक्ष/सदस्य की जानाकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है. गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 23-02-2021 को कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी के सभाकक्ष में बैठक ली गई है.

दतेवाड़ा में खनिज न्यास निधि अंतर्गत कपड़ा सिलाई केन्द्र का संचालन

11. (क्र. 873) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खनिज न्यास निधि अंतर्गत दतेवाड़ा में कपड़ा सिलाई केन्द्र खोला गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का खर्च, किस मद से सिलाई मशीन खरीदी, भवन निर्माण व प्रशिक्षण पर किया गया ? (ख) कपड़ा सिलाई केन्द्र में कपड़े की सिलाई हेतु वर्ष 2019 से 20-02-21 तक कपड़े कहां से लाये गये एवं सिलाई के उपरान्त वस्त्रों को किनको, किस दर पर विक्रय किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. जिला दतेवाड़ा में खनिज न्यास निधि से सिलाई केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 206.00 लाख, सिलाई मशीन खरीदी में रुपये 652.46 लाख एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना/प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मद से राशि रुपये 24.78 लाख का व्यय किया गया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कपड़े का क्रय एवं सिलाई उपरान्त वस्त्रों का विक्रय नहीं किया गया है. अपितु महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य संस्थाओं से सिलाई हेतु उपलब्ध कराये गये कपड़ों का केवल निर्धारित मानदेय के आधार पर सिलाई का कार्य किया गया है.

कोन्डागांव जिले में कैम्पा निधि से संपादित कार्य

12. (क्र. 1003) श्री सन्तराम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोन्डागांव जिले में उत्तर वन मंडल द्वारा राज्य कैम्पा निधि से वर्ष 2020-21 में क्या-क्या कार्य कराया गया है ? (ख) इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोण्डागांव जिले में उत्तर कोण्डागांव (केशकाल) वनमण्डल द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य कैम्पा निधि से कराये गये कार्यों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कराये गये कार्यों हेतु आबंटित एवं उपयोग (व्यय) राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

कोण्डागांव जिले में रेत घाटों का आबंटन

13. (क्र. 1004) श्री सन्तराम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोन्डागांव जिले में कुल कितनी रेत खदानें/घाट हैं तथा कितनी रेत घाटों में पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान किया गया है ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) उक्त स्वीकृति खदानों/घाटों में कितने खदानों की नीलामी हुई थी तथा कितनी खदानें नीलामी में शेष थी रेत घाटों की नीलामी नहीं होने के क्या कारण थे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोण्डागांव जिला अंतर्गत कुल 06 खदानें हैं, जिनमें से 5 रेत खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर लिया गया है. 01 प्रकरण पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने हेतु लंबित है. नाम सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) कोण्डागांव जिला अंतर्गत कुल 09 क्षेत्रों को रेत उत्खनन हेतु चिन्हांकित किया गया था जिसमें से 07 क्षेत्र हेतु निविदा जारी किया गया है तथा 02 क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा जारी नहीं किया गया है.

कबीरधाम जिले में वृक्षारोपण

14. (क्र. 1077) **श्रीमती ममता चन्द्राकर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरधाम जिले में किन-किन योजना में 2019, 2020 में कितने पौधों का वृक्षारोपण हुआ है ? किस-किस किस्म के पौधे लगाये गये हैं ? कितने जीवित हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019 में 5,39,350 पौधे एवं वर्ष 2020 में 4,76,075 पौधे इस प्रकार कुल 10,15,425 पौधों का रोपण हुआ है. इनमें से दिनांक 22-02-2021 की स्थिति पर वर्ष 2019 में रोपित पौधों में से 4,93,733 पौधे एवं वर्ष 2020 में रोपित पौधों में से 4,40,326 पौधे कुल 9,34,059 पौधे जीवित हैं. किस्मवार लगाये गये पौधों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओव्हर लोडिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही

15. (क्र. 1267) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस-किस जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 03-02-2021 तक ओव्हर लोडिंग के कितने-कितने प्रकरण बनाए गए ? उनसे कितनी-कितनी राशि का जुर्माना किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है.

नवा रायपुर में ग्राम चेरिया से पौता तक सड़क निर्माण

16. (क्र. 1268) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नवा रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत चेरिया एवं पौता तक पक्की सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि नहीं तो किस कारणों से स्वीकृति नहीं दी गई है और कब तक की जाएगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी नहीं. वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन मद में शामिल करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण

17. (क्र. 1278) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/द. वे. मो./सविदा/ कार्यभारित कर्मचारियों को नियमितीकरण की कोई योजना है ? यदि हाँ तो क्या इस विषय में कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हाँ तो समिति ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की, बताएं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी नहीं. अनियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. समिति की बैठक दिनांक 09-01-2020 को सम्पन्न हुई. बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/मंडल/आयोग/संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतन भोगी एवं सविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है.

जिला जांजगीर चाम्पा में रेत खदानों का संचालन

18. (क्र. 1512) **श्री रामकुमार यादव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा के अंतर्गत कहां-कहां कुल कितनी रेत खदान संचालित है ? पट्टे दारों के पता सहित जानकारी प्रदान की जावे. (ख) रेत खदानों को कितने-कितने रकबे में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ग) रेत खदानों में रायल्टी की क्या दर निर्धारित की गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 26 रेत खदानों पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर संचालित है. विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) रेत खदानों के रकबे की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 5 में दर्शित है. (ग) रेत खदानों में रॉयल्टी की दर 50 रुपये प्रतिघन मीटर निर्धारित है.

जिला जांजगीर चांपा में वृक्षारोपण में व्यय राशि

19. (क्र. 1513) **श्री रामकुमार यादव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत 2018-19 से दिनांक 4-2-21 तक वन विभाग द्वारा कहां-कहां कितनी-कितनी लागत से वृक्षारोपण किया गया ? (ख) क्या वर्तमान में रोपित किये गये वृक्ष जीवित हैं ? (ग) रोपित वृक्षों के ऊपर रख रखाव हेतु कितना व्यय किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत 2018-19 से दिनांक 04-02-2021 तक वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण की लागत एवं स्थलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) रोपित किए गए 14,07,209 वृक्षों में से वर्तमान में 11,36,976 वृक्ष जीवित हैं. (ग) रोपित वृक्षों के ऊपर रखरखाव हेतु व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	रखरखाव पर व्यय राशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	2018-19	138.34
2.	2019-20	47.61
3.	2020-21 (04-02-21)	0.24
योग		186.19

राजनांदगांव जिले जारी खनिज उत्खनि पट्टें

20. (क्र. 1579) **श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक राजनांदगांव जिले में विभिन्न खनिजों के कितने उत्खनि पट्टा जारी किया गया है ? यदि हाँ तो खनिजवार, तहसीलवार ग्राम व पट्टे के अवधि सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) उक्त अवधि में विभिन्न खनिजों से रायल्टी के रूप में कितनी राशि जिला खनिज न्यास में जमा किया गया है ? खनिजवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) उक्त अवधि में प्राप्त खनिज न्यास की राशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया ? (घ) उपरोक्त कार्यों हेतु राशि आबंटन करने कितने सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त हुई है ? (ङ) जिला खनिज न्यास (डी.एम.एफ.) राशि आबंटन हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हाँ. वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक राजनांदगांव जिले में विभिन्न खनिजों के 05 उत्खनिपट्टा जारी किया गया है. खनिजवार, तहसीलवार, ग्राम व पट्टे के अवधि सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त अवधि में खनिजों से रायल्टी के रूप में जिला खनिज न्यास में कोई राशि प्राप्त नहीं होता है. अतः शेष जानकारी निरंक है. (ग) प्रश्नांकित अवधि में जिला खनिज न्यास के पास उपलब्ध निधि से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अनुसार कम से कम 60 प्रतिशत राशि को उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में एवं शेष 40 प्रतिशत राशि को अन्य प्राथमिकताओं के क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में व्यय किया गया है. (घ) प्रश्नांकित अवधि में श्री संतोष पान्डेय, माननीय सांसद द्वारा 14 कार्य, डॉ. रमन सिंह, माननीय विधायक द्वारा 28 कार्य, श्री इंद्रशाह मंडावी, माननीय विधायक द्वारा 460 कार्य, श्री दलेश्वर साहू, माननीय विधायक द्वारा 43 कार्य, श्री मुनेश्वर बघेल, माननीय विधायक द्वारा 84 कार्य, श्री देवव्रत सिंह, माननीय विधायक द्वारा 42 कार्य, श्रीमति छन्नी साहू, माननीय विधायक द्वारा 56 कार्य, श्रीमति गीता साहू, माननीय अध्यक्ष जि. पं. द्वारा 22 कार्य हेतु प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त हुआ, जिस पर परीक्षणोपरान्त शासी परिषद में लिये गये निर्णय के अनुरूप स्वीकृति की कार्यवाही की गई. (ङ) जिला खनिज न्यास निधि में प्राप्त राशि का उपयोग प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार एवं शासी परिषद के अनुमोदन पश्चात् खनन तथा खनन से संबंधित सक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों/व्यवित्तों के हित और लाभ एवं समग्र विकास हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र/व्यवित्त पर किये जाने एवं उक्त राशि में से कम से कम 60 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता के कार्यों में एवं शेष न्यास निधि के 40 प्रतिशत राशि की उपयोजित किये जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ जिला खनिज नियम 2015 में प्रावधानित है.

सौर सुजला योजना के लंबित आवेदन

21. (क्र. 1651) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 04-2-21 की

स्थिति में सौर सुजला योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन पत्र लंबित है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) क्या सौर सुजला योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं से राशि (प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य) जमा कराई गई ? यदि हाँ तो कुल कितने आवेदनकर्ताओं से कितनी राशि जमा कराई गई है ? जिलेवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में दिनांक 04-02-2021 की स्थिति में सौर सुजला योजना अंतर्गत 5771 आवेदन सोलर पंप स्थापना हेतु, 560 आवेदन स्वीकृति हेतु एवं 8424 आवेदन औपचारिकता हेतु इस प्रकार कुल 14,755 आवेदन लंबित है। जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) जी हाँ, उत्तरांश “क” अंतर्गत लंबित आवेदनों में से 6565 आवेदकों से 4 करोड़ 5 लाख 46 हजार 300 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य राशि के रूप में जमा कराई गई है। जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण

22. (क्र. 1671) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में लो-वोल्टेज की समस्या है तथा कहीं-कहीं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने की आवश्यकता है ? वितरण केन्द्र वार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के लो-वोल्टेज की समस्या निराकरण तथा पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहीं-कहीं नवीन विद्युत सब स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ग्राम से लो-वोल्टेज के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) उत्तरांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) विधानसभा क्षेत्र संजारी-बालोद के अंतर्गत कोई नया उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है।

पामगढ़ विकासखण्ड में संचालित केशर प्लांट

23. (क्र. 1698) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विकासखण्ड में कितने केशर दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में संचालित है ? केशर मालिक का नाम, स्थान का नाम, रकबा सहित जानकारी देवें। (ख) कितने केशर में रकबा से अधिक उत्खनन किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ विकासखण्ड में दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में कुल 10 केशर संचालित है। केशर मालिक का नाम, स्थान का नाम, रकबा सहित जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांक “क” के परिप्रेक्ष्य में केशर में रकबा से अधिक उत्खनन की जानकारी निरंक है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित रेत खदानें

24. (क्र. 1699) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी रेत खदान संचालित हैं ? ठेकेदार का नाम, स्थान का नाम, पता, रकबा सहित जानकारी देवें ? (ख) कितने रेत खदान रकबा से अधिक में रेत का उत्खनन किया गया है, उन पर क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी देवें ? (ग) रेत खदान संचालित करने के लिये क्या-क्या मापदण्ड तय किए गए हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 रेत खदान संचालित है। ठेकेदार का नाम, स्थान का नाम, पता, रकबा की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित रेत उत्खननपट्टा खदानों में स्वीकृत रकबा से अधिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन का मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः जानकारी निरंक है। (ग) जिले में रेत खदानों का संचालन हेतु मापदण्ड छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के अनुसार है।

राजनांदगांव वन मंडल में सामग्री क्रय

25. (क्र. 1727) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-2020 से 08

फरवरी, 2021 तक की स्थिति में राजनांदगांव वन मंडल में कौन-कौन सी सामग्री कितनी राशि की किस-किस माध्यम से खरीदी गई ? फर्म का नाम सहित उपलब्ध करावें ? (ख) कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) दिनांक 01-04-2020 से 08 फरवरी, 2021 तक की स्थिति में राजनांदगांव वन मंडल में खरीदी गई सामग्री की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “ख” का उत्तर † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक प्रभावित ग्राम

26. (क्र. 1728) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले के अ. चौकी विकासखंड के कितने ग्राम आर्सेनिक प्रभावित हैं ? उक्त ग्रामों को आर्सेनिक मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : राजनांदगांव जिले के अ. चौकी विकासखण्ड के 16 ग्राम आर्सेनिक प्रभावित हैं. ग्राम सोनसाय टोला के एक स्रोत में आर्सेनिक रिमूवल् प्लांट लगाकर आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. उक्त ग्रामों में 57 आर्सेनिक युक्त नलकूपों को कैप कर दिया गया है. सतही जल स्रोत पर आधारित चौकी समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. 203 हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.

लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में नलकूप खनन

27. (क्र. 1739) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितने नलकूप खनन के कार्य स्वीकृत किए गए थे ? कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने प्रकरण में नलकूप खनन का कार्य फेल हो गया ? (ग) पूर्ण किये गए नलकूप खनन कार्यों में से कितने जगहों का पानी पीने योग्य नहीं है ? स्थलवार बतावें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 232 नग नलकूप खनन के कार्य स्वीकृत किये गये थे. वर्षवार कार्यों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत नलकूप	खनित नलकूप	सफल	असफल	स्थापित हैण्डपंप
1.	लुण्डा	2017-18	72	72	69	3	69
		2018-19	54	54	48	6	48
		2019-20	106	106	101	5	101
		योग	232	232	218	14	218

(ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 14 नलकूप खनन का कार्य फेल (असफल) हो गये है. (ग) पूर्ण किये गये 218 सफल नलकूप/हैण्डपंप का जल परीक्षण उपरांत कोई भी जगह ऐसा नहीं है, जहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है. अतः संख्या एवं स्थल की जानकारी निरंक है.

धमतरी जिले में जिला परिवहन कार्यालय का शुभारंभ भवन

28. (क्र. 1755) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी जिले में जिला परिवहन कार्यालय का शुभारंभ कब किया गया था ? क्या उक्त परिवहन कार्यालय स्वयं के भवन या किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है ? यदि किराये के भवन संचालित हो रहा है तो स्वयं के भवन की स्वीकृति कब तक कर ली जावेगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : धमतरी जिले में जिला परिवहन कार्यालय का शुभारंभ ग्राम-रुद्री में दिनांक 03 अगस्त 2005 को किया गया था, उक्त जिला परिवहन कार्यालय जल संसाधन विभाग के शासकीय भवन में संचालित है. जिला परिवहन कार्यालय के लिए नवीन भवन हेतु खसरा नं. 470, रकबा-0.96 हेक्टेयर, ग्राम-भोयना, तहसील व जिला-धमतरी छ. ग. में आबंटित किया गया है. भवन निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में स्वीकृति दी गई है तथा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग-धमतरी द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है.

धमतरी जिले में हाथियों से सम्पत्ति एवं जनहानि का मुआवजा

29. (क्र. 1756) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में हाथियों का दल कब-कब पहुंचा एवं हाथियों के दल आने से कितनी सम्पत्ति एवं जनहानि के प्रकरण प्राप्त हुए ? क्या क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा ? (ख) क्षेत्र में हाथियों से हो रहे नुकसान से बचने के लिए शासन द्वारा स्थायी समाधान के लिए क्या कार्य योजना बनायी गई है बतावे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धमतरी जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में हाथियों का दल दिनांक 03-06-2020, 05-01-2021 एवं 30-01-2021 को पहुंचा. हाथियों के दल आने से 96362 रुपये की फसल क्षति हुई, जनहानि नहीं हुई. 11000 रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान हो गया है शेष 85362 रुपये का भुगतान जिला कोषालय से स्वीकृति प्राप्त होते ही कर दी जायेगी. (ख) विभाग द्वारा हाथियों से हो रहे नुकसानी के समाधान हेतु निम्नानुसार कार्य योजना अपनाई जा रही है :-

- क्षेत्र में हाथियों से हो रहे नुकसानी से बचने हाथियों को जंगलों में ही सीमित करने हेतु हाथी रहवास, विकास अंतर्गत पानी एवं चारा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
- गांव के आस-पास हाथियों की समूह की आगमन की सूचना ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा मुनादी कर दी जाती है, तथा आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से “हमर हाथी हमर गोठ ” कार्यक्रम के माध्यम से हाथी विचरण की जानकारी प्रसारित कर सतर्क किया जाता है.
- गजराज वाहन, गश्ती वाहन से हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन अमला पहुंच कर जनहानि एवं संपत्ति हानि से बचाव एवं सुरक्षा हेतु प्रयास किया जाता है.
- हाथी विचरण क्षेत्र के ग्रामीणों को हाथियों से बचाव हेतु उपायों को प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है.
- गांव में गठित हाथी मित्र दल द्वारा ग्रामीणों को तत्कालिक सहायता एवं वन अमलों को त्वरित सूचना दी जाती है.
- आवश्यकतानुसार सायरन, प्लेश लाईट का उपयोग कर हाथियों को आबादी क्षेत्र में प्रवेश से रोका जाता है.

जिला जांजगीर चाम्पा में संचालित चूना पत्थर, डोलोमाईट की खदानें

30. (क्र. 1771) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में चूना पत्थर, डोलोमाईट की खदान कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) उक्त चूना पत्थर, डोलोमाईट खदान के मालिक के नाम, स्थान, खसरा, रकबा सहित बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) जिला जांजगीर-चांपा में खनिज चूनापत्थर एवं डोलोमाईट की संचालित खदानों के पट्टाधारी के नामवार, स्थानवार, खसरावार, रकबावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

ऑनलाईन ई-टेंडर अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

31. (क्र. 1775) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक कितनी-कितनी राशि के किन-किन कार्यों के लिए ऑनलाईन ई-टेंडर किये गये ? (ख) प्रश्न “क” के किन-किन टेंडरों की तिथि बढ़ाई गई एवं किन-किन टेंडरों को निरस्त किया गया है ? जिन टेंडरों को निरस्त किया गया है उसका क्या कारण है ? (ग) क्या उक्त टेंडर प्रक्रिया को रोकने एवं जारी करने में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 10 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कितनी-कितनी राशि के किन-किन कार्यों के लिए आमंत्रित ऑन-लाइन ई-टेंडर की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	लागत राशि (रु. लाख में)	कार्य का विवरण	निविदा जारी किये गये कार्यालय का नाम
1.	196.70	डमरा आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत अशुद्ध जल वाहिनी जोड़ने एवं बिछाने का कार्य.	निविदा प्रकोष्ठ, रायपुर
2.	388.20	डमरा आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत शुद्ध जल वाहिनी जोड़ने एवं जल वितरण प्रणाली जोड़ने एवं बिछाने का कार्य.	निविदा प्रकोष्ठ, रायपुर
3.	24.86	ग्राम मिलौनी योजना अंतर्गत जल वितरण राईजिंगमेन प्रणाली एवं स्विच रूम निर्माण कार्य.	कार्यपालन अभियंता, जांजगीर-चांपा

(ख) प्रश्न “क” के अनुसार डमरा आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत अशुद्ध जल वाहिनी तथा शुद्ध जल वाहिनी एवं जल वितरण प्रणाली जोड़ने एवं बिछाने कार्य के 02 टेंडरों की तिथि बढ़ाई गई है. डमरा आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत शुद्ध जल वाहिनी एवं जल वितरण प्रणाली जोड़ने एवं बिछाने कार्य के निविदा की वैधता बढ़ाने हेतु टेकेदारों से अनुरोध किया गया. टेकेदार द्वारा वैधता नहीं बढ़ाने के कारण निविदा विचार योग्य नहीं है. ग्राम मिलौनी योजना अंतर्गत जल वितरण राईजिंगमेन प्रणाली एवं स्विच रूम निर्माण कार्य की निविदा जल जीवन मिशन में लिये जाने के कारण निरस्त किया गया है. (ग) जी नहीं. अतः दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

कैम्पा मद से स्वीकृत राशि

32. (क्र. 1776) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-2021 तक जांजगीर-चांपा जिले के वन मंडल को कितनी राशि राज्य कैम्पा मद से कब-कब प्राप्त हुई है ? वन मण्डलवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्न “क” से संदर्भित राशि का प्रयोग किस-किस कार्य के लिए खर्च किया गया है ? वनमंडलवार जानकारी देवें ? (ग) क्या उक्त राशि के प्रयोग में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? वनमंडलवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-2021 तक जांजगीर-चांपा जिले अंतर्गत वनमण्डल को राज्य कैम्पा मद से प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि (रु. लाख में)	प्राप्त राशि का दिनांक
(1)	(2)	(3)
2019-20	10.00	06-08-2019, 06-09-2019
	45.30	07-11-2019
	161.80	08-11-2019, 14-11-2019
	9.98	24-12-2019
	11.01	27-01-2020
	269.07	07-02-2020
	417.44	19.03-2020
योग	924.60	

(1)	(2)	(3)
2020-21	0.28	28-04-2020
(दिनांक 05-02-2021 तक)	21.97	13-05-2020
	15.32	01-06-2020
	8.25	27-06-2020
	1.57	06-08-2020
	201.82	18-09-2020, 21-09-2020
	0.32	21-09-2020
	9.12	27-10-2020
	37.95	02-11-2020
	7.86	05-11-2020
	0.35	31-12-2020
	208.79	12-01-2021
	10.62	12-01-2021
योग	524.22	
कुल योग	1448.82	

(ख) प्राप्त राशि निम्नानुसार कार्यों हेतु खर्च की गई है :-

वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम
2019-20 एवं 2020-21 (दिनांक 05-02-2021 तक)	वन सुरक्षा हेतु पेट्रोलिंग, अग्नि सुरक्षा कार्य, चैनलिंग फेसिंग कार्य, डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण, लेन्टाना उन्मूलन कार्य, बांस मिरों की सफाई कार्य, नरवा विकास कार्य, स्ट्राईक फोर्स वाहनों के विशेष मरम्मत कार्य, परिक्षेत्र कार्यालय भवन निर्माण, परिक्षेत्र अधिकारी आवास भवन निर्माण, नदी तट वृक्षारोपण कार्य, बी.एम.सी. गठन एवं पी.बी.आर. निर्माण कार्य एवं संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा आदि कार्य.

(ग) जी हॉ. नरवा विकास एवं डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत माननीय पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू से प्राप्त हुई है. जिसकी जांच उपरान्त वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल के पत्र क्रमांक 6235, दिनांक 23-09-2020 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को शिकायत नस्तीबद्ध करने हेतु प्रेषित की गयी थी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 5783, दिनांक 09-12-2020 के अनुसार शिकायत को नस्तीबद्ध किया जा चुका है.

लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन

33. (क्र. 1781) श्री अरुण वीरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत किन-किन सेवाओं को सम्मिलित किया गया है ? (ख) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक लोक सेवा गारंटी के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने अनुमोदित हुए हैं ? कितने वापस हुए ? कितने लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत कुल 260 सेवाएं अधिसूचित हैं. जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक लोक सेवा गारंटी के तहत कुल 1,77,73,279 आवेदन प्राप्त हुए. 1,72,61,753 आवेदन अनुमोदित हुए. 4,54,547 आवेदन वापस हुए. 62,725 आवेदन लंबित हैं.

बस्तर संभाग अंतर्गत तैदूपत्ता के हितग्राहियों को भुगतान

34. (क्र. 1782) श्री अरुण वीरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बस्तर संभाग में वर्ष 2019 तथा 2020

में तोड़े गए तेंदूपत्ता का भुगतान हितग्राहियों को पूर्ण रूप से कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कितना शेष है ? लंबित राशि का भुगतान कब तक दिया जाएगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हों. बस्तर संभाग में वर्ष 2019 तथा 2020 में तोड़े गए तेंदूपत्ता का निर्धारित संग्रहण दर के अनुसार संग्रहकों को भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है. संग्रहण दर अनुसार भुगतान शेष नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित भवन

35. (क्र. 1787) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 1-1-2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कितनी कॉलोनी/व्यावसायिक क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकसित किया गया है ? कितने आवास/दुकान का निर्माण किया गया है कितने बिक गए हैं, कितने रिवत हैं, क्षेत्रवार लागत सहित जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के क्षेत्रों में कितने हितग्राहियों को फ्री होल्ड किया गया है ? कितने को नहीं और कब तक किया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) 02 आवेदकों को फ्री होल्ड किया गया है एवं 656 हितग्राहियों से फ्री होल्ड करने हेतु आवेदन पत्र अप्राप्त है, आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड करने की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा.

शांति नगर कॉलोनी की जमीन का अन्य विभाग में हस्तांतरण

36. (क्र. 1788) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 11-2-2021 की स्थिति में गृह निर्माण मण्डल के ऊपर कितना लोन है एव इसका प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जाता है ? (ख) शांतिनगर कालोनी को तोड़कर किन नियमों के तहत निर्माण किया जा रहा है ? वर्तमान में मास्टर प्लान में तथा राजस्व में किस उपयोग के लिये उक्त कालोनी को चिन्हित किया गया है ? (ग) प्रश्नांश “ख” के अनुसार एक विभाग की जमीन दूसरे विभाग को हस्तांतरित करने हेतु क्या नियम है तथा उपयोग परिवर्तन के क्या नियम है क्या इसका पालन किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) दिनांक 11-2-2021 की स्थिति में गृह निर्माण मंडल के ऊपर राशि रुपये 8,69,62,68,623/- (रुपये आठ सौ उनहत्तर करोड़ बैसठ लाख अड़सठ हजार छः सौ तेईस) लोन है एवं इस पर प्रति वर्ष एम.सी.एल.आर. आधारित वार्षिक पुर्ननिर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है. दिनांक 11-2-2021 की स्थिति में ब्याज दर केनरा बैंक हेतु 8.50 प्रतिशत एवं इलाहाबाद बैंक हेतु 7.30 प्रतिशत है. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की अधिनियम 1972 की धारा के तहत निर्माण किये जाने की योजना विचाराधीन है. भूमि मास्टर प्लान में आवासीय तथा राजस्व में शासकीय भूमि चिन्हित है. (ग) राजस्व परिपत्र के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23-क के अंतर्गत प्रावधान है. चूकि प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण की कार्ययोजना विचाराधीन है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा

37. (क्र. 1791) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2019 से 2020 तक कौन-कौन सी घोषणाएं की गई वर्षवार विवरण दें ? (ख) उक्त घोषणाओं में से कितनी पूर्ण की जा चुकी हैं ? अपूर्ण घोषणाएं कब तक पूर्ण की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	दिनांक	घोषणा का विवरण
1.	2019	09-11-2019	चिरमिरी में एडवेचर पार्क के लिए 40.00 करोड़ की घोषणा.
2.	2020	11-12-2020	चिरमिरी तहसील चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना.
3.	2020	12-12-2020	राज्य में अगला मेडिकल कॉलेज चैनपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ (चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ मार्ग में) खोला जायेगा.

(ख)

क्र.	घोषणा का विवरण	घोषणा की अद्यतन स्थिति
1.	चिरमिरी में एडवेचर पार्क के लिए 40.00 करोड़ की घोषणा.	चिरमिरी में एडवेचर पार्क निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास मद में स्वीकृत 1.00 करोड़ का प्रावधान करते हुए प्रथमतः रु. 20.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति आयुक्त नगर निगम को दी गई है.
2.	चिरमिरी तहसील चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना.	प्रक्रियाधीन
3.	राज्य में अगला मेडिकल कॉलेज चैनपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ (चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ मार्ग में) खोला जायेगा.	प्रक्रियाधीन

जिला राजनांदगांव में नल जल योजना की स्वीकृति

38. (क्र. 1793) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के ग्रामों में विगत 2 वर्षों में कितनी नल जल योजना की स्वीकृति दी गयी है ? (ख) 05-2-21 तक कितने ग्रामों में इस योजना को पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है ? कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) राजनांदगांव जिले के ग्रामों में विगत 02 वर्षों में (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक) 424 नल जल योजना की स्वीकृति दी गई है. (ख) 05-02-2021 तक 06 ग्रामों की नलजल योजना को पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है. 418 ग्रामों में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है.

राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमण्डल को केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं से प्राप्त राशि

39. (क्र. 1794) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 05-02-2021 तक दुर्ग वन वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मंडल को केन्द्र या राज्य पोषित योजनाओं के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2019-20 से 05-02-2021 तक दुर्ग वनवृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमण्डल को केन्द्र या राज्य पोषित योजनाओं के तहत कुल 7219.73 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई है. (ख) कार्यवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में सोलर पावर प्लांट की स्थापना

40. (क्र. 1795) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड के 150 मेगावॉट सोलर प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्य हेतु किन-किन गांवों में भूमि अधिग्रहित कर कितने लोगों को मुआवजा राशि प्रदान की गयी है ? (ग) क्या प्लांट की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य/डीपीआर पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हाँ तो विकासखण्डवार, अधिग्रहित भूमि की ग्रामवार जानकारी देवे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखण्ड में सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है. (ख) उक्त कार्य हेतु ग्राम रेंगाकटेरा,

डुंडेरा, अमलीडीह, ढाबा, कोहका, ओडारबांध, टोलागांव, मारगांव, गिरगांव एवं घुघवा कुल 10 ग्रामों में उपलब्ध शासकीय भूमि का आबंटन ऊर्जा विभाग को किया गया है। निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। (ग) जी हॉ. उच्च सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य/ डीपीआर पूर्ण कर लिया गया है। निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है अपितु संयंत्र लगाने बाबत आबंटित एवं चयनित शासकीय भूमि का विकासखण्डवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :-

क्र.	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	रकबा (हेक्टेयर में)	संयंत्र स्थापना आबंटित भूमि में से चयनित शासकीय भूमि (हेक्टेयर में)
1.	रेंगाकटेरा	डोंगरगढ़	8.079	3.222
2.	डुंडेरा	डोंगरगढ़	25.111	13.715
3.	अमलीडीह	डोंगरगढ़	40.560	5.133
4.	ढाबा	डोंगरगांव	63.042	38.784
5.	कोहका	डोंगरगांव	44.414	6.383
6.	ओडारबांध	डोंगरगांव	53.336	30.784
7.	टोलागांव	डोंगरगांव	51.092	43.400
8.	मारगांव	डोंगरगांव	19.668	9.789
9.	गिरगांव	डोंगरगांव	52.878	37.550
10.	घुघवा	डोंगरगांव	19.243	0.000
कुल योग			377.423	188.760

राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो/एटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज प्रकरण

41. (क्र. 1799) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो/एटी करप्शन ब्यूरो में कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) कितने प्रकरणों में प्रारंभिक जांच की कार्यवाही संपन्न की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो/एटी करप्शन ब्यूरो में कुल 101 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। (ख) कुल 30 प्रकरणों में प्रारंभिक जांच की कार्यवाही संपन्न की गई।

संरक्षित प्रजाति के लकड़ियों/लट्टा का अवैध संग्रहण/परिवहन

42. (क्र. 1800) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में बिलासपुर क्षेत्र की आरामिलों का आकस्मिक निरीक्षण कब-कब किया गया ? (ख) कंडिका “क” की अवधि में संरक्षित प्रजाति के लकड़ी, लट्टा के अवैध परिवहन, संग्रहण के कितने मामले कहां-कहां दर्ज किए गए कितनी-कितनी मात्रा में लकड़ियों की जप्ती बनाई गई ? लकड़ियों की प्रजाति सहित ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “ख” के प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में बिलासपुर क्षेत्र की आरामिलों के आकस्मिक निरीक्षण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) कंडिका “क” की अवधि में संरक्षित प्रजाति के लकड़ी, लट्टा के अवैध परिवहन के 06 प्रकरण एवं अवैध संग्रहण के 71 प्रकरण, इस प्रकार कुल 77 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। संरक्षित प्रजाति के लकड़ी, लट्टा के अवैध परिवहन की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं अवैध संग्रहण के प्रकरणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है। (ग) कंडिका “ख” के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं 03 में दर्शित है।

जांजगीर वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच

43. (क. 1803) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस वित्तीय वर्ष में जांजगीर वन मंडल अधिकारी के विरुद्ध विभाग में कार्यरत रेंजर के द्वारा शिकायत की गई है ? (ख) यदि हां तो किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि सीसीएफ के द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो उनके द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई है तथा जांच में कौन दोषी पाया गया है व दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हाँ. (ख) श्री एम. आर. साहू, वनक्षेत्रपाल, वनमण्डल जांजगीर-चांपा द्वारा वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा के विरुद्ध विभागीय कार्यों से प्रताड़ना की शिकायत की गई है. (ग) जी हाँ. शिकायत पूर्णतः असत्य एवं निराधार पायी गयी शिकायत असत्य होने पर कोई भी दोषी नहीं पाया गया अतः कार्रवाई का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

सहायक ऑपरेटर के विरुद्ध शिकायत की जांच

44. (क. 1804) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वा/आ लाइफ मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग में दिनांक 5-2-21 की स्थिति में कौन-कौन सहायक ऑपरेटर कार्यरत हैं तथा किन-किन सहायक ऑपरेटर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ख) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कुरा, वि.ख. नवागढ़ के उप सरपंच व पंचगणों के द्वारा कार्यपालन अभियंता पीएचई विभाग व कलेक्टर बेमेतरा को (21 जनवरी 2021) ग्राम पंचायत मऊ के सहायक ऑपरेटर के विरुद्ध शिकायत की गई थी ? (ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) : (क) वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग में दिनांक 05-02-2021 की स्थिति में कोई भी सहायक ऑपरेटर कार्यरत नहीं है. अतः सहायक ऑपरेटर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) जी नहीं. ग्राम पंचायत कुरा, विकासखण्ड नवागढ़ के उप सरपंच व पंचगणों के द्वारा कार्यपालन अभियंता, पी.एच.ई. (लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग) को पंचायत मऊ के सहायक ऑपरेटर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है अपितु कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत कुरा, विकासखण्ड नवागढ़ के उप सरपंच व पंचगणों के द्वारा कार्यपालन अभियंता वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग को (दिनांक 26-03-2020) द्वारा ग्राम पंचायत मऊ के अकुशल सहायक के विरुद्ध शिकायत की गई थी. (ग) कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट उप संभाग बेमेतरा के आदेश क्रमांक 814/अवि.लि./2020-21/बेमेतरा दिनांक 04-12-2020 द्वारा संबधित श्री सत्यसुकृत बघेल अकुशल सहायक को टेमरी इकाई के नारायणपुर 62 नम्बर नलकूप एवं अमलडीहा 316 से हटाकर बेमेतरा में कार्यालयीन कार्य करने हेतु पदस्थ किया गया है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

विभिन्न राज्यों को विद्युत क्रय

45. (क. 1807) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 05 फरवरी 2021 तक विभाग के द्वारा कितनी बिजली किन-किन राज्यों को किस दर पर बेची गई है ? वर्षवार, राज्यवार जानकारी दें. (ख) दिनांक 05 फरवरी 21 की स्थिति में किस-किस राज्य पर कितनी-कितनी राशि कब से शेष है ? इन्हें प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है ? (ग) प्रदेश में किन-किन उद्योगों व व्यवितियों के ऊपर 10 लाख रुपये से अधिक बिजली बिल दिनांक 05 फरवरी 2021 की स्थिति में बकाया है व कब से है तथा इन्हें कब तक वसूल किया जावेगा ? क्या राशि ब्याज सहित वसूलने के नियम हैं. यदि हां तो क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 05 फरवरी, 2021 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य की पॉवर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को बेची गई बिजली की वर्षवार मात्रा एवं औसत दर का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) दिनांक 05 फरवरी 21 की स्थिति में तेलंगाना राज्य की पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर शेष राशि एवं उसकी अवधि का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. उक्त शेष राशि को प्राप्त करने हेतु तेलंगाना राज्य की पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ नियमित रूप से पत्राचार किये जा रहे हैं. मुगतान विलंब की स्थिति में 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन अधिभार देय है. (ग) प्रदेश में 141 उद्योगों एवं उपभोक्ताओं पर दिनांक 05-02-2021 की स्थिति में रुपये 10 लाख से अधिक बिजली बिल की बकाया राशि रुपये लगभग 407 करोड़ 42 लाख है. बकाया राशि वाले उद्योगों एवं उपभोक्ताओं की सूची तथा “कब से बकाया है” कि जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है. 141 उपभोक्ताओं में से 35 उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 05-02-2021 से दिनांक 25-02-2021 की अवधि में राशि रुपये 14 करोड़ 57 लाख का

भुगतान कर दिया गया है. बकाया राशि की वसूली हेतु 38 कनेक्शनों को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है, जिनके विरुद्ध राशि रुपये 77 करोड़ 49 लाख बकाया है. विच्छेदित उपभोक्ताओं में से 22 उपभोक्ताओं को “आर.आर.सी.” 15 उपभोक्ताओं को “सी” फार्म एवं 01 उपभोक्ताओं को “बी” फार्म, जारी किया गया है, जिनके विरुद्ध क्रमशः राशि रुपये 70 करोड़ 06 लाख, 07 करोड़ 32 लाख एवं 10 लाख बकाया राशि है. 30 उपभोक्ता जिनके विरुद्ध राशि रुपये 273 करोड़ 31 लाख बकाया राशि है. के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है. बकाया राशि की वसूली हेतु कंपनी के मैदानी अधिकारी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, चूंकि यह सतत प्रक्रिया है, अतः पूर्ण बकाया राशि की वसूली हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत अधिभार देय है.

सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की प्रदाय

46. (क्र. 1808) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में कुल कितने ग्रामों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान की जा रही है ? (ख) इनमें से कितने ग्रामों में विभाग द्वारा स्थापित उपकरण संचालित हैं व कितने ग्रामों में कब से बंद है और उन्हें कब तक चालू किया जावेगा. (ग) कितने आश्रम छात्रावास में क्रेडा के द्वारा बिजली लगाई गई है इनमें कितने संस्थाओं में उपकरण संचालित व चालू हैं व कितने बंद है व कब से बंद है और कब तक चालू किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गरियाबंद जिले में कुल 58 ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से बिजली प्रदान की जा रही है. (ख) उत्तरांश “क” अंतर्गत ग्रामों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की बंद एवं चालू की जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है. बंद संयंत्रों को 15 दिवस में चालू कर दिया जावेगा.

क्र.	संयंत्र का प्रकार	ग्रामों की संख्या	स्थापित संयंत्रों की संख्या	कार्यशील संयंत्र की संख्या	अकार्यशील संयंत्र की संख्या	संयंत्र कब से बंद है
1.	सोलर पावर प्लांट	47	112	112	0	-
2.	सोलर होमलाईट	11	1845	1728	11 ग्रामों के 117 संयंत्र	माह जनवरी 2021 से

(ग) जिला गरियाबंद के 27 आश्रम छात्रावासों में बिजली हेतु कुल 42 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये गये हैं. इनमें से सभी 42 संयंत्र कार्यशील है. शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

जनघोषणा पत्र को आत्मसात कर उसकी घोषणाओं पर कार्यवाही

47. (क्र. 1811) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ के अभिभाषण (बजट सत्र 2019) में जन घोषणा पत्र 2018 को सरकार द्वारा आत्मसात करने का उल्लेख किया गया था ? (ख) यदि हां, तो जन घोषणा पत्र में पत्रकारों, वकीलों व डॉक्टरों के संरक्षण हेतु क्या घोषणा की गई थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्या राज्य में लोकपाल लागू करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. (ख) हाँ. पत्रकारों, वकीलों व डॉक्टरों के संरक्षण हेतु कानून बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है. जी हाँ, राज्य में लोकपाल लागू करने की घोषणा की गई थी. छत्तीसगढ़ राज्य में लोकायुक्त का गठन किया गया है, वर्तमान में लोकायुक्त के पद पर माननीय जस्टिस श्री टी.पी.शर्मा पदस्थ है. छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व से प्रमुख लोकायुक्त पदस्थापना होने के फलस्वरूप लोकपाल बनाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है.

भारत नेट परियोजना के कार्यों की स्थिति

48. (क्र. 1812) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नेट परियोजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है यदि हाँ तो भारत नेट परियोजना क्या है व इसमें क्या कार्य किये जा रहे हैं ? (ख) क्या प्रदेश में पंचायतों को आर्टिकल फाईबर केबल के माध्यम से जोड़ने के कार्य आबंटित किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्य किस संस्था को दिया गया है व कितनी राशि का था ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था, क्या निर्धारित समय में पूर्ण हुआ ? यदि नहीं तो कार्य करने वाली संस्था पर कितना जुर्माना लगाया गया व संस्था के द्वारा कितनी राशि जुर्माने के रूप में जमा किये ? अनुबंध/निविदा की शर्तों के अनुसार समय पर कार्य पूर्ण न करने पर जुर्माना/कार्यवाही के क्या प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी.हॉ. भारतनेट परियोजना यूनीवर्सल सर्विसेस अबिलेगशन फंड (USOF) के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजना है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फायबर से कनेक्टिविटी दी जाना है। परियोजना अंतर्गत राज्य की 85 जनपद पंचायतों की 5987 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर से कनेक्टिविटी दी जाने का कार्य प्रगति पर है। (ख) जी.हॉ. उक्त कार्य मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। परियोजना की लागत रु. 2155.26 करोड़ है। उक्त कार्य को एक वर्ष में पूर्ण किया जाना था, कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न होने के कारण अवधि बढ़ाई गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अनुबंध/निविदा शर्तों में समय पर कार्य पूर्ण न करने का प्रावधान परिशिष्ट में † संलग्न है।

जिला बस्तर में डी.एम.एफ.टी. मद से विभिन्न विभागों को आबंटित राशि

49. (क्र. 1833) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्तर में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में डी.एम.एफ.टी.फंड से रेशम, उद्यानिकी, कृषि, आदिम जाति कल्याण विभाग, वन एवं ग्रामीण उद्योग विभाग को कितनी राशि आबंटित की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जिला बस्तर में वर्ष 2019-20 में डी.एम.एफ.टी. फंड से उद्यानिकी विभाग को राशि 102.12 लाख रुपये आबंटित किया गया है। रेशम, कृषि, आदिम जाति कल्याण विभाग, वन एवं ग्रामोद्योग विभाग को कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। वर्ष 2020-21 में उद्यानिकी विभाग को राशि 3.43 लाख रुपये, कृषि विभाग को राशि 20.03 लाख रुपये एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को राशि 112.17 लाख रुपये डी.एम.एफ.टी. फंड से राशि आबंटित की गई है। रेशम, वन एवं ग्रामोद्योग विभाग को कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

प्रदेश में न्यायालयीन भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान

50. (क्र. 1836) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में प्रदेश में कितने न्यायालयीन भवन (कोर्ट बिल्डिंग) हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था ? (ख) उक्त प्रावधानित राशि से कितने स्थानों पर न्यायालयीन भवन हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ग) वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कितने न्यायालय संचालित हो रहे हैं, जिनका स्वयं का भवन नहीं है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) 20 न्यायालयीन भवन (कोर्ट बिल्डिंग) हेतु 90.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (ख) उक्त प्रावधानित राशि में से दो स्थानों के लिए न्यायालयीन भवनों के निर्माण हेतु कुल राशि 21.35 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ग) वर्तमान में प्रदेश में 2 न्यायालय ऐसे हैं, जिनका स्वयं का भवन नहीं है।

कैपा के तहत आबंटित राशि

51. (क्र. 1837) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में विभाग को कैपा निधि के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त राशि से प्रदेश के किस-किस जिले में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में विभाग को कैपा निधि के अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई :-

वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ में)
2019-20	500.00
2020-21	537.50
योग	1037.50
(एक हजार सैतीस करोड़ पचास लाख मात्र)	

(ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान


52. (क्र. 1842) **श्री चंदन कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 05-2-21 तक गरीबी उल्मूलन एवं आर्थिक विकास हेतु कितने लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये तथा इस हेतु कितनी-कितनी राशि, उद्योग लगाने हेतु दी गई ? वर्षवार सूची उपलब्ध करावे ? (ख) प्रदत्त ऋणों में हितग्राहियों के लिए कितना-कितना अनुदान स्वीकृत किया गया ? क्या सभी व्यक्तियों को अनुदान की राशि दे दी गई ? (ग) यदि नहीं, तो कितना अनुदान दिया जाना शेष है ? वर्षवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 05-02-21 तक गरीबी उल्मूलन एवं आर्थिक विकास हेतु 15 लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये तथा इस हेतु राशि रु. 54.00 लाख उद्योग लगाने हेतु दी गई. वर्षवार सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रदत्त ऋणों में हितग्राहियों के लिए राशि रु. 14.90 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है. सभी व्यक्तियों को अनुदान की राशि नहीं दी गई है. (ग) राशि रु. 7.50 लाख अनुदान दिया जाना शेष है. वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बजट सत्र

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1778) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में, 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में सड़क किनारे हेतु स्वीकृत राशि का मदवार/योजनावार, रोपित पौधों का लक्ष्य, रोपित पौधों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण

वर्ष	मद/योजना का नाम	पौधा रोपण का लक्ष्य (संख्या)	रोपित पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
2019-20	विभागीय	61500	61500	426.36	414.37
2019-20	मनरेगा	4300	4300	39.668	20.89
2019-20	ए.डी.बी.	1000	1000	11.070	10.420
2019-20	जिला सेक्टर	4085	4085	53.95	28.99
	योग :-	70885	70885	531.04	474.67
2020-21	विभागीय	37300	37300	300.04	231.89
2020-21	कैम्पा योजना	766	766	7.58	2.60
2020-21	मनरेगा	349193	336186	4114.02	887.02
2020-21	हरियर छ.ग. कोष	71906	71906	605.33	521.26
2020-21	वनजमा प्रेषण	9800	9800	72.14	56.36
2020-21	ए.डी.बी.	11892	11892	85.24	65.16
2020-21	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	10500	10500	16.2229	7.36226
2020-21	पी.डी. योजना (अन्य विभाग)	8000	8000	79.52	51.71
	योग :-	499357	486350	5280.09	1823.37

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 53) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	भलुआगढ़ा नाला 677	कक्ष क्रमांक - 677	ब्रशवुड चेकडेम निर्माण	0.785
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	7.831
								गेबियन संरचना निर्माण	7.817
								परकुलेशन टैंक निर्माण	5.803
								कन्दुर ट्रेंच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.990
								डबरी / तालाब निर्माण	23.847
								योग - भलुआगढ़ा नाला	49.074
2	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	ठेगरवा नाला 678	कक्ष क्रमांक - 678	ब्रशवुड चेकडेम निर्माण	0.238
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	7.196
								गेबियन संरचना निर्माण	12.614
								परकुलेशन टैंक निर्माण	5.803
								कन्दुर ट्रेंच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	1.753
								योग - ठेगरवा नाला	27.605
								3	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक
अर्दन गुली प्लग निर्माण	0.053								
लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.207								
गेबियन संरचना निर्माण	2.029								
कन्दुर ट्रेंच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.898								
योग - भुकभुका नाला	11.055								
4	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	भैसासुर नाला पी 702	कक्ष क्रमांक - पी 702		
								अर्दन गुली प्लग निर्माण	0.274
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	5.921
								गेबियन संरचना निर्माण	18.018
								योग - भैसासुर नाला	24.407

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)		
5	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	पैरी नाला 691	कक्ष क्रमांक - 691	परकुलेशन टैंक निर्माण	5.619		
								योग-पैरी नाला	5.619		
6	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	गौडघवा नाला 692	कक्ष क्रमांक - 692	ब्रशबुड चेकडेम निर्माण	0.353		
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	1.990		
								गेबियन संरचना निर्माण	10.165		
								परकुलेशन टैंक निर्माण	4.845		
								कन्दुर ट्रेच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.995		
								योग-गौडघवा नाला	20.349		
7	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	चिरकोली नाला 698	कक्ष क्रमांक - 698	ब्रशबुड चेकडेम निर्माण	0.251		
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.332		
								गेबियन संरचना निर्माण	9.693		
								परकुलेशन टैंक निर्माण	4.372		
								कन्दुर ट्रेच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.976		
								योग-चिरकोली नाला	19.625		
8	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	आमानाला पी. 703	कक्ष क्रमांक - पी. 703	ब्रशबुड चेकडेम निर्माण	0.177		
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	8.878		
								योग-आमानाला पी. 703	9.055		
								आमानाला पी. 704	कक्ष क्रमांक - पी. 704	ब्रशबुड चेकडेम निर्माण	0.612
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण		10.085	
								योग-आमानाला पी. 704		10.697	
9	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	मनीहारी नाला 761 भाग - 1	कक्ष क्रमांक - 761	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.003		
								गेबियन संरचना निर्माण	8.594		
								योग-मनीहारी नाला 761 भाग - 1	10.597		
									मनीहारी नाला 761 भाग - 2	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.047
									गेबियन संरचना निर्माण	12.068	
									परकुलेशन टैंक निर्माण	5.613	
		योग-मनीहारी नाला 761 भाग - 2	19.728								

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मंड का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
10	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	कोईलारीबारी नाला 762	कक्ष क्रमांक - 762	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	6.494
								गेबियन संरचना निर्माण	66.015
								योग : कोईलारीबारी नाला	72.508
11	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	कोठीगढ़ई नाला 763	कक्ष क्रमांक - 763	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	3.092
								गेबियन संरचना निर्माण	12.068
								योग : कोठीगढ़ई नाला	15.160
12	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	बेलहिया नाला 809	कक्ष क्रमांक - 809	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	7.049
								गेबियन संरचना निर्माण	17.864
								स्टॉपडेम निर्माण	11.616
								कन्दुर ट्रेच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.656
								डबरी / तालाब निर्माण	17.967
								योग : बेलहिया नाला	57.152
13	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	हाथी च्युल नाला 810 ए	कक्ष क्रमांक - 810 ए	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.014
								गेबियन संरचना निर्माण	17.419
								स्टॉपडेम निर्माण	13.640
								डबरी / तालाब निर्माण	28.508
								योग : हाथी च्युल नाला	63.581
14	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	लालमठठा नाला 811	कक्ष क्रमांक - 811	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.014
								गेबियन संरचना निर्माण	15.254
								स्टॉपडेम निर्माण	7.728
								डबरी / तालाब निर्माण	6.404
								योग : लालमठठा नाला	33.399
15	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	जमतिठिहाई नाला 812	कक्ष क्रमांक - 812	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.763
								गेबियन संरचना निर्माण	25.456
								कन्दुर ट्रेच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	2.98
								डबरी / तालाब निर्माण	28.30
								योग : जमतिठिहाई नाला	61.509

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
16	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	कवरिन नाला 799	कक्ष क्रमांक - 799	स्टॉपडेम निर्माण	8.084
								कन्दुर ट्रैच निर्माण/कन्दुर बंड निर्माण	32.904
17	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	पटेल पानी नाला 903	कक्ष क्रमांक - 903	योग कवरिन नाला	40.988
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	0.846
18	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	परेवानाला 908	कक्ष क्रमांक - 908	योग पटेल पानी नाला	0.846
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	3.276
19	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	परेवा खटम्बर नाला 910	कक्ष क्रमांक - 910	योग परेवानाला	3.276
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	1.046
20	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	जिलोधार नाला 914	कक्ष क्रमांक - 914	परकुलेशन टैंक निर्माण	43.972
								अर्दन डेम निर्माण	117.259
21	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	परेवा कुन्टा नाला 915	कक्ष क्रमांक - 915	योग परेवा खटम्बर नाला	162.277
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	1.901
22	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	शक्ति नाला 916	कक्ष क्रमांक - 916	योग जिलोधार नाला	1.901
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	2.013
23	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	डोमरझिरिया नाला 936	कक्ष क्रमांक - 936	योग परेवा कुन्टा नाला	2.013
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	0.548
24	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	अमडहिया तुहानाला 961-962 भाग - 1	कक्ष क्रमांक - 916	योग शक्ति नाला 916	0.548
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	2.379
23	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	डोमरझिरिया नाला 936	कक्ष क्रमांक - 936	योग शक्ति नाला 918	2.379
								डबरी / तालाब निर्माण	25.220
24	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	अमडहिया तुहानाला 961-962 भाग - 2	कक्ष क्रमांक - 961	योग डोमरझिरिया नाला	26.520
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	0.988
24	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	अमडहिया तुहानाला 961-962 भाग - 2	कक्ष क्रमांक - 962	योग अमडहिया तुहानाला भाग - 1	0.988
								लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	0.283
								अर्दन डेम निर्माण	22.028
								योग अमडहिया तुहानाला भाग - 2	22.311

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
25	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	लोटन नाला 963	कक्ष क्रमांक - 963	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.641
								योग-लोटन नाला	2.641
26	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	जामुन नाला 964	कक्ष क्रमांक - 964	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	1.546
								योग-जामुन नाला	1.546
27	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	कैम्पा	दूरां नाला 966	कक्ष क्रमांक - 966	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.684
								योग-दूरां नाला 966	2.684
						दूरां नाला पी 1043	कक्ष क्रमांक - पी 1043	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	28.016
								मेबियन संरचना निर्माण	2.594
योग-दूरां नाला पी 1043		30.610							
28	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बहरासी	कैम्पा	जमाड़ नदी 1099	कक्ष क्रमांक - 1099	अर्दन गुली प्लग निर्माण	0.158
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	3.597
								स्टॉपडेम निर्माण	10.753
								कन्दुर ट्रेंच निर्माण/कन्दुर बंद निर्माण	4.064
योग-जमाड़ नदी		18.573							
29	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बहरासी	कैम्पा	गौहधारी नाला पी 1179	कक्ष क्रमांक - 1179	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.011
								योग-गौहधारी नाला	2.011
30	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुवारपुर	कैम्पा	बडकी नाला 1244	कक्ष क्रमांक - 1244	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	5.930
								मेबियन संरचना निर्माण	2.934
								स्टॉपडेम निर्माण	0.013
								योग-बडकी नाला 1244	8.877
31	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुवारपुर	कैम्पा	पलिहान नाला 1246	कक्ष क्रमांक - 1246	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.299
								मेबियन संरचना निर्माण	2.801
								योग-पलिहान नाला	5.101

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
32	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुवारपुर	कैम्पा	बड़की नाला 1249	कक्ष क्रमांक - 1249	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	3.779
								गेबियन संरचना निर्माण	5.856
								स्टॉपडेम निर्माण	0.010
								योग बड़की नाला 1249	9.646
33	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुवारपुर	कैम्पा	बेलवहिया नाला पी 1251	कक्ष क्रमांक - 1251	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.427
								गेबियन संरचना निर्माण	3.131
								स्टॉपडेम निर्माण	0.010
								योग बेलवहिया नाला	7.568
34	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	जनकपुर	कैम्पा	बाघमण्डल नाला पी 1357	कक्ष क्रमांक - 1357	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	4.709
								स्टॉपडेम निर्माण	0.018
								योग बाघमण्डल नाला	4.727
								ब्रशवुड चेकडेम निर्माण	0.081
35	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	नागमड़ा नाला	कक्ष क्रमांक - पी 704, 706, 707, 708,	अर्दन गुली प्लग निर्माण	0.052
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	2.424
								गेबियन संरचना निर्माण	5.090
								योग नागमड़ा नाला	7.646
								ब्रशवुड चेकडेम निर्माण	0.094
36	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	हसिया नाला	कक्ष क्रमांक - पी. 731, 733, 734, 735	लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	10.775
								गेबियन संरचना निर्माण	3.796
								योग हसिया नाला	14.571
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	0.783
37	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	शिवमन्दिर नाला	कक्ष क्रमांक - 705	गेबियन संरचना निर्माण	2.038
								योग शिवमन्दिर नाला	2.916
								लूज बोल्टर चेक डेम निर्माण	16.287
								गेबियन संरचना निर्माण	5.328
38	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	खडहिया नाला	कक्ष क्रमांक - 716, 718, 719, 720	योग खडहिया नाला	21.615

क्र.	वर्ष	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	उपचारित नाला का नाम	कार्य स्थल का नाम	कार्य का नाम (संरचना का नाम)	आर्थिक (राशि लाख में)
39	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	कैम्पा	बहियाधार नाला	कक्ष क्रमांक - 716, 718, 719, 720	लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	11.300
								गेबियन संरचना निर्माण	5.852
								योग - बहियाधार नाला	17.152
40	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	घटोल नाला	कक्ष क्रमांक - 826, 830, 831, पी. 837	डबरी / तालाब निर्माण	65.620
								योग - घटोल नाला	65.620
41	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	नागेन्द्रडबरा नाला	कक्ष क्रमांक - 818, 822, 823, 824, पी. 839	डबरी / तालाब निर्माण	16.267
								योग - नागेन्द्रडबरा नाला	16.267
42	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	कैम्पा	सतगाधार नाला	कक्ष क्रमांक - 799, पी. 804, 806, 807, 808,	डबरी / तालाब निर्माण	77.957
								योग - सतगाधार नाला	77.957
43	जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कुवारपुर	कैम्पा	धुंगरूधार नाला	कक्ष क्रमांक - पी. 1275, पी. 1279, पी. 1295	लूज बोल्डर चेक डेम निर्माण	8.768
								गेबियन संरचना निर्माण	3.548
								योग - धुंगरूधार नाला	12.317
कुल योग जनवरी 2019 से 27/01/2021 तक									1105.208

परिशिष्ट "तीन"
[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1461) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	वर्ष	कार्य स्थल का नाम	आर्थिक (राशि लाख में)
1	2	3	4
1	2018-19	-----निरक-----	
2	2019-20	कक्ष क्रमांक 195	7.780
3		कक्ष क्रमांक 173	9.500
4		कक्ष क्रमांक 186	4.320
5		कक्ष क्रमांक 185	3.883
6		कक्ष क्रमांक 154	6.910
7		कक्ष क्रमांक 200	3.460
8		कक्ष क्रमांक 198	6.910
9		कक्ष क्रमांक 130	6.740
10		कक्ष क्रमांक 137	5.620
11		कक्ष क्रमांक 139	5.981
12		कक्ष क्रमांक 141	4.320
13		कक्ष क्रमांक 92	4.320
14		कक्ष क्रमांक 150	6.862
15		कक्ष क्रमांक 151	6.050
16	कक्ष क्रमांक 155	4.320	
योग : वर्ष 2019-20			86.976
17	2020-21 (मार्च 2021 तक)	कक्ष क्रमांक 195	1.062
18		कक्ष क्रमांक 173	1.298
19		कक्ष क्रमांक 186	0.590
20		कक्ष क्रमांक 185	0.590

क्र.	वर्ष	कार्य स्थल का नाम	आर्थिक (राशि लाख में)
1	2	3	4
21	2020-21 (मार्च 2021 तक)	कक्ष क्रमांक 154	0.944
22		कक्ष क्रमांक 200	0.472
23		कक्ष क्रमांक 198	0.944
24		कक्ष क्रमांक 130	0.920
25		कक्ष क्रमांक 137	0.767
26		कक्ष क्रमांक 139	0.826
27		कक्ष क्रमांक 141	0.590
28		कक्ष क्रमांक 92	0.590
29		कक्ष क्रमांक 150	0.944
30		कक्ष क्रमांक 151	0.826
31		कक्ष क्रमांक 155	0.590
योग : वर्ष 2020-21			11.953
महायोग : माह अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक			98.929

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 182) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर के लिये विगत 2 वर्षों में विद्युत के खरखाव के लिये किये गये कार्य

क्र.	किये गये कार्य का विवरण	मात्रा
1.	33 के.व्ही. सी.टी. बदलने का कार्य	13 नग
2.	220/132 के.व्ही. सी.टी. का टैनडेल्टा टेस्टिंग का कार्य	109 नग
3.	220/132 के.व्ही. स्ट्रक्चर पेंटिंग का कार्य	01 नगउपकेन्द्र
4.	पावर ट्रांसफार्मर के पेंटिंग का कार्य	03 नग
5.	132/33 के.व्ही. लाइटनिंग अरेस्टर को बदलने का कार्य	16 नग
6.	132 के.व्ही. सर्किटब्रेकर को बदलने का कार्य	04 नग
7.	33 के.व्ही. सर्किटब्रेकर को बदलने का कार्य	05 नग
8.	33 के.व्ही. आइसोलेटर बदलने का कार्य	05 नग
9.	खराब जम्पर को बदलने का कार्य	68 नग
10.	खराब क्लैम्प को बदलने का कार्य	122 नग
11.	220/132 के.व्ही. फीडरों का थर्मोविजन सर्वे का कार्य	51 नग
12.	खराब यार्ड लाईट को बदलने एवं मरम्मत का कार्य	88 नग
13.	पावर ट्रांसफार्मर ऑयल का डी.जी.ए. टेस्टिंग का कार्य	06 नग
14.	पावर ट्रांसफार्मर में सिलिकाजेल के बदलने का कार्य	12 नग
15.	220 एवं 132 के.व्ही. उप-केन्द्रों में अर्थिंगपिट के रेनोवेशन का कार्य	06 नग

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा बिलासपुर शहर के लिये विगत 2 वर्षों में विद्युत के रखरखाव के लिये किये गये कार्य

क्रमांक	किये गये कार्यों का विवरण	मात्रा	
1	जर्जर खंभो का बदलना	226 नग	
2	झुके खंभो को सीधे करने का कार्य	159 नग	
3	मिड स्पान खंभे लगाना	118 नग	
4	लूज तारों को केबल में बदलना	519 स्पान	
5	जर्जर तारों को केबल में बदलना	376 स्पान	
6	इंसुलेटर बदलने का कार्य	625 नग	
7	खंभों की अर्थिंग का कार्य	53 नग	
8	नये स्टे लगाने का कार्य	82 नग	
9	ढीले स्टे तारों को टाईट करने का कार्य	165 नग	
10	ढीले तारों को खींचना	2378 स्पान	
11	फेल ट्रांसफार्मर बदलना	173 नग	
12	विद्युत लाईनों के नीचे आये वृक्षों की शाखाओं की काट-छॉट का कार्य	8628 स्पान	
13	डीपी जम्परों को बदलना	383 नग	
14	लाईटनिंग अरेस्टर लगाना	59 नग	
15	ट्रांसफार्मरों का रख-रखाव	अ- पॉवर ट्रांसफार्मर	102 नग
		ब- वितरण ट्रांसफार्मर	808 नग

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1769) के भाग (क) की जानकारी]

जिला जांजगीर चांपा में रेत उत्खननपट्टा खदानों का विकासखण्डवार जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	नदी का नाम	रकबा हेक्टर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नवागढ़	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं0 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ0ग0	महन्तपारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	महानदी	5.000 हे.
2	नवागढ़	श्री अभिषेक अग्रवाल, पिता श्री अशोक अग्रवाल, निवासी 1/212, श्रीकृष्णा राईस मिल, मुंगेली रोड वार्ड नं0 1, जिला बिलासपुर, छ0ग0	भोगहापारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	महानदी	5.000 हे.
3	नवागढ़	श्री चित्रकुमार जायसवाल, पिता श्री सुआलाल, जायसवाल नि0 ग्राम मल्हार जिला बिलासपुर (छ.ग.)	पीथमपुर	ग्राम/ग्राम पंचायत पीथमपुर तह0 जांजगीर	हसदेव नदी	5.000 हे.
4	नवागढ़	श्री चित्रकुमार जायसवाल, पिता श्री सुआलाल, जायसवाल नि0 ग्राम मल्हार जिला बिलासपुर (छ.ग.)	गाढापाली	ग्राम गाढापाली (ग्रा. पं. अकलतरी) तह0 जांजगीर	हसदेव नदी	5.000 हे.
5	नवागढ़	कु0 निकिता गुम्बर आ0 श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह0 बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	भादा	ग्राम भादा (ग्रा. पं. नवापारा) तह0 जांजगीर	हसदेव नदी	5.000 हे.
6	नवागढ़	कु0 निकिता गुम्बर आ0 श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह0 बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	नवापारा	ग्राम/ग्राम पंचायत नवापारा तह0 जांजगीर	हसदेव नदी	5.000 हे.
7	नवागढ़	कु0 कविता मिश्रा, माता श्रीमती शीतलादेवी मिश्रा, वार्ड नंबर 10 अमोरा, तह0 नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	बरबसपुर	ग्राम/ग्राम पंचायत बरबसपुर तह0 नवागढ़	हसदेव नदी	5.000 हे.
8	जैजैपुर	श्री बिसाहुराम चन्द्रा, पिता स्व0 श्री बट्टूलाल चन्द्रा,	हरदी	हरदी तह0 जैजैपुर	बोराईनदी	4.000 हे.

क्र	विकासखण्ड का नाम	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	नदी का नाम	स्कबा हेक्टर में
1	2	3	4	5	6	7
		निवासी वार्ड 364, महावरीर चौक टाड़पारा, काश्शशीगढ़, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0				
9	जैजैपुर	श्री दीपक कुमार जायसवाल, आ0 श्री बाबूलाल जायसवाल, निवासी हाऊस नंबर 421, वार्ड नंबर 19, जायसवाल मोहल्ला सोठी, तह0 चांपा जिला-जांजगीर चांपा(छ.ग.)	किकिरदा	ग्राम/ग्राम पंचायत किकिरदा तह0 जैजैपुर	महानदी	5.000 हे.
10	डभरा	श्री घनश्याम प्रसाद चन्द्रा, पिता श्री भेखराम चन्द्रा, निवासी वार्ड 11, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	बरहागुडा	बरहागुडा तह0 डभरा	मांडनदी	5.000 हे.
11	डभरा	श्री सुनील कुमार चन्द्रा, आ0 श्री छोटेलाल चन्द्रा निवासी सिदार पारा डभरा, तह0 डभरा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	खुरघट्टी	ग्राम/ग्राम पंचायत खुरघट्टी तह0 डभरा	महानदी	5.000 हे.
12	डभरा	श्री सुनील कुमार चन्द्रा, आ0 श्री छोटेलाल चन्द्रा निवासी सिदार पारा डभरा, तह0 डभरा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	मांजकुंद	ग्राम मांजकुंद (ग्रा. पं. सिरियागढ़) तह0 डभरा	महानदी	5.000 हे.
13	डभरा	श्री पंकज पटेल, आ0 श्री शिवलाल पटेल, निवासी खलासा गैस एजेसी के पास छोटे अतरमुड़ा, तह0 रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	कवंलाझर	ग्राम/ग्राम पंचायत कवंलाझर तह0 डभरा	महानदी	5.000 हे.
14	पामगढ़	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	देवरघटा	कमरीद तह0 पामगढ़	महानदी	5.000 हे.
15	पामगढ़	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	तनौद	तनौद तह. पामगढ़	महानदी	5.000 हे.

क्र	विकासखण्ड का नाम	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	नदी का नाम	रकबा हेक्टर में
1	2	3	4	5	6	7
16	पामगढ़	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं० 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	खोरसी-1	खोरसी तह० पामगढ़	महानदी	5.000 हे.
17	पामगढ़	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं० 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	खोरसी-2	खोरसी तह० पामगढ़	महानदी	5.000 हे.
18	पामगढ़	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं० 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ०ग०	देवरी	देवरी तह० पामगढ़	महानदी	5.000 हे.
19	मालखरौदा	श्री दिलाराम कश्यप, पिता श्री तिहारू राम कश्यप, निवासी वार्ड 14, गाँव मरघट्टी, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	मिरौनी	मिरौनी तह० मालखरौदा	महानदी	5.000 हे.
20	मालखरौदा	श्रीकान्त चन्द्रा, पिता श्री चिरौजी लाल चन्द्रा, निवासी वार्ड नं 10 शिव शंकर, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	सुलौनी	सुलौनी तह० मालखरौदा	बोराईनदी	5.000 हे.
21	बलौदा	श्रीमती भावना शर्मा पति श्री भरत शर्मा, नि० एल.आई.जी. 76, विभाग 01 दुर्गा चौक के पास, हाऊसिंग बोर्ड बस्ती, सडडू, रायपुर (छ.ग.)	केराकछार	ग्राम/ग्राम पंचायत केराकछार तह० बलौदा	हसदेव नदी	5.000 हे.
22	बलौदा	श्री शशिकपूर उपाध्याय, पिता श्री रामसुभग उपाध्याय, निवासी रामप्रसाद तालाब के पास नैला, तह० जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	देवरी	ग्राम/ग्राम पंचायत देवरी तह० बलौदा	हसदेव नदी	3.500 हे.

क्र	विकासखण्ड का नाम	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	नदी का नाम	रकबा हेक्टर में
1	2	3	4	5	6	7
23	बम्हनीडीह	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी वार्ड नं० 3 गांधी चौक नैला, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	हथनेवरा	हथनेवरा तह० चांपा	हसदेव नदी	5.000 हे.
24	बम्हनीडीह	श्री बाबूलाल जायसवाल, पिता श्री रामेश्वर प्रसाद जायसवाल, निवासी ग्राम सोठी, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	जुनाडीह (सोनाईडीह)	सोनाईडीह तह० चांपा	हसदेव नदी	5.000 हे.
25	बम्हनीडीह	श्री प्रकाश सिघानिया, पिता श्री गणेश प्रसाद सिघानिया, निवासी वार्ड 16, मेनरोड़ नेताजी चौक जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	चोरिया	चोरिया तह० चांपा	सोन नदी	5.000 हे.
26	बम्हनीडीह	कु० कविता मिश्रा, माता श्रीमती शीतलादेवी मिश्रा, वार्ड नंबर 10 अमोरा, तह० नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	बरगढ़ी	ग्राम बरगढ़ी (ग्र. पं. सोनाईडीह) तह० चांपा	हसदेव नदी	5.000 हे.

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1478) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में आई.पी.डी.एस. योजना के अंतर्गत लाईन विस्तार, नये ट्रांसफार्मर स्थापना एवं मीटर शिफ्टिंग के कार्यों की निर्माण एजेंसी के नाम, निर्माण प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने अवधि की जानकारी

क्र.	निर्माण एजेंसी का नाम	निर्माण प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण करने की अवधि	33 केव्ही लाईन			11 केव्ही लाईन			निम्नदाब लाइन			नवीन पोवर ट्रांसफार्मर			नवीन वितरण ट्रांसफार्मर			मीटर शिफ्टिंग		
				प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण	प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण	प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण	प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण	प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण	प्राक्धान	कार्यपूर्ण	अपूर्ण
1	मेसर्स एट्रोजेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. हरियाणा, गुडगांव	08.03.2017	कार्यादेश की तारीख 07.09.2018 से 18 माह	59	54.175	4.825	132.5	104	28.5	15.3	15.3	0	6	6	0	237	237	0	54604	54553	51
2	मेसर्स एट्रोजेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. हरियाणा, गुडगांव	08.03.2017		86	69.5	16.5	268.7	146.5	122.2	74.2	10.7	63.5	14	14	0	692	405	287	31347	21207	10140
3	मेसर्स एट्रोजेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. हरियाणा, गुडगांव	08.03.2017		9.6	9.6	0	90.9	90.9	0	3	3	0	2	2	0	240	240	0	9472	9472	0
4	मेसर्स राजपूताना केबल एण्ड कण्डक्टर प्रा. लि. कोरबा	08.03.2017		4.5	4.5	0	27.06	27.06	0	0.75	0.75	0	4	4	0	87	87	0	4223	376	3847
5	मेसर्स राजपूताना केबल एण्ड कण्डक्टर प्रा. लि. कोरबा	08.03.2017		20	20	0	65.62	65.62	0	8.7	8.7	0	1	1	0	53	53	0	1772	210	1562
6	मेसर्स मों हरसिद्धी इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बिलासपुर	08.03.2017		35.19	35.19	0	66	66	0	0	0	0	3	3	0	150	150	0	35	0	35
7	मेसर्स एट्रोजेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. हरियाणा, गुडगांव	08.03.2017		8.5	8	0.5	9	5	4	10	0	10	2	2	0	17	15	2	1616	180	1436
8	मेसर्स ए.के. कंसट्रक्शन, रायपुर	17.04.2017	कार्यादेश की तारीख 16.10.2018 से 18 माह	3.1	3.1	0	98.3	98.3	0	8.6	8.6	0	0	0	0	202	202	0	1559	496	1063
9	मेसर्स एस.पी.सिन्हा, रायपुर	17.04.2017																			
10	मेसर्स एस.पी.सिन्हा, रायपुर	17.04.2017																			
11	मेसर्स फाइन वाईब, दुर्ग	18.04.2018	कार्यादेश की तारीख 17.10.2019 से 18 माह	225.89	204.07	21.825	758.08	603.38	154.7	120.55	47.05	73.5	32	32	0	1678	1389	289	104628	86494	18134
योग				225.89	204.07	21.825	758.08	603.38	154.7	120.55	47.05	73.5	32	32	0	1678	1389	289	104628	86494	18134

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1834) के भाग (क) की जानकारी]

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्थापित सीमेंट उद्योगों को स्वीकृत खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टों की जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम	रकबा हेक्टर में	स्वीकृत आदेश क्रमांक एवं दिनांक	अवधि
01	02	03	04	05	06
01	मे. अंबुजा सीमेंट इस्टर्न लिमि. ग्राम रवान,	रवान, पौसरी, भरसेली, कुकरडीह,	420.953	5702/7436/12 दिनांक 03.09.1980	26.06.1981 से 25.06.2031
02	मे. अंबुजा सीमेंट इस्टर्न लिमि. बलौदाबाजार	मल्दी, मोपर, देवरानी, करमंदी, बोईरडीह	553.656	एफ 2-35/06/12 दिनांक 15.09.2008	18.02.2009 से 17.02.2059
03	मे. लाफार्ज सीमेंट लिमि. सोनाडीह तहसील बलौदाबाजार	सोनाडीह, खपरी, रसेड़ा, रसेड़ी	444.763	3-215/85/12/6 दिनांक 20.12.1985	15.01.1986 से 14.01.2036
04	मेसर्स नुवोको विस्टाज कार्पोरेशन लिमि (पूर्व में मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा लिमि) सोनाडीह तहसील बलौदाबाजार	रसेड़ा, सोनाडीह, ढाबाडीह, केशडबरी एवं बोईरडीह	294.16	एफ 3-44/2010/12 दिनांक 15.12.2020	08.01.2021 से 08.01.2071
05	श्री सीमेंट प्रा लिमि व्यावार राजस्थान	भरुवाडीह, सेमराडीह,	531.126	एफ 2-32/2003/12 (3) दिनांक 12.07.2010	11.01.2011 से 10.01.2061
06	मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड कोलकता (वर्तमान न्यूवोको विस्टास प्रा लिमि)	कुकरडीह, रिसदा	395.050	एफ 2-3/2007/12 दि 09.09.2008	8.9.2009 से 07.09.2059
07	मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड को जिला बलौदाबाजार तहसील बलौदाबाजार	ढनढनी	35.864	एफ 2-15/2013/12 दिनांक 03.01.2017	07.01.2017 से 06.01.2067
08	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकरडीह तहसील बलौदाबाजार	कुकरडीह	251.527	एफ 2-3/2007/12 दिनांक 06.04.2010	04.11.2010 से 03.11.2040
09	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि रवान ग्रामीण विहार रवान, जिला बलौदाबाजार	रावन, झीपन, पेन्डी, कसीडीह, फुंडरडीह	722.834	एफ 13-92/12/3(1) दिनांक 01.11.1993	06.12.1993 से 05.12.2043
10	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट कं. हिरमी तहसील सिमगा	परसवानी, सकलोर, हिरमी, बरडीह, फुंडरडीह	997.355	एफ 3-89/91/12/3 दिनांक 15.12.1992	22.2.1993 से 21.2.2043
11	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट ऑफ रवान सीमेंट वर्क्स) पोस्ट आफिस ग्रासीम विहार ग्राम रवान, जिला लौदाबाजार-भाटापारा	गुमा	157.122	एफ 2-32/2003/12(2) दिनांक 27.12.2016	06.01.2017 से 05.01.2067

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 983) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जानकारी, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है :—

1. श्री व्ही.के. धुर्वे (भा.प्र.से.), तत्कालीन अपर कलेक्टर, सरगुजा
 2. श्री जी.आर. चुरेन्द्र (भा.प्र.से.), तत्कालीन अपर कलेक्टर, गरियाबंद
 3. डॉ० संतोष कुमार देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर
 4. श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़
 5. श्री खम्मल लाल सोरी (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, लैलूंगा, जिला—रायगढ़
 6. श्री अतुल कुमार शेटे (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, खरसिया, जिला—रायगढ़
 7. श्री अरूण कुमार सोनकर (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, खैरागढ़, जिला—राजनांदगांव
 8. श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, रायपुर
 9. श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, दुर्ग
 10. श्रीमती ज्योति बबली बैरागी (रा.प्र.से.), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर—रामानुजगंज
-

प्रपत्र "ब"

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विभागीय जांच लंबित होने का कारण

स.क्र.	अधिकारी का नाम	लंबित होने का कारण
1.	श्री व्ही.के. धुर्वे (भा.प्र.से.), तत्कालीन अपर कलेक्टर, सरगुजा	राज्य शासन द्वारा आरोपी लोक सेवक श्री व्ही.के. धुर्वे पर शास्ति अधिरोपित करने का लिए गए अनंतिम निर्णय पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श दिनांक 25.01.2021 पर श्री धुर्वे से अभ्यावेदन चाहा गया है। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में निर्णय लिया जायेगा।
2.	श्री जी.आर. चुरेन्द्र (भा.प्र.से.), तत्कालीन अपर कलेक्टर, गरियाबंद	श्री जी.आर. चुरेन्द्र के विभागीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक 1485/2015 में विभागीय जांच से संबंधित राजस्व प्रकरण में सुनवाई लंबित है, जिस पर की राजस्व विभाग द्वारा सुनवाई में भाग लिया जा रहा है। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में न्यायाधीन है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय उपरांत प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
3.	डॉ० संतोष कुमार देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर।	छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-159/2009 में पारित अनुशंसा दिनांक 02.09.2015 के अनुपालन में डॉ० संतोष कुमार देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। डॉ० देवांगन को जारी आरोप पत्र दिनांक 27.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति दिनांक 28.11.2020 के संबंध में नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रियाधीन है।
4.	श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़।	श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ द्वारा पदस्थापना के दौरान जिला-रायगढ़ पुसौर ब्लॉक

		<p>में स्थित संयंत्र एन.टी.पी.सी. लारा के भू-अर्जन प्रकरणों में अपने कर्तव्य के प्रति संनिष्ठ न रहते हुए लापरवाहीपूर्वक कृत्य करने के कारण विभागीय जांच संस्थित कर दिनांक 04.10.2014 को आरोप पत्र जारी किया गया था तथा आदेश दिनांक 03.12.2015 द्वारा अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया।</p> <p>जांचकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2020 के संबंध में नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रियाधीन है।</p>
5.	श्री खम्मल लाल सोरी (रा.प्र. से.), तत्कालीन तहसीलदार, लैलूंगा, जिला-रायगढ़।	<p>छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक-163/2014 में पारित अनुशंसा दिनांक 04.11.2016 के परिपालन में श्री खम्मन लाल सोरी (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दिनांक 07.07.2017 को आरोप पत्र जारी किया गया था तथा आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।</p> <p>संभागायुक्त कार्यालय, बिलासपुर में अपर आयुक्त के स्थानांतरण के पश्चात् अभी तक किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के काण जांच की कार्यवाही लंबित है।</p>
6.	श्री अतुल कुमार शेटे (रा.प्र. से.), तत्कालीन तहसीलदार, खरसिया, जिला-रायगढ़।	<p>श्री अतुल कुमार शेटे (रा.प्र.से.), डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ को तत्कालीन तहसीलदार, खरसिया, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थी के दौरान ग्राम कुनकुनी में आदिवासियों की भूमि के अंतरण में गंभीर अनियमितता एवं शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही बरतने के लिए विभागीय जांच संस्थित कर दिनांक 12.04.2017 को आरोप पत्र जारी किया गया था तथा आदेश दिनांक 09.05.2018 द्वारा अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।</p> <p>संभागायुक्त कार्यालय, बिलासपुर में अपर आयुक्त के स्थानांतरण के पश्चात् अभी तक किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के काण जांच की कार्यवाही लंबित है।</p>

7.	श्री अरूण कुमार सोनकर (रा. प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव।	<p>आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग द्वारा श्री अरूण कुमार सोनकर (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, खैरागढ़ के द्वारा न्यायालयीन पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण आदेश दिनांक 07.12.2017 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किया गया तथा अपर कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को "जांचकर्ता प्राधिकारी" नियुक्त किया गया।</p> <p>जांचकर्ता प्राधिकारी अपर कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.03.2020 के संबंध में नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रियाधीन है।</p>
8.	श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, रायपुर।	<p>आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर द्वारा श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्का. तहसीलदार, दुर्ग, वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर (निलंबित), मुख्यालय- कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के विरुद्ध 01 प्रकरण में दिनांक 01.04.2019 को विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किया गया आदेश दिनांक 23.05.2019 द्वारा अपर कलेक्टर एवं विभागीय जांच अधिकारी, रायपुर को जांचकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।</p> <p>उक्त विभागीय जांच के विरुद्ध अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका (एस.) 379/2018 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 15.02.2019 को पारित कर आदेशित किया है कि "In the mean time it is directed that no coercive step shall be taken against the petitioner." उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय जांच लंबित है।</p>
9.	श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, दुर्ग।	<p>आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग द्वारा श्री आर.बी. देवांगन (रा.प्र.से.), तत्कालीन तहसीलदार, दुर्ग, वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर (निलंबित), मुख्यालय- कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के विरुद्ध 04 प्रकरणों में विभागीय जांच संस्थित की गई है।</p> <p>अपचारी अधिकारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के 02 प्रकरणों में अपचारी अधिकारी के बचाव</p>

		साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत है व 02 प्रकरणों में प्रारंभिक सुनवाई हेतु नियत है।
10.	श्रीमती ज्योति बबली बैरागी (रा.प्र.से.), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज	आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा श्रीमती ज्योति बबली बैरागी (रा.प्र.से.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज, वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर, जशपुर के विरुद्ध 01 प्रकरण में दिनांक 15.05.2020 को विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्र जारी किया गया है। उक्त प्रकरण अभियोजन साक्षी के कथन हेतु लंबित है।

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1659) के भाग (ख) की जानकारी]

पेयजल योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक जिला बालोद हेतु प्राप्त हुए राशि एवं संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किये गए व्यय की जानकारी

वित्तीय वर्ष	क्र.	पेयजल योजनाओं का विवरण	केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किये गये व्यय का विवरण				राज्य के विभिन्न मर्दों के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा स्तर पर किये गये व्यय का विवरण	
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	1	ग्रामीण नलजल योजना	166.47	166.47	332.94	179.19	134.19	10.56
	2	नगरीय जल प्रदाय योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	275.40	156.24
	3	बसाहटों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	38.79	38.79
	4	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
	5	आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में रनिंग वाटर से पेयजल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आई.आर.पी./एफ.आर.पी. लगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	गौटानों में पेयजल व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	संचालन एवं संधारण योजनाएं:-						
		i. हैण्डपम्प संधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	61.56	41.66
	ii. नल जल/स्थल जल योजनाओं के संचालन हेतु पंचायतों को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	9.925	
	iii. आई.आर.पी./एफ.आर.पी. संचालन-संधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	4.58	
योग:-			166.47	166.47	332.94	179.19	565.04	265.21

वित्तीय वर्ष	क्र.	पेयजल योजनाओं का विवरण	केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किये गये व्यय का विवरण				राज्य के विभिन्न मंडलों के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा स्तर पर किये गये व्यय का विवरण	
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	1	ग्रामीण नलजल योजना	102.78	102.78	205.56	57.38	189.00	0.00
	2	नगरीय जल प्रदाय योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	266.16	79.51
	3	बसाहटों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	34.03
	4	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83
	5	आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में रनिंग वाटर से पेयजल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आई.आर.पी./एफ.आर.पी. लगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	गौठानों में पेयजल व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	संचालन एवं संधारण योजनाएं:-						
		i. हैण्डपम्प संधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	38.77
		ii. नल जल/स्थल जल योजनाओं के संचालन हेतु पंचायतों को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	10.075
	iii. आई.आर.पी./एफ.आर.पी. संचालन-संधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	6.43	
योग:-			102.78	102.78	205.56	57.38	601.02	169.65

वित्तीय वर्ष	क्र.	पेयजल योजनाओं का विवरण	केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किये गये व्यय का विवरण				राज्य के विभिन्न मर्दों के अंतर्गत बालोद जिले को प्राप्त आबंटन तथा संजारी-बालोद विधानसभा स्तर पर किये गये व्यय का विवरण	
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)	कुल आबंटन जिले के लिए (रु लाख में)	व्यय राशि विधानसभा के लिए (रु लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक	1	ग्रामीण नलजल योजना	249.60	249.60	499.20	77.84	270.52	81.35
	2	नगरीय जल प्रदाय योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	329.70	123.01
	3	बसाहटों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05	29.05
	4	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45
	5	आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में रनिंग वाटर से पेयजल योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	20.73
	6	सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना	563.40	563.40	1126.80	346.92	0.00	0.00
	7	पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आई.आर.पी./एफ.आर.पी. लगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	गौठानों में पेयजल व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
	9	संचालन एवं संधारण योजनाएं:-						
		i. हैण्डपम्प सधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	66.28	28.93
	ii. नल जल/स्थल जल योजनाओं के संचालन हेतु पंचायतों को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	5.15	
	iii. आई.आर.पी./एफ.आर.पी. संचालन-संधारण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग:-	813.00	813.00	1626.00	424.76	770.30	292.67

**नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के ङ्ग में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट**

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 100) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में दिनांक 26-01-2021 तक एल टी कंडक्टर से
ए.बी. केबल बदलने पूर्ण एवं स्वीकृत कार्य एवं निकाले गये पुराने तार की वर्षवार, योजनावार एवं लागत राशि की ग्रामवार
जानकारी

क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	एल.टी. कंडक्टर के स्थान पर केबल लगाने हेतु स्वीकृत लाईन की लंबाई (कि.मी.)	लागत राशि (रूपये में)	कार्य की स्थिति (कार्यपूर्णता तिथि सहित)	निकाले गए पुराने तार का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2020						
1	आईपीडीएस	नगर पंचायत बलौदा	48.13	1,26,68,152	प्रगति पर है।	7.75 टन कंपनी भण्डार में वापस कर दिया गया है।
1	एच.व्ही.डी.एस. एवं लाईन लांस योजना	देहकोनी	3.737	983605	30.06.2020	निर्धारित दर से ऑकलन कर निविदा में प्रावधान के अनुसार देय बिल से कटौती कर ली गई है। अतः वापसी योग्य नहीं है।
2		घाटाद्वारी	0.485	127655	30.06.2020	
3		उसलापुर	1.904	501146	15.08.2020	
4		बाबाडबरी	0.588	154766	12.08.2020	
5		बोकरेल	4.143	1090467	14.08.2020	
6		खैजा	5.948	1565555	12.08.2020	
7		पोंच	4.724	1243390	05.07.2020	
8		कुरमा	2.045	538258	16.08.2020	
9		गतवा	3.545	933069	20.08.2020	
10		छीतापाली	2.27	597480	10.08.2020	
11		बहेरापाली	1.15	302688	22.08.2020	
12		अंगारखार	3.33	876479	05.08.2020	
13		बुडगहन	12.964	3412216	24.08.2020	
14		परसदा	2.333	614062	25.06.2020	
15		लच्छनपुर	3.18	836998	25.07.2020	
16		सत्तीगुडी	3.306	870162	30.07.2020	
17		गोवाबंद	3.735	983078	28.08.2020	
18		पहरिया	3.537	930963	02.09.2020	
19		रैनपुर	1.854	487986	05.09.2020	
20		मदनपुर	1.455	382966	03.09.2020	
21		नवागांव	1.862	490091	07.09.2020	
22		खरमोरा	0.89	234254	10.09.2020	
23		टिगीपुर	3.638	957547	31.07.2020	
24		देवरी	3.079	810414	28.07.2020	
25		नवापारा	3.231	850422	26.08.2020	
26		ढोरला	3.852	1013873	02.09.2020	
27		उच्चभिट्टी	2.354	619589	18.09.2020	
28		कोसमंदा	5.536	1457114	27.10.2020	
29		भिलाई	5.06	1331827	02.11.2020	
30		सिवनी	7.452	1961419	03.11.2020	
31		नवगांव	6.775	1783227	14.11.2020	
32		बेलनियाडीह	1.26	331641	24.12.2020	
33		कोलिहादेवा	3.006	791200	24.12.2020	
	योग		114.228	30065609		

150

वर्ष 2021 (दिनांक 26.01.2021 तक)						
1	एच.व्ही.डी.एस. एवं लाईन लांस योजना	रसीटा	11.432	3008982	07.1.2021	निर्धारित दर से ऑकलन कर निविदा में प्रावधान के अनुसार देय बिल से कटौती कर ली गई है। अतः वापसी योग्य नहीं है।
2		जर्वे	5.88	1547657	21.01.2021	
3		डोंगरी	2.81	739612	14.01.2021	
4		अचानकपुर	5.593	1472117	15.01.2021	
5		कोरबी	15.27	4019171	16.01.2021	
6		नवापारा	1.538	404812	20.01.2021	
7		बोकरेल	0.56	147396	12.01.2021	
8		जाटा	5.63	1481855	20.01.2021	
योग			48.713	12821603		

प्रपत्र "ब"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड के बलौदा शहर में नवीन ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्यों एवं पूर्ण किये गये कार्यों की स्वीकृत वर्षवार, योजनावार एवं लागत राशि की ग्रामवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ट्रांसफार्मर				योग	11 केव्ही लाइन	लागत राशि	कार्य की स्थिति (कार्यपूर्णता तिथि सहित)
				200 के व्ही.ए	100 के व्ही.ए	63 के व्ही.ए	25 के व्ही.ए				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वर्ष 2020											
1	आईपीडीएस	नगर पंचायत बलौदा में नया वितरण ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य	सोनार मोहल्ला, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	01.01.2020
2			राम नगर पानी टंकी के पास, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	18.01.2020
3			भैसा बाजार, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	22.01.2020
4			गुरुघासी दास चौक, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	28.01.2020
5			श्मशान घाट, बलौदा	0	0	1	0	1	0	257000	08.10.2020
6			सरस्वती स्कूल के पास, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	31.01.2020
7			गोड़ पारा, बलौदा	0	0	1	0	1	0.95	1054000	03.09.2020
8			हरदी मोड़ के पास, बलौदा	0	1	0	0	1	0	323000	12.08.2020
9			हनुमान चौक रामनगर, बलौदा	0	0	1	0	1	0	257000	09.08.2020
10			गुरुघासी दास, बलौदा	0	0	1	0	1	0	257000	25.08.2020
11			बुधवारी बाजार, बलौदा	0	0	1	0	0	1	323000	प्रगति पर है।
12			गुरुघासी दास चौक, बलौदा	0	0	1	0	0	1	323000	
13			श्याम बाजार, बलौदा	0	0	1	0	0	1	323000	
योग :-				0	6	7	0	10	3	4732000	

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारक्षित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 862) के भाग (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक उक्त योजना अंतर्गत कुल केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि का विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि	राज्य सरकार से प्राप्त राशि	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश	(रु. लाख में)	
						शेष राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	
1	2019-20	6581.96	6485.02	13066.98	2391.91	10675.07	
2	2020-21 (31 जनवरी 2021 तक)	22275.86	21756.10	44031.96	29793.10	14238.66	
	कुल	28857.82	28241.12	57098.94	32185.01	24913.73	

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 863) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आमंत्रित की गई रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) में आवेदन किये गये फर्मों का विवरण

क्र.	आवेदित फर्म का नाम	स्थान
1	मेसर्स सुनील कुमार जाजोदिया, बिलासपुर	बिलासपुर, छत्तीसगढ़
2	मेसर्स एसएसव्हीएम. (जेवी) जशपुर	जशपुर, छत्तीसगढ़
3	मेसर्स रायपुरकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
4	मेसर्स आरबीपी एनर्जी इंडिया प्रा.लि. रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
5	मेसर्स अन्नाभूमि ग्रीनटेक प्रा.लि. भिलाई	भिलाई, छत्तीसगढ़
6	मेसर्स एसकेए कोठारी (जेवी) रायगढ़	रायगढ़, छत्तीसगढ़
7	मेसर्स नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	बिलासपुर, छत्तीसगढ़
8	मेसर्स रूपेश कुमार झा, जगदलपुर	जगदलपुर, छत्तीसगढ़
9	मेसर्स छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग, जशपुरनगर	जशपुर, छत्तीसगढ़
10	मेसर्स मल्टीअर्बन इफ्रा सर्विस प्रा.लि., नागपुर (महाराष्ट्र)	नागपुर, महाराष्ट्र
11	मेसर्स जय माता दी ट्रेडर्स, कोरिया	कोरिया, छत्तीसगढ़
12	मेसर्स विरेन्द्र कुमार सिंह, अंबिकापुर	अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
13	मेसर्स सूरलमल ओंकारमल, बिलासपुर	बिलासपुर, छत्तीसगढ़
14	मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडियालि., मुम्बई महाराष्ट्र	मुम्बई, महाराष्ट्र
15	मेसर्स बारब्रीक प्रोजेक्ट्स लि., सूरजपुर	सूरजपुर, छत्तीसगढ़
16	मेसर्स संतोष अग्रवाल, रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
17	मेसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसप्रा.लि., कोल्हापुर	कोल्हापुर, महाराष्ट्र
18	मेसर्स मनीष शुक्ला, बिलासपुर	बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19	मेसर्स याना एसोसियेट्स, रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
20	मेसर्स के.के नायर, भण्डारा महाराष्ट्र	भण्डारा, महाराष्ट्र
21	मेसर्स ड्रॉटेक धमतरी,	धमतरी, छत्तीसगढ़
22	मेसर्स मनीष पाईप्स प्रा.लि., रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
23	मेसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लि., हैदराबाद	हैदराबाद, तेलंगाना
24	मेसर्स ए.एल. अजीज प्लास्टिक प्रा.लि., मुम्बई	मुम्बई, महाराष्ट्र
25	मेसर्स एचईएसवाटर इंजीनियरिंग, नागपुर महाराष्ट्र	नागपुर, छत्तीसगढ़
26	मेसर्स प्रकाश कॉर्पोरेट्स, रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
27	मेसर्स चंद्र निर्माण प्रा.लि., रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
28	मेसर्स श्रीवा पम्पस, रायपुर	रायपुर, छत्तीसगढ़
29	मेसर्स राईटवाटर शॉल्यूशन (आई) प्रा.लि. नागपुर	नागपुर, महाराष्ट्र

प्रपत्र "ब"

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आमंत्रित की गई रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) में पात्र पाये गये फर्मों द्वारा ई.ओ.आई. में उल्लेखित कार्यों हेतु दी गई दरों का विवरण

स.	निविदाकार का नाम	उच्चस्तरीय जलागार			पाईप लाईन	सिविल वर्क्स	कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन कार्य	डिस-इन्फेक्शन सिस्टम	पम्प वर्क्स
		40 किलोलीटर से 70 किलोलीटर तक	70 किलोलीटर से अधिकतया 100 किलोलीटर तक	100 किलोलीटर से अधिक					
		प्रतिशत अधिक	प्रतिशत अधिक	प्रतिशत अधिक					
1	सुनील कुमार जाजोदिया, बिलासपुर	60.00 %	57.00 %	57.00 %	9.90 %	40.00 %	9.90 %	11.00 %	38.00 %
2	एसएसव्हीएम. (जेवी) जशपुर	35.00 %	30.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	30.00 %	30.00 %	25.00 %
3	रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. रायपुर	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
4	एसकेए कोठारी (जेवी) रायगढ़	32.00 %	15.00 %	8.00 %	15.00 %	15.00 %	15.00 %	12.00 %	12.00 %
5	नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	95.00 %	55.00 %	50.00 %	19.00 %	20.00 %	10.00 %	यू.एस.ओ. आर. दर पर	यू.एस.ओ. आर. दर पर
6	मल्टीअर्बन इफ्रा सर्विस प्रा.लि., नागपुर (महाराष्ट्र)	25.00 %	25.00 %	25.00 %	20.00 %	45.00 %	20.00 %	50.00 %	50.00 %
7	विवेन्द्र कुमार सिंह, अंबिकापुर	48.10 %	48.10 %	48.10 %	29.92 %	29.20 %	27.20 %	28.50 %	30.50 %
8	सूरजमल ओंकारमल, बिलासपुर	14.50 %	14.50 %	14.50 %	14.50 %	14.50 %	14.50 %	14.50 %	14.50 %
9	जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लि., मुम्बई महाराष्ट्र	68.80 %	72.10 %	44.50 %	9.80 %	79.10 %	18.10 %	35.60 %	25.90 %

[Handwritten Signature]

स.	निविदाकार का नाम	उच्चस्तरीय जलागार			पाईप लाईन	सिविल वर्क्स	कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन कार्य	डिस-इन्फेक्शन सिस्टम	पम्प वर्क्स
		40 किलोलीटर से 70 किलोलीटर तक	70 किलोलीटर से अधिक तथा 100 किलोलीटर तक	100 किलोलीटर से अधिक					
		प्रतिशत अधिक	प्रतिशत अधिक	प्रतिशत अधिक					
10	बरब्रीक प्रोजेक्ट्स लि., सूरजपुर	45.00 %	45.00 %	45.00 %	18.00 %	27.00 %	45.00 %	36.00 %	36.00 %
11	लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विस प्रा.लि., कोल्हापुर	91.00 %	82.00 %	91.00 %	44.20 %	91.00 %	44.20 %	19.00 %	44.20 %
12	याना एसोसियेट्स, रायपुर	43.00 %	24.00 %	18.00 %	18.00 %	20.00 %	19.90 %	20.00 %	24.00 %
13	मनीष पाईप्स प्रा.लि., रायपुर	45.00 %	15.00 %	23.00 %	8.00 %	15.00 %	14.00 %	31.00 %	50.00 %
14	रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लि., हैदराबाद	177.0 %	232.0 %	239.0 %	87.00 %	197.0 %	43.00 %	99.0 %	175.0 %
15	ए.एल. अजीज प्लास्टिक प्रा.लि., मुम्बई	47.84 %	44.48 %	43.36 %	37.76 %	36.64 %	38.88 %	34.40 %	35.52 %
16	एचईएस वाटर इंजीनियरिंग, नागपुर महाराष्ट्र	9.99 %	9.99 %	9.99 %	9.99%	9.99 %	9.99 %	3.75 %	9.99 %
17	चंद्र निर्माण प्रा.लि., रायपुर	80.00 %	80.00 %	80.00 %	65.00 %	30.00 %	30.00 %	45.00 %	30.00 %
18	श्रीवा पम्पस, रायपुर	61.00 %	42.00 %	35.00 %	31.00 %	32.00 %	35.00 %	31.00 %	55.00 %
19	राईट वाटर शॉल्यूशन (आई) प्रा.लि. नागपुर	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	यू.एस.ओ. आर. दर पर	20.00 %

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 954) के भाग (क) की जानकारी]

सरगुजा जिले के लुण्ड्रा तहसील के अन्तर्गत ग्राम अमड़ी व कुदर में संचालित निम्न श्रेणी चूनापत्थर उत्खननपट्टों की जानकारी

क्र.	उत्खननपट्टेदार का नाम एवं पता	ग्राम व तहसील	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	अवधि कब से कब तक
1	2	3	4	5	6	8
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद आ० श्री सूरजपुर प्रसाद गुप्ता निवासी अमड़ी	अमड़ी लुण्ड्रा	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी अमड़ी	254	0.474	25.07.2013 से 24.07.2043
2	श्री सूरज प्रसाद गुप्ता आ० भुनेश्वर साव, निवासी अमड़ी तहसील लुण्ड्रा	अमड़ी लुण्ड्रा	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी अमड़ी	267 / 4, 268 / 4	0.679	19.03.2008 से 18.03.2038
3	श्रीमती कावित्री देवी पति श्री रामदेव राम निवासी गांगोरी तहसील लुण्ड्रा	अमड़ी लुण्ड्रा	श्री सतेन्द्र गुप्ता निवासी अमड़ी	256 / 2	0.226	06.08.2013 से 05.08.2043
4	श्री मनोज कुमार अग्रवाल आत्मज श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी नवापारा, अम्बिकापुर	अमड़ी लुण्ड्रा	श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी अम्बिकापुर	63 / 2, 106 / 1, 106 / 2, 106 / 3	0.837	07.01.2011 से 06.01.2041
5	श्रीमती संगीता सिंह पति श्री संतोष प्रताप सिंह, निवासी पेंट हाऊस नं.1 छठवां तल चंदगीराम टॉवर एमजी रोड अम्बिकापुर	अमड़ी लुण्ड्रा	1. श्री जोखू यादव निवासी अमड़ी 2. श्री दिनेश कुमार मिज निवासी परसा, अम्बिकापुर	423 / 1, 426 / 2, 428 / 2, 435 / 2, 436 / 2	0.328 1.397	23.12.2017 से 22.12.2047
6	श्री रीतेश कुमार अग्रवाल, निवासी ब्रम्ह रोड, अम्बिकापुर	अमड़ी लुण्ड्रा	स्वयं श्री रीतेश कुमार अग्रवाल नि. अम्बिकापुर	11 / 2	0.486	07.01.2011 से 6.01.2021
7	दुर्गा प्रसाद गुप्ता आत्मज श्री रामसुन्दर निवासी कुदर तहसील लुण्ड्रा	कुदर लुण्ड्रा	श्री तिलकधारी गुप्ता निवासी कुदर	369, 370, 381 / 1, 386, 387, 388 एवं 394	0.627	23.03.2015 से 22.03.2025
8	श्री उर्मिला गुप्ता निवासी कुदर तह० लुण्ड्रा	कुदर लुण्ड्रा	श्री तिलकधारी गुप्ता / दुर्गा प्रसाद गुप्ता निवासी कुदर	675	1.000	17.03.2006 से 16.03.2036

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1254) के भाग (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष— 2019-20 में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य का विवरण

क्रं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत लागत राशि (करोड़ में)
	निरंक		

वित्तीय वर्ष— 2020-21 में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य का विवरण

क्रं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत लागत राशि (करोड़ में)
1	मिनी मार्केट एवं प्रसाधन ब्लॉक का निर्माण कार्य।	सेंध, चीचा, उपरवारा एवं नवागाँव (खपरी)	4.93
2	झांझ जलाशय के अग्र भाग में विकास कार्य।	झांझ एवं तुता	14.10
3	सेक्टर-24 के विशेष आवासीय क्षेत्र में निर्मित 2 लेन व 4 लेन सड़कों के चौड़ीकरण एवं नई सड़कों के निर्माण कार्य।	झांझ एवं तुता	16.55
4	पैकेज-1 (रोड नं. 2) फैसिलिटी कोरिडोर के पश्चिमी ओर के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य	छतौना, परसदा, पलौद, रीको, कायाबांधा, चीचा, बरौदा, कोटराभाठा एवं मंदिर हसौद	41.32
5	पैकेज-2 (रोड नं. 2) फैसिलिटी कोरिडोर के पूर्वी ओर के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य	कायाबांधा, कोटराभाठा, राखी, झांझ, उपरवारा एवं छेरीखेड़ी	34.83
6	पैकेज-1 सेक्टर-15 एवं 16 में वर्षा जल संग्रहण, निष्पादन जलाशय गहरीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य।	बरौदा एवं कायाबांधा	13.06
7	पैकेज-2 सेक्टर-11,12 एवं 13 में वर्षा जल संग्रहण, निष्पादन जलाशय गहरीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य।	चीचा, कायाबांधा, कोटराभाठा, पलौद एवं कोटनी	7.39
8	सोडियम वेपर (HPSV) एवं सी.एफ.एल. लेम्प के सीन पर एल.ई.डी. लेम्प लगाने का कार्य।	छेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, नकटी, रमचंडी, बरौदा, रीको, तुता, कायाबांधा, झांझ, कोटराभाठा, राखी, नवागाँव (ख.), चीचा एवं कुहेरा	6.57
9	ग्राम अधोसंरचना (सड़क, विद्युत एवं जल) विकास कार्य।	कोटराभाठा	12.69
		कुल लागत राशि	151.44

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1785) के भाग (क) की जानकारी]

शर्तें निम्नानुसार हैं :—

पट्टे का अनुबंध विलेख दिनांक 18.08.2008

1. पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त भूखण्ड का वार्षिक भाड़ा देय होगा। पट्टाग्राहिता द्वारा विलेख की निष्पादन तिथि से 02 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर हाट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसे हेतु नगर निगम रायपुर अथवा पट्टादाता से आवश्यक एवं वांछनीय अनुज्ञा प्राप्त कर ली जावेगी।
2. पट्टाग्राहिता को हाट निर्माण का प्रारूप या नक्शा विलेख के निष्पादन तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना होगा। पट्टादाता द्वारा इस समयावधि में विस्तार किये जाने का आवेदन पट्टाग्राहिता से प्राप्त होने पर विचारोपरांत हाट निर्माण हेतु उसे अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा जिस हेतु प्रथम बार 5000/- द्वितीय बार 10000/- अर्थदण्ड देय होगा किन्तु किसी भी दशा में ऐसी समयावृद्धि उक्त निर्धारित अवधि के अतिरिक्त अन्य दो वर्ष तक ही हो सकेगी।
3. पट्टाग्राहिता द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त भूखण्ड पर हाट निर्माण नहीं किया जाता तो पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक सूचना प्रेषित कर पट्टाग्राहिता का पट्टा निरस्त कर दें। पट्टाग्राहिता को प्रब्याजि की राशि में से 20 प्रतिशत की कटौती के पश्चात् शेष राशि पट्टादाता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
4. पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त भूखण्ड से संबंधित समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान आने वाले सभी दायित्व तथा स्थानीय कर प्रभार इत्यादि देय होगा। इस हेतु भूखण्ड के अंतर्गत उस पर निर्मित संरचना भी आश्रायित है।
5. भूखण्ड का निर्माण भू परिवर्तन के संबंध में नगर निगम रायपुर अथवा पट्टादाता द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।
6. पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट संपूर्ण निर्धारित समयावधि के दौरान हाट योग्य रहेगा।

7. पट्टाग्राहिता द्वारा पट्टादाता के पूर्व अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट का उपयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जायेगा। ऐसी अनुमति के बिना यदि पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त भूखण्ड अथवा हाट का उपयोग निवास एवं अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो पट्टादाता को अधिकार होगा कि पट्टाग्राहिता का पट्टा निरस्त कर सकें।
8. पट्टाग्राहिता द्वारा निर्धारित पट्टादाता अवधि में पट्टादाता द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
9. पट्टादाता द्वारा ऐसे नियुक्त अधिकारी उचित समय पर उक्त भूखण्ड अथवा हाट में निरीक्षण अवलोकन, मरम्मत अथवा सुधार कार्य अथवा रेखांकन हेतु प्रवेश कर सकेंगे और पट्टाग्राहिता को यह वांछनीय होगा कि वह उनके ऐसे कार्य अथवा पट्टादाता द्वारा उन्हें निर्देशित कोई अन्य कार्य संपादित करने में सहयोग करें।
10. पट्टादाता द्वारा यह कथित किया जाता है कि ऐसा पट्टाग्राहिता जो शांति पूर्ण ढंग से भू-भाटक प्रदत्त करते हुए उक्त भूखण्ड का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है उसके अधिपत्य को पट्टे की समयावधि के पूर्व शिवाय किसी विधिक करणों से पट्टादाता अथवा इसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवरोधित नहीं किया जायेगा। पट्टादाता द्वारा उक्त निर्धारित पट्टे की समयावधि के पश्चात् अथवा विस्तार की गई समयावधि के पश्चात् पट्टाग्राहिता के पक्ष में पुनः 30 वर्ष का प्रदान किया जा सकेगा। इस हेतु आने वाले समस्त व्यय के लिए पट्टाग्राहिता दायित्वधीन होगा।
11. इस विलेख की शर्तों अथवा दशाओं के होते हुए भी पट्टे के संबंध में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं/अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम एवं उस नियम के प्रावधान लागू होंगे।
12. उक्त पट्टे के किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर 2500/- रुपये न्यूनतम सीमा के अधीन 5000/- रुपये तथा दोबारा उल्लंघन होने की दशा में 5000/- के अधीन रुपये 10000/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर शर्त उल्लंघन कर उप शमन किया जावेगा।

13. पट्टे के निष्पादन के पश्चात् योजना के विकास कार्य के स्वरूप में आवश्यकता होने से से कुछ परिवर्तन किया जाता है। इस हेतु किसी मूल योजना से हटकर किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगा तो प्राधिकरण ऐसे व्यय को उस क्षेत्र में अधिवासित समस्त पट्टाधारी के बीच संवितरित कर उक्त राशि प्रत्येक ईकाई से उद्ग्रहण कर सकेगा।
14. जहां तक संदर्भतय अन्यथा रूपये उल्लेखित न हो पट्टादाता के अंतर्गत सम्मिलित है उसके उत्तरवर्ती अधिकारी और पट्टाग्राहिता के अंतर्गत सम्मिलित है। उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरिती एवं वैध प्रतिनिधि।
15. इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं के अंतर्गत उद्दृत राशि जो पट्टाग्राहिता द्वारा देय हो वसूली राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी।
16. इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं से उद्दृत किन्ही विकारों के संबंध में अथवा पट्टादाता एवं पट्टाग्राहिता के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु विवाद को सौंपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा उक्त अध्यक्ष द्वारा अथवा इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। जिनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। यह भी कि पट्टाग्राहिता द्वारा किसी व्यक्ति का पंच (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आर्बिट्रेटर रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही हो।

अतएव उपरोक्त साक्ष्य स्वरूप आज दिनांक 18.08.2008 को रायपुर में उभय पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया।

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1786) के भाग (ख) की जानकारी]

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 वर्षों के लिये पट्टे पर दिये जाने की शर्तें

1. पट्टाग्रहिता द्वारा भूखण्ड का वार्षिक भाड़ा राशि रू. 20,020/- प्रतिवर्ष जून माह के प्रथम तिथि को पट्टादाता को देय होगा।
2. पट्टाग्रहिता द्वारा इस विलेख की निष्पादन की तिथि से 02 वर्ष के भीतर उक्त भूखण्ड पर हाट निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
3. पट्टाग्रहिता द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि अथवा समयावधि वृद्धि के पश्चात् यदि उक्त भूखण्ड पर हाट निर्माण नहीं किया जाता है तो पट्टादाता को पट्टा निरस्त करने का अधिकार है।
4. पट्टाग्रहिता द्वारा उक्त भूखण्ड से संबंधित समय-समय पर स्थानीय कर, प्रभार इत्यादि देय होगा।
5. उक्त भूखण्ड पर निर्माण, पुनर्निर्माण, रूप परिवर्तन के संबंध में पट्टाग्रहिता तत्समय प्रवृत्त विधि का पालन करेगा।
6. पट्टाग्रहिता द्वारा उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट सम्पूर्ण निर्धारित समयावधि के दौरान हाट योग्य रखेगा।
7. पट्टाग्रहिता द्वारा पट्टादाता के पूर्व अनुमति के बिना उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट का उपयोग केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।
8. पट्टाग्रहिता द्वारा निर्धारित पट्टा अवधि में पट्टादाता के द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को उक्त भूखण्ड एवं उस पर निर्मित हाट में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
9. पट्टादाता द्वारा यह कथित किया जाता है, कि ऐसा पट्टाग्रहिता जो शांतिपूर्ण ढंग से पट्टा भूभाटक प्रदत्त करते हुए तथा इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं को मानते हुए उक्त भूखण्ड का उपयोग एवं उपभोग कर रहा है उसके अधिपत्य को पट्टे की समयावधि के पूर्व, सिवाय किसी विधिक कारणों के पट्टादाता अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवरोधित नहीं किया जायेगा।
10. पट्टादाता द्वारा उक्त निर्धारित पट्टे की समयावधि के पश्चात् अथवा विस्तार की गई समयावधि के पश्चात् पट्टाग्रहिता के पक्ष में पुनः 30 वर्षों का पट्टा प्रदान किया जा सकेगा उस हेतु आने वाले समस्त व्यय के लिये पट्टाग्रहिता दायित्वाधीन होगा।
11. इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं के होते हुए भी पट्टे के संबंध में छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं/अथवा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियम एवं उस नियम के प्रावधान लागू होंगे।

12. उक्त पट्टे के निष्पादन पश्चात् यदि किसी भी शर्तों का प्रथम बार उल्लंघन किया जाता है तो अन्यथा रूपेण उपबंधित न होने की दशा में राशि रू. 2500/- न्यूनतम सीमा के अधीन राशि रू. 5000/- अर्थदण्ड तथा दोबारा उल्लंघन किये जाने अन्यथा उपबंधित न होने की दशा में न्यूनतम सीमा के अधीन राशि रू. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर शर्त उल्लंघन का उपशमन किया जा सकेगा।
13. उक्त पट्टे के निष्पादन पश्चात् यदि योजना के विकास कार्य के फलस्वरूप में आवश्यकता होने से यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तथा इस हेतु यदि मूल योजना से हटकर किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हुई तो प्राधिकरण ऐसे व्यय को उस क्षेत्र में अधिवासित समस्त पट्टेधारी के बीच संवितरित कर उक्त राशि प्रति इकाई से उद्ग्रहण कर सकेगा।
14. जहां तक संदर्भतय अन्यथा रूपेण उल्लेखित न हो पट्टादाता के अंतर्गत सम्मिलित है उसके उत्तरवर्ती अधिकारी और पट्टाग्रहिता के अंतर्गत सम्मिलित है उसके उत्तराधिकारी, हस्तांतरिती एवं वैद्य प्रतिनिधि।
15. इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं के अन्तर्गत उद्दृत राशि जो पट्टाग्रहिता द्वारा देय हो की वसूली राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी अथवा ऐसी वसूली हेतु स्वविवेक से कोई अन्य विधि अपनाई जा सकेगी।
16. इस विलेख की शर्तों एवं दशाओं से उद्दृत किन्ही विकारों के संबंध में अथवा पट्टादाता एवं पट्टाग्रहिता के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेटर) हेतु विवाद को सौंपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा उक्त अध्यक्ष द्वारा अथवा इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। जिनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। यह भी कि पट्टाग्रहिता द्वारा किसी व्यक्ति का पंच (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आर्बिट्रेटर रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही हो।

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1789) की जानकारी]

गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में विगत 3 वर्षों में लेन्टाना उन्मूलन मद अंतर्गत स्वीकृत/खर्च राशि की परिक्षेत्रवार/कक्ष क्रमांकवार जानकारी

(राशि रुपये में)

वर्ष	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	
2018-19	विभागीय मद	—	-	0	0	
	कैम्पा मद	—	-	0	0	
योग				0	0	
2019-20	विभागीय मद	रामगढ़	पी 22	308000	307090	
			पी 96	262000	261170	
		सोनहत	पी 141	216000	201617	
योग				786000	769877	
2019-20	कैम्पा मद	रामगढ़	पी 20	216000	216000	
			सोनहत	176	216000	215000
				228	216000	215000
				179	216000	215000
				180	216000	215000
				179/142	432000	431000
		कमर्जी	301	216000	200900	
			297	216000	200900	
		जनकपुर	56	216000	215250	
			65	216000	215250	
			263	216000	215250	
		रेहण्ड	1371	216000	200900	
योग				2808000	2755450	
कुलयोग -- विभागीय -- कैम्पा मद वर्ष 2019-20				3594000	3525327	
2020-21	विभागीय मद	कमर्जी	327	355000	355000	
			516	235000	231500	
			328	141000	138000	
			330	235000	231500	
		सोनहत	182	470000	470000	
			148	94000	94000	
			193	470000	470000	
		रामगढ़	पी 30	235000	232003	
			पी 20	235000	231978	
			पी 14	282000	281992	
			रेवलाछांदा	376000	375993	

वर्ष	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
2020-21	विभागीय मद	जनकपुर	35	141000	141000
			40	118000	115285
			35	141000	141000
		रेहण्ड	पी 545	94000	91993
			पी 1101	94000	92066
			522	355000	353410
		योग			
2020-21	कैम्पा मद	सोनहत	141	864000	863999
			193	864000	864000
			140	864000	864000
			मेण्ड्रा बैरियर से आमामानी	864000	863999
			पी 124	864000	864000
			पी 125	864000	863999
			पी 126	864000	864000
			पी 144	864000	864000
			पी 145	864000	863999
			175	864000	864000
			176	864000	863705
			198	864000	834500
			228	864000	863999
			पी 176	64900	64900
			228	64900	64900
			179	64900	61950
			180	64900	61950
			179,142	129800	118000
			जनकपुर	पी 271	864000
		65		864000	863976
		62		864000	863990
		64		864000	863985
		पी 263		64900	64900
		65		64900	64900
		56		64900	64900

वर्ष	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
2020-21	कैम्पा मद	रामगढ़	पी 31	864000	864000
			पी 76	864000	864000
			पी 99	864000	863999
			पी 96	864000	864000
			पी 95	864000	864000
			पी 123	864000	863995
			पी 100	864000	863995
			पी 20	864000	864000
			पी 14	864000	864000
			पी 54	864000	863999
			पी 84	864000	864000
			पी 75	864000	863995
			पी 29	864000	864000
			पी 20	64900	64900
			कमर्जी	301	64900
		297		64900	64900
		रेहण्ड	पी 1362	864000	859634
			पी 506	864000	859929
			518	864000	858159
			517	864000	820104
			514	864000	860224
			515	864000	849634
			516	864000	859929
			1370	864000	856979
			1359	864000	824334
			1363	864000	860224
			510	864000	859929
			511	864000	855799
			509	864000	856684

(राशि रूपये में)

वर्ष	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
2020-21	कैम्पा मद	रेहण्ड	521	864000	858159
			1358	864000	860224
			1362	864000	0
			1371	64900	0
योग				40587700	39451099
कुलयोग विभागीय-कैम्पा मद वर्ष 2020-21				44658700	43497819
महायोग 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21				48252700	47023146

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1798) के भाग (क) की जानकारी]

1. जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक की अवधि में रायपुर जिले के जिन नदी, नाला तथा तालाबों के जल की जांच की गई उनकी सूची :—

क्रमांक	नदियों के नाम
1.	खारून नदी
2.	महानदी

क्रमांक	नालों के नाम
1.	छोकरा नाला
2.	चिंगरी नाला
3.	गोवर्धन नाला
4.	अटारी नाला
5.	सरोना नाला
6.	बेन्द्री नाला
7.	उरकुरा नाला

क्रमांक	तालाबों के नाम
1.	तेलीबांधा तालाब
2.	महाराजबंध तालाब
3.	बूढ़ा तालाब
4.	ककाली तालाब
5.	नरहरेश्वर तालाब

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1835) के भाग (क) की जानकारी]

राम वनगमन पथ में राज्य शासन द्वारा कराए गए वृक्षारोपण की जिलेवार, मदवार, स्वीकृत राशि की कार्यवार जानकारी

वृक्षारोपण माह/द्वय	क्र.	जिले का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य का नाम
1	2	3	4	5	6
2020-21	1	गरियाबंद	मनरेगा	49.59	पथ वृक्षारोपण
2020-21	2	बलौदाबाजार	मनरेगा	288.79	पथ वृक्षारोपण
2020-21	3	धमतरी	मनरेगा	268.53	पथ वृक्षारोपण
2020-21	4	रायपुर	मनरेगा	63.70	पथ वृक्षारोपण
2020-21	5	महासमुन्द	मनरेगा	70.82	पथ वृक्षारोपण
2020-21	6	कोरबा	मनरेगा	189.25	पथ वृक्षारोपण
2020-21	7	रायगढ़	मनरेगा	324.33	पथ वृक्षारोपण
2020-21	8	जांजगीर चांपा	मनरेगा	146.79	पथ वृक्षारोपण
जुलाई से सितम्बर, 2020	9	कांकेर	मनरेगा	69.32	पथ वृक्षारोपण
	10	कोण्डागांव	मनरेगा	194.03	पथ वृक्षारोपण
	11	नारायणपुर	मनरेगा	84.79	पथ वृक्षारोपण
अगस्त 2020	12	बस्तर	मनरेगा	24.69	पथ वृक्षारोपण
अगस्त 2020	13	सुकमा	मनरेगा	212.31	पथ वृक्षारोपण
अगस्त 2020	14	दंतेवाड़ा	मनरेगा	185.84	पथ वृक्षारोपण
जुलाई-अगस्त 2020	15	सरगुजा	मनरेगा	40.36	पथ वृक्षारोपण
जुलाई 2020	16	सूरजपुर	मनरेगा	102.32	पथ वृक्षारोपण
जून-अगस्त 2020	17	कोरिया	मनरेगा	175.48	पथ वृक्षारोपण
जुलाई-अगस्त 2020	18	जशपुर	मनरेगा	10.00	पथ वृक्षारोपण
		महायोग -		2500.94	

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 134) की जानकारी]

तेलंगाना राज्य को बेची गई बिजली का विवरण

माह	बेची गयी बिजली की मात्रा	दर
	(मिलियन यूनिट में)	(रूपये प्रति यूनिट में)
जनवरी-19	156.32	10.22
फरवरी-19	207.91	5.15
मार्च-19	338.52	4.45
अप्रैल-19	65.19	6.63
मई-19	89.17	5.75
जून-19	189.84	4.99
जुलाई-19	305.66	4.38
अगस्त-19	110.08	4.33
सितम्बर-19	75.61	4.5
अक्टूबर-19	134.21	4.39
नवम्बर-19	211.73	4.56
दिसम्बर-19	306.87	4.32
जनवरी-20	193.08	4.71
फरवरी-20	264.16	4.67
मार्च-20	299.52	4.6
अप्रैल-20	294.98	5.15
मई-20	297.3	4.64
जून-20	288.99	4.74
जुलाई-20	352.26	4.03
अगस्त-20	463.95	4.14
सितम्बर-20	273.37	4.52
अक्टूबर-20	217.76	4.65
नवम्बर-20	413.69	4.32
दिसम्बर-20	327.65	4.37
जनवरी-21	93.3	5.07

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 135) के भाग (क) की जानकारी]

गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित ग्रामों के पटवारी हल्का नम्बर सहित वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार जनसंख्या

अ.क्र.	गांव का नाम	पटवारी हल्का नंबर	गांव की जनसंख्या
1	2	3	4
1	धनपुर	1	199
2	कुर्थी	1	296
3	सलगवांखुर्द	1	231
4	सेमरिया	2	329
5	सुकतरा	2	146
6	बघवार	2	68
7	उधैनी	2	227
8	तुरीपानी	3	195
9	बैजनपाठ	7	625
10	लुल	7	348
11	रेवलार	9	35
12	मझगवांखुर्द	9	118
13	माढर (विरान)	9	0
14	रसौकी	9	457
15	तेलईपाठ	9	149
16	चिचियो	10	34
17	ढाब	28	76
18	थोड़गी	28	97
19	दुलारी	28	39
20	कुदरा	28	136
21	पटपरहा	28	18
22	कटरंगी	28	94
23	कोरमों	28	182
24	खोहरा	28	233
25	सोनवाही	30	198
26	ओदरी (बीरान)	31	0
27	मुलुकनार	31	365
28	छतौड़ा	31	101
29	मोगरा	33	210
30	सुखाड़	33	31
31	खोखनिया	33	329

अ.क्र.	गांव का नाम	पटवारी इत्यादि नंबर	गांव की जनसंख्या
1	2	3	4
32	मोपहनगर	33	80
33	बडगांवखुर्द	33	402
34	औड़ी (विरान)	34	0
35	सीतापुर	34	128
योग :-			6176

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 872) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्रवार हाउसहोल्ड की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड	ग्राम की संख्या	कुल घरेलू नल कनेक्शन की संख्या	प्रदाय किये गये घरेलू नल कनेक्शन	शेष घरेलू नल कनेक्शन	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धमतरी	धमतरी	धमतरी	143	38947	15392	23555	—
2		कुरुद	कुरुद	132	42799	12943	29856	—
			मगरलोड	24	9655	2742	6913	—
			योग :-	156	52454	15685	36769	—
3		सिहावा	नगरी	235	38997	6124	32873	—
			मगरलोड	89	16646	1859	14787	—
			योग :-	324	55643	7983	47660	—
महायोग :-			623	147044	39060	107984	—	

प्रपत्र "ब"

कलेक्टर, जिला धमतरी के आदेश क्रमांक 08/पी.एच.ई./कले./2019-20, धमतरी दिनांक 22.01.2020 द्वारा जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्हीडब्ल्यूडीसी) का पुर्नगठन करते हुए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) अंतर्गत समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. कलेक्टर, जिला धमतरी | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी | — | सदस्य |
| 3. वन मंडलाधिकारी, जिला धमतरी | — | सदस्य |
| 4. उपसंचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, धमतरी | — | सदस्य |
| 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी | — | सदस्य |
| 6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला धमतरी | — | सदस्य |
| 7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी | — | सदस्य |
| 8. उपसंचालक, कृषि विभाग, जिला धमतरी | — | सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जिला धमतरी | — | सदस्य |
| 10. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड धमतरी | — | सदस्य सचिव |

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1003) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	आबंटन विवरण कैम्पा निधि से		उपयोग राशि (व्यय) (लाख ₹में)
					भौतिक	आबंटित राशि (लाख ₹में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण -- प्रथम वर्ष	260.893 हे.	92.140	46.647
2	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	औषधीय रोपण (एम.पी.सी.ए.) कार्य	961.59 हे.	34.195	5.745
3	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	औषधीय पौधों के विकास एवं संवर्धन कार्य	733.92 हे.	7.000	0.717
4	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	नर्सरी सुदृढीकरण कार्य	2 नग	10.000	0.500
5	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	फूलों की घाटी केशकाल सोदर्यीकरण कार्य	157 हे.	100.000	25.859
6	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष कार्य	396 हे.	595.382	93.945
7	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (दशम वर्ष) कार्य	110 हे.	3.300	0.000
8	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (नवम वर्ष रखरखाव) कार्य	155 हे.	4.650	0.708
9	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (अष्टम वर्ष रखरखाव) कार्य	133.64 हे.	4.010	0.000
10	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (सप्तम वर्ष रखरखाव) कार्य	68.364 हे.	2.050	0.000
11	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (षष्ठम वर्ष रखरखाव) कार्य	7.694 हे.	0.230	0.000
12	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (चतुर्थ वर्ष रखरखाव) कार्य	3 हे.	0.260	0.000
13	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रखरखाव (तृतीय वर्ष रखरखाव) कार्य	7.732 हे.	2.930	0.000
14	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	छिन्दघास / लेन्टाना उन्मूलन कार्य प्रथम वर्ष कार्य	5500.002 हे.	429.839	280.910
15	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	चेनलिक फेंसिंग कार्य	4700 र.मी.	85.070	0.000
16	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	नरया विकास योजना अंतर्गत कार्य	1402 नग	408.810	0.621
17	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	छिन्दघास / लेन्टाना उन्मूलन कार्य द्वितीय वर्ष	450 हे.	5.310	2.360
18	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	2192.736 हे.	24.121	9.960
19	कोण्डागांव	उत्तर कोण्डागांव (केशकाल)	2020-21	मित्तव्ययी वृक्षारोपण पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	10 हे.	0.249	0.000
कुल योग :-						1809.546	467.972

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1004) के भाग (क) की जानकारी]

कोण्डागाँव जिले के अन्तर्गत निविदा जारी किये गये रेत खदानों की जानकारी

क्र.	नगर पालिका/ ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	नदी का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्राम पंचायत संबलपुर	कोण्डागाँव	नारंगीनदी	1/1	5.20	संचालित
2	ग्राम पंचायत सिंगनपुर	केशकाल	गहीरबहार नदी	203	5.030	संचालित
3	ग्राम पंचायत बनियागाँव	कोण्डागाँव	नारंगी नदी	574	5.265	संचालित
4	ग्राम पंचायत सोनाबाल	कोण्डागाँव	नारंगी नदी	38	4.00	संचालित
5	ग्राम पंचायत आवंरी	केशकाल	गहीरबहार नदी	1/2	5.900	संचालित
6	ग्राम पंचायत मसोरा	कोण्डागाँव	नारंगीनदी	476	6.000	पर्यावरण सम्मति अप्राप्त
7	ग्राम पंचायत बड़ेखौली	केशकाल	गहीरबहार नदी	3	4.95	कार्यपालन प्रतिभूति जमा नहीं किये जाने से निरस्त
8	नगर पालिकापरिषद कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	नारंगी नदी	98/1, 378/6, 378/7	5.100	नगर पालिका /नगर पंचायत से अनापत्ति
9	नगर पंचायत फरसगाँव	फरसगाँव	भंवरडीह नदी	90	07.000	प्रमाण पत्र अप्राप्त

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1077) की जानकारी]

कबीरधाम जिले में वर्ष 2019, 2020 में किए गए वृक्षारोपण का योजनावार, प्रजातिवार जीवित पौधों की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	रोपित किये गये पौधों की प्रजातिवार संख्या																	जीवित पौधों की संख्या	
			सागौन	बांस	आंवला	खम्हार	सफेद सीरस	बेल	अर्जुन	शिशु	करंज	जामुन	नीम	बहेड़ा	साजा	आम	ईमली	अन्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2019	बिगड़े वनों का सुधार	5500	1200	5000	2500	2000			1650	3000	1150								22000	21120
2		औषधीय रोपण			15000				11000	10000			12000	6000					6000	60000	52800
3		कैम्पा	25900	5600	3494	1640	700			200	9000	3516			1000	800				51850	47500
4		ESIP योजना	116470	128270	5805						8452	915	6048						22040	288000	267386
5		वन विकास निगम	117500																	117500	104927
		योग :-	265370	135070	29299	4140	2700	11000	10200	19102	7431	19198	6000	1000	800	0	0	28040	539350	493733	
1	2020	बिगड़े वनों का सुधार	186600																	186600	177270
2		अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	25000																	25000	23750
3		पर्यावरण वानिकी			150	50				150		150	100	100				50	50	800	788
4		नदी तट वृक्षारोपण		100	575	380				1700	900	1680	2500	600			200	200	4840	13675	13418
5		वन विकास निगम	250000																	250000	225100
		योग :-	461600	100	725	430	0	0	1850	900	1830	2600	700	0	0	200	250	4890	476075	440326	
		कुलयोग :-	726970	135170	30024	4570	2700	11000	12050	20002	9261	21798	6700	1000	800	200	250	32930	1015425	934059	

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1267) की जानकारी]

वर्ष 2018-19 एवं वर्ष, 2019-20 के (माह अप्रैल-मार्च) तक तथा वर्ष 2020-21 में दिनांक 19-07-2020 तक

क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष, 2018-19 ओवर लोडिंग प्रकरण		वर्ष, 2019-20 ओवर लोडिंग प्रकरण		वर्ष, 2020-21 ओवर लोडिंग प्रकरण	
		वाहन चालान संख्या	वसूल समझौता शुल्क	वाहन चालान संख्या	वसूल समझौता शुल्क	वाहन चालान संख्या	वसूल समझौता शुल्क
1	रायपुर	1,326	2,74,21,500	770	1,40,08,500	143	25,01,500
2	धमतरी	169	22,97,000	290	37,24,000	33	4,31,000
3	महासमुंद	149	21,07,400	166	28,40,000	55	9,79,500
4	दुर्ग	598	92,10,700	472	71,02,900	62	8,54,000
5	राजनांदगांव	141	18,44,000	196	26,43,500	14	1,87,000
6	कबीरधाम	171	35,43,300	169	29,35,500	17	2,43,000
7	बिलासपुर	665	1,28,88,200	690	1,09,48,500	48	7,97,500
8	जांजगीर-चांपा	168	22,10,000	197	25,11,500	11	1,26,000
9	कोरबा	272	35,56,000	409	49,25,500	20	2,68,000
10	रायगढ़	485	91,72,400	400	58,65,700	38	4,24,500
11	जशपुर	45	9,58,000	42	7,80,500	0	0
12	अंबिकापुर	115	20,71,000	106	19,80,500	5	84,000
13	कोरिया	29	4,33,000	55	7,79,000	3	38,000
14	जगदलपुर	115	17,60,000	84	9,62,000	12	1,35,000
15	दन्तेवाड़ा	3	8,500	27	3,16,500	3	30,000
16	कांकेर	37	5,97,500	14	2,00,500	1	12,000
17	नारायणपुर	19	2,15,700	11	1,02,000	0	0
18	बीजापुर	0	0	7	1,58,200	0	0
19	बलोदाबाजार	408	62,03,000	380	55,15,500	31	4,41,000
20	गरियाबंद	15	1,69,000	59	7,67,000	8	93,000
21	बालोद	59	7,64,000	156	19,63,000	7	,92,000
22	बैमतरा	148	27,11,000	209	32,58,500	17	2,66,000
23	सुकमा	0	0	8	75,000	1	3,000
24	कोण्डागांव	26	3,33,500	26	3,52,000	6	75,500
25	मुंगेली	88	14,31,000	176	22,17,000	11	1,20,000
26	सूरजपुर	120	20,95,500	117	22,65,500	18	2,63,000
27	बलरामपुर	72	11,62,500	76	12,04,000	8	96,000
	योग-	5,443	9,51,63,700	5,312	8,04,02,300	572	85,60,500

दिनांक

माह जुलाई, 2020 (दिनांक 04.07.2020) को परिवहन चेकपोस्ट/उड़नदस्तों के संचालन प्रारम्भ होने से दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 03.02.2021 तक बनाए गये ओवरलॉडिंग की कार्यवाही की जानकारी :-

क्र.	जिले की सीमा में स्थापित चेकपोस्ट	परिवहन चेकपोस्ट का नाम	माह जुलाई, 2020 (दिनांक 20.07.2020 से जनवरी, 2021 तक)		मह फरवरी, 2021 (दिनांक 01.02.2021 से 03.02.2021 तक)	
			वाहन चालान संख्या	वसूल समझौता शुल्क	वाहन चालान संख्या	वसूल समझौता शुल्क
1	छ0ग0-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	पाटेकोहरा	8	97,000	0	0
2	छ0ग0-उड़ीसा जिला-महासमुंद	खम्हारपाली	256	42,06,000	1	15,000
3	छ0ग0-झारखण्ड जिला-जशपुर	शंख	44	5,26,000	0	0
4	छ0ग0-उत्तरप्रदेश जिला-बलरामपुर	धनवार	39	5,66,000	0	0
5	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-कवर्धा	चिल्फी	56	8,13,000	0	0
6	छ0ग0-उड़ीसा जिला-रायगढ़	रेंगारपाली	3	39,000	0	0
7	छ0ग0-आन्ध्रप्रदेश जिला-सुकमा	कोटा	7	87,000	0	0
8	छ0ग0-आन्ध्रप्रदेश जिला-जगदलपुर	धनपुंजी	19	2,28,000	0	0
9	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-बिलासपुर	केंवची	5	68,000	0	0
10	छ0ग0-उड़ीसा जिला-महासमुंद	बागबाहरा	13	2,08,000	0	0
11	छ0ग0-झारखण्ड जिला-बलरामपुर	रामानुजगंज	0	0	0	0
12	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	घुटरीटोला	10	101,000	0	0
13	छ0ग0-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	मानपुर	21	3,53,000	0	0
14	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-राजनांदगांव	छोटा मानपुर	1	9,000	0	0
15	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-राजनांदगांव	खरखाटोला	1	21,000	0	0
16	छ0ग0-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	चांटी	1	9,000	0	0
	योग-		484	73,31,000	1	15,000
	उड़नदस्तों का नाम					
1	सीजी-04, जिला-रायपुर	रायपुर	938	1,56,26,700	40	7,30,000
2	सीजी-07, जिला-दुर्ग	दुर्ग	522	80,01,500	6	77,000
3	सीजी-10, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर	474	64,72,000	13	1,61,000
4	सीजी-12, जिला-कोरबा	कोरबा	248	38,09,000	10	2,08,500
5	सीजी-13, जिला-रायगढ़	रायगढ़	414	65,11,500	11	1,20,000
6	सीजी-15, जिला-अंबिकापुर	अंबिकापुर	119	14,73,000	6	68,800
7	सीजी-17, जिला-जगदलपुर	जगदलपुर	224	30,20,000	3	40,000
	योग-		2,939	4,49,13,700	89	14,05,300
	कुल योग-		3,423	5,22,44,700	90	14,20,300

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1512) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित रेत खदानों की जानकारी

क्र	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	देवरघटा	कमरीद तह0 पामगढ़	5.000 हे.	कार्यशील
2	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	तनौद	तनौद तह. पामगढ़	5.000 हे.	कार्यशील
3	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं0 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	खोरसी-1	खोरसी तह0 पामगढ़	5.000 हे.	कार्यशील
4	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं0 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	खोरसी-2	खोरसी तह0 पामगढ़	5.000 हे.	कार्यशील
5	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं0 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ0ग0	देवरी	देवरी तह0 पामगढ़	5.000 हे.	कार्यशील
6	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं0 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ0ग0	महन्तपारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	5.000 हे.	कार्यशील
7	श्री अभिषेक अग्रवाल, पिता श्री अशोक अग्रवाल, निवासी 1/212, श्रीकृष्णा राईस मिल, मुंगेली रोड वार्ड नं0 1, जिला बिलासपुर, छ0ग0	भोगहापारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	5.000 हे.	कार्यशील
8	श्री दिलाराम कश्यप, पिता श्री तिहारू राम कश्यप, निवासी वार्ड 14, गाँव मरघट्टी, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर -चांपा, छ0ग0	मिरौनी	मिरौनी तह0 मालखरौदा	5.000 हे.	कार्यशील
9	श्रीकान्त चन्द्रा, पिता श्री चिरौजी लाल चन्द्रा, निवासी वार्ड नं 10 शिव शंकर, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	सुलौनी	सुलौनी तह0मालखरौदा	5.000 हे.	कार्यशील

क्र	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी वार्ड नं० 3 गांधी चौक नैला, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	हथनेवरा	हथनेवरा तह० चांपा	5.000 हे.	कार्यशील
11	श्री बाबूलाल जायसवाल, पिता श्री रामेश्वर प्रसाद जायसवाल, निवासी ग्राम सोठी, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	जुनाडीह (सोनाईडीह)	सोनाईडीह तह० चांपा	5.000 हे.	कार्यशील
12	श्री बिसाहुराम चन्द्रा, पिता स्व० श्री बट्टूलाल चन्द्रा, निवासी वार्ड 364, महावरीर चौक टाड़पारा, काश्शशीगढ़, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	हरदी	हरदी तह० जैजैपुर	4.000 हे.	कार्यशील
13	श्री घनश्याम प्रसाद चन्द्रा, पिता श्री भेखराम चन्द्रा, निवासी वार्ड 11, तहसील जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	बरहागुडा	बरहागुडा तह० डभरा	5.000 हे.	कार्यशील
14	श्री प्रकाश सिघानिया, पिता श्री गणेश प्रसाद सिघानिया, निवासी वार्ड 16, मेनरोड़ नेताजी चौक जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	चोरिया	चोरिया तह० चांपा	5.000 हे.	कार्यशील
15	श्री चित्रकुमार जायसवाल, पिता श्री सुआलाल जायसवाल नि० ग्राम मल्हार जिला बिलासपुर (छ.ग.)	पीथमपुर	ग्राम/ग्राम पंचायत पीथमपुर तह० जांजगीर	5.000 हे.	कार्यशील
16	श्री चित्रकुमार जायसवाल, पिता श्री सुआलाल जायसवाल नि० ग्राम मल्हार जिला बिलासपुर (छ.ग.)	गाढापाली	ग्राम गाढापाली (ग्रा. पं. अकलतरी) तह० जांजगीर	5.000 हे.	कार्यशील
17	श्रीमती भावना शर्मा पति श्री भरत शर्मा, नि० एल.आई.जी. 76, विभाग 01 दुर्गा चौक के पास, हाऊसिंग बोर्ड बस्ती, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)	केराकछार	ग्राम/ग्राम पंचायत केराकछार तह० बलौदा	5.000 हे.	कार्यशील
18	श्री शशिकपूर उपाध्याय, पिता श्री रामसुभग उपाध्याय, निवासी रामप्रसाद तालाब के पास नैला, तह० जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	देवरी	ग्राम/ग्राम पंचायत देवरी तह० बलौदा	3.500 हे.	कार्यशील
19	श्री सुनील कुमार चन्द्रा, आ० श्री छोटेलाल चन्द्रा निवासी सिदार पारा डभरा, तह० डभरा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	खुरघट्टी	ग्राम/ग्राम पंचायत खुरघट्टी तह० डभरा	5.000 हे.	कार्यशील

क्र	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
20	श्री सुनील कुमार चन्द्रा, आ० श्री छोटेलाल चन्द्रा निवासी सिदार पारा डभरा, तह० डभरा, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)	मांजर्कुद	ग्राम मांजर्कुद (ग्रा. पं. सिरियागढ़) तह० डभरा	5.000 हे.	कार्यशील
21	श्री दीपक कुमार जायसवाल, आ० श्री बाबूलाल जायसवाल, निवासी हाऊस नंबर 421, वार्ड नंबर 19, जायसवाल मोहल्ला सोठी, तह० चांपा जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	किकिरदा	ग्राम/ग्राम पंचायत किकिरदा तह० जैजैपुर	5.000 हे.	कार्यशील
22	कु० निकिता गुम्बर आ० श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह० बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	भादा	ग्राम भादा (ग्रा. पं. नवापारा) तह० जांजगीर	5.000 हे.	कार्यशील
23	कु० निकिता गुम्बर आ० श्री मनेन्द्र सिंह गुम्बर, निवासी डॉ धीर नर्सिंगहोम के सामने दयालबंद बिलासपुर, तह० बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	नवापारा	ग्राम/ग्राम पंचायत नवापारा तह० जांजगीर	5.000 हे.	कार्यशील
24	कु० कविता मिश्रा, माता श्रीमती शीतलादेवी मिश्रा, वार्ड नंबर 10 अमोरा, तह० नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	बरगढ़ी	ग्राम बरगढ़ी (ग्रा. पं. सोनाईडीह) तह० चांपा	5.000 हे.	कार्यशील
25	कु० कविता मिश्रा, माता श्रीमती शीतलादेवी मिश्रा, वार्ड नंबर 10 अमोरा, तह० नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	बरबसपुर	ग्राम/ग्राम पंचायत बरबसपुर तह० नवागढ़	5.000 हे.	कार्यशील
26	श्री पंकज पटेल, आ० श्री शिवलाल पटेल, निवासी खलासा गैस एजेसी के पास छोट अतरमुड़ा, तह० रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	कवंलाझर	ग्राम/ग्राम पंचायत कवंलाझर तह० डभरा	5.000 हे.	कार्यशील

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1513) के भाग (क) की जानकारी] .

जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत 2018-19 से दिनांक 04-02-2021 तक वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण की स्थलवार, रोपण पर लागत राशि, रोपित एवं जीवित वृक्षों की संख्या एवं रखरखाव पर व्यय की जानकारी

(राशि लाख रुपये में)

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2018-19	कूप VII कक्ष क्रमांक 101 जर्वे	30800	47.51
2018-19	कूप VII ऑरेज क्षेत्र 160 पिपरदा	10780	20.19
2018-19	कूप VII कक्ष क्रमांक 55 लेवई	29040	42.80
2018-19	कूप VII कक्ष क्रमांक 107 खोहा	8451	28.01
2018-19	बरेकेलकला	4000	0.92
2018-19	चोरिया (बरमांटा)	1050	0.32
2018-19	देवरीमठ	1125	0.41
2018-19	किकिरदा	500	0.18
2018-19	सलनी	500	0.18
2018-19	बम्हनीडीह	1000	0.23
2018-19	खम्हारडीह	800	0.18
2018-19	बाराद्वार	3083	1.89
2018-19	जाटा	413	0.15
2018-19	सोनसरी	416	0.12
2018-19	जांजग	2760	0.64
2018-19	बासीन	600	0.14
2018-19	घोघरी	205	0.05
2018-19	सोनगुड़ा	2200	0.51
2018-19	बाराद्वार	2200	0.51
2018-19	पनारी	2040	0.47
2018-19	डूमरपारा	600	0.14
2018-19	बिलाईगढ़	600	0.14
2018-19	बघनीपाली	800	0.18
2018-19	बलौदा	59	0.68
2018-19	पनोरापारा	174	0.44
2018-19	बक्सरा	3020	0.56
2018-19	पंतोरा	1300	0.22
2018-19	अंगारखार	350	0.18
2018-19	हेड्सपुर	590	0.16
2018-19	खिसोरा	200	0.05

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि:
1	2	3	4
2018-19	भिलौनी	250	0.39
2018-19	डोगाकोहरौद	260	0.07
2018-19	कलमीटार	15	0.55
2018-19	दोरला	2200	0.23
2018-19	धुरकोट	400	0.05
2018-19	दहकोनी	100	0.19
2018-19	बम्हनीडीह	3500	0.46
2018-19	बोहराडीह	150	0.18
2018-19	खपरी	500	0.14
2018-19	कटघरी	4500	0.41
2018-19	बिरकोनी	1000	0.18
2018-19	तेन्दूभाठा	3000	0.86
2018-19	राजस्व भूमि जर्वे-ब -2	19096	53.62
2018-19	राजस्व भूमि कोसमंदा-1	28050	74.13
2018-19	राजस्व भूमि देवरीमठ	4950	24.71
2018-19	राजस्व भूमि बरेकेलकला	3520	9.88
2018-19	राजस्व भूमि कलमी	22880	64.25
2018-19	राजस्व भूमि सरहर	18480	51.89
2018-19	कुलीपोटा	360	1.86
2018-19	चांपा बाईपास से घठोली चौक	252	5.06
2018-19	कचहरी चौक से खोखसा फाटक -	315	4.75
2018-19	कुलीपोटा से गेमनपुल	585	8.09
2018-19	जांजगीर नहरपुल से नहरिया बाबा	450	6.47
2018-19	नेताजी चौक से शारदा चौक तक	180	3.08
2018-19	कचहरी चौक से नैला स्टेशन	360	5.30
2018-19	शारदा चौक से बनारी	585	8.12
2018-19	भीमा तालाब के चारों ओर	360	5.32
2018-19	बनारी से हाथीटिकरा	450	6.44
2018-19	हाथी टिकरा से तिलई तक	540	7.10
	योग 2018-19 (विमागीय)	226944	491.97
वन विकास निगम			
2018-19	रसोटा-3	30822	116.05
2018-19	बोरसी-1	16551	38.36
2018-19	बोरसी-3	18398	53.62
2018-19	मेकरी	20471	77.89
	योग 2018-19 (वन विकास निगम)	86242	285.93
	कुलयोग 2018-19	313186	777.90

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-131 कटघरी	51744	58.20
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-51 जूनाडीह	31350	35.63
2019-20	कूप. नं. VIII आरंज क्षेत्र 145 बनाहिल	9900	11.87
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-80 बुढ़ना	32010	35.63
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-55 लेवई	49500	59.28
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-46 भोथिया	34650	41.57
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क- 100 दहकोनी	27200	44.75
2019-20	कूप. नं. VIII कक्ष क-131 कटघरी	34848	39.19
2019-20	बिरा	1000	0.20
2019-20	उच्चभिट्टी	2160	0.39
2019-20	बाराद्वार	2420	0.98
2019-20	देवरीमठ	960	0.19
2019-20	भोथिडीह	1680	0.39
2019-20	कूप. नं. III कक्ष क-62 सरईताल	19800	21.34
2019-20	कूप. नं. III कक्ष क-62 सरईताल	23023	24.27
2019-20	कक्ष क्रमांक 08, मसनिया	13200	14.55
2019-20	कक्ष क्रमांक 40, सोनगुढ़ा	13200	14.56
2019-20	कक्ष क्रमांक 12, मसनिया	10824	14.56
2019-20	कक्ष क्रमांक 20, बैलाचुवा	8800	9.26
2019-20	घटोली चौक से बिरा तक	428	1.13
2019-20	औरईकला	160	1.12
2019-20	कुलीपोटा	120	0.08
2019-20	महुदा (च)	1200	0.10
2019-20	औरईकला	1525	0.92
2019-20	केसला	0	0.42
2019-20	तरौद	60	0.21
2019-20	अमरताल	60	0.21
2019-20	खपरीडीह	1650	0.36
2019-20	रिसदा	1540	0.36
2019-20	खजुरानी	160	0.59
2019-20	गोविदा	160	1.78
2019-20	खजुरानी	1760	1.06
2019-20	गोविदा	1760	0.75
	योग 2018-19 (विभागीय)	378852	435.91
वन विकास निगम			
2019-20	मड़वा	9622	9.86
	योग 2018-19 (वन विकास निगम)	9622	9.86
	कुलयोग 2019-20	388474	445.77

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-ओ.ए.144, महमदपुर	26950	27.46
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-ओ.ए. 155, अकलतरा	24750	27.02
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-ओ.ए.159, अमलीपाली	18810	20.73
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-109, परसाही	15840	17.72
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-97, पहरिया	27720	30.96
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-97, पहरिया	31680	35.20
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-84, पंतोरा	21120	22.20
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-84, पंतोरा	31350	33.34
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-139, कटरा भाग-1	16335	16.74
2020-21	कूप क. IX कक्ष क-139, कटरा भाग-2	16335	16.74
2020-21	पामगढ़	4000	0
2020-21	जवेरा	2000	0
2020-21	लटिया	1000	0
2020-21	खटोला	7000	0
2020-21	पड़रिया	1000	0
2020-21	कोटमीसोनार	3000	0
2020-21	अकलतरा	6600	0
2020-21	बनाहिल	5550	0
2020-21	भैसों	6550	0
2020-21	बलौदा	3830	0
2020-21	कनरदा	1350	0
2020-21	नवापारा (ख)	2970	0
2020-21	बक्सरा	2100	0
2020-21	हेडसपुर	3500	0
2020-21	पंतोरा	900	0
2020-21	नरियरा	2000	0
2020-21	तरौद	2000	0
2020-21	ढोरला	2000	0
2020-21	अंगारखार	2500	0
2020-21	मुड़ापार	2000	0
2020-21	लवसरा	3700	0
2020-21	गसनिया	400	0
2020-21	ढिमानी	1065	0
2020-21	जांजग	1400	0
2020-21	ऋषभतीर्थ	1400	0
2020-21	पनारी	1330	0
2020-21	जांगरा	1400	0

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	परसराकला	792	0
2020-21	नावापारा	730	0
2020-21	तेन्दूटोहा	400	0
2020-21	गोबराभाठा	1050	0
2020-21	कासा	1400	0
2020-21	छपोरा	1750	0
2020-21	सेन्द्री	875	0
2020-21	गाड़ामोर	600	0.03
2020-21	लोहराकोट	550	0.03
2020-21	भोथीडीह	3300	0.15
2020-21	करही	640	0.04
2020-21	पुछेली	1350	0.08
2020-21	अमरुवा	440	0.02
2020-21	करनौद	500	0.03
2020-21	बम्हनीडीह	7557	0.34
2020-21	बाराद्वार	6920	0.43
2020-21	कोसमंदा	400	0.03
2020-21	धुरकोट	1575	0.09
2020-21	देवरीमठ	1500	0.08
2020-21	मुड़पार	280	0.01
2020-21	मुक्ताराजा	3000	0.13
2020-21	कोसमंदा	1105	0.82
2020-21	देवरीमठ	150	0.13
2020-21	बुढ़ना	100	0.04
2020-21	करमा	200	0.04
2020-21	खटोला	100	0.04
2020-21	नवापारा	200	0.08
2020-21	बनाहिल से पकरिया	400	2.87
2020-21	तिलई से तरौद	1200	11.27
2020-21	शिवरीनारायण से खरौद	164	1.26
2020-21	तरौद से बनाहिल	600	4.02
2020-21	पकरिया से पामगढ़	400	1.45
2020-21	मिरोनी	425	3.80
2020-21	राजस्व भूमि कमरीद मुनगा एवं आम रोपण	762	5.39
2020-21	मसनिया से जुड़गा	9500	34.32
2020-21	नैला से पकरिया	9000	42.75
2020-21	रोगदा	180	0.10

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	पधेडा	180	0.22
2020-21	भादा	180	1.13
2020-21	मौहाडीह	180	0.22
2020-21	बुडेना	180	0.22
2020-21	मुडमार (खि.)	180	0.20
2020-21	दुरपा	180	1.12
2020-21	तुस्मा	180	1.12
2020-21	कनस्दा	180	1.13
2020-21	किरीत	180	0.12
2020-21	भैंसमुडी	180	0.23
2020-21	धाराशिव (खो.)	180	1.10
2020-21	पोडी	180	1.06
2020-21	मिस्दा	180	0.22
2020-21	नगारीडीह	180	0.21
2020-21	खोखसा	180	1.12
2020-21	नेगुरडीह	180	1.12
2020-21	कांसा	180	1.15
2020-21	पुटपुरा	180	0.22
2020-21	पकरिया झू	180	0.04
2020-21	खटोला	180	0.72
2020-21	बिरकोनी	180	0.04
2020-21	कटघरी	180	0.04
2020-21	परसाही बाना	180	0.04
2020-21	परसाही नाला	180	0.04
2020-21	बरपाली	180	0.04
2020-21	पौना	180	0.04
2020-21	बम्हनी	180	0.04
2020-21	कल्याणपुर	180	0.04
2020-21	सोनसरी	180	0.04
2020-21	तागा	180	0.04
2020-21	खोड़	180	0.04
2020-21	बनाहिल	180	0.04
2020-21	कापन	180	0.04
2020-21	अमोरा	180	0.04
2020-21	खिसोरा	180	1.00
2020-21	भैंसतरा	180	0.04
2020-21	मधुवा	180	0.04

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	लटिया	180	0.04
2020-21	झलमला	180	0.03
2020-21	चंगोरी	180	0.04
2020-21	बरगवां	180	0.04
2020-21	कटनई	180	0.04
2020-21	साजापाली	180	0.04
2020-21	कोटगढ़	180	0.04
2020-21	कटनई	180	0.04
2020-21	खिसोरा	160	0.13
2020-21	परसदा	180	1.13
2020-21	रोगदा	180	0.27
2020-21	नवापारा ब	50	0.97
2020-21	हरदीविशाल	160	0.96
2020-21	जर्वे-ब	160	1.18
2020-21	पोंच	180	1.20
2020-21	भैसमुडी	450	0.17
2020-21	किरीत	450	0.22
2020-21	मुडपार खि	450	0.18
2020-21	खटोला	450	0.13
2020-21	बरपाली	450	0.10
2020-21	बिरकोनी	450	0.10
2020-21	झलमला	450	0.10
2020-21	चंगोरी	450	0.10
2020-21	कोटगढ़	450	0.11
2020-21	जर्वे	180	0.21
2020-21	पासीद	180	0.11
2020-21	परसदाखुर्द	180	0.21
2020-21	गढ़गोढ़ी	180	0.11
2020-21	देवरी	180	0.21
2020-21	लहंगा	180	0.19
2020-21	मसनियाखुर्द	180	0.22
2020-21	नदौरखुर्द	180	0.23
2020-21	हरेठी	180	0.13
2020-21	असौंदा	180	0.13
2020-21	देवरमाल	180	0.16
2020-21	नवापाराकला	180	0.23
2020-21	लवसरा	180	0.24

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	कुघरीटार	180	0.23
2020-21	पलाड़ीखुर्द	180	0.21
2020-21	पुछेली	160	1.04
2020-21	दुरपा	160	1.04
2020-21	दरींबंजर	160	1.04
2020-21	सोनादह	160	1.01
2020-21	बरकुट (चोरहादेवरी)	160	0.15
2020-21	बसुला	160	1.04
2020-21	पचोरी	160	1.03
2020-21	पोंडीकला	160	1.04
2020-21	सेमरिया	160	1.05
2020-21	बोरसी	160	1.05
2020-21	नवागांव	160	1.03
2020-21	परसपाली (च)	160	1.05
2020-21	दारंग	160	1.05
2020-21	करनौद	160	1.05
2020-21	भदरा	160	1.05
2020-21	लच्छनपुर	160	1.05
2020-21	भोथीडीह	160	1.05
2020-21	भोथिया	160	1.04
2020-21	डोटमा	160	1.02
2020-21	गुचकुलिया	160	0.15
2020-21	काशीगढ़	160	1.04
2020-21	परदुली	160	0.16
2020-21	रेकेलकला	160	1.05
2020-21	पलादुला	160	0.15
2020-21	बोईरडीह	160	1.16
2020-21	गाड़ामोर	160	1.06
2020-21	खर्वे	160	1.15
2020-21	कलमीडीह	160	1.05
2020-21	ओड़केरा	160	1.05
2020-21	परसदा	160	0.15
2020-21	दर्राभांठा	160	0.21
2020-21	हरेठीकला	160	0.13
2020-21	झालरौदा	160	0.14
2020-21	कुटराबोड़	160	0.12
2020-21	लोहराकोट	160	0.15

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	मलनी	160	0.15
2020-21	सोनादह	375	0.32
2020-21	बंसुला	375	0.34
2020-21	पचोरी	375	0.35
2020-21	पोंडीकला	375	0.10
2020-21	परसापाली (च)	375	0.09
2020-21	करनौद	375	0.21
2020-21	भदरा	375	0.31
2020-21	भोथीडीह	375	0.21
2020-21	भोथिया	375	0.34
2020-21	डोटमा	375	0.29
2020-21	गुचकुलिया	375	0.32
2020-21	काशीगढ़	375	0.33
2020-21	बरदुली	375	0.35
2020-21	बरेकेलकला	375	0.30
2020-21	बेलादुला	375	0.35
2020-21	बोईरडीह	375	0.32
2020-21	गाड़ा मोर	375	0.33
2020-21	जर्वे	375	0.35
2020-21	कलमीडीह	375	0.34
2020-21	ओड़ेकरा	375	0.35
2020-21	परसदा	375	0.35
2020-21	दर्राभाँठा	375	0.33
2020-21	डोंगिया	375	0.33
2020-21	हरेठीकला	375	0.35
2020-21	झालरौंदा	375	0.31
2020-21	कुटराबोड़	375	0.33
2020-21	लोहराकोट	375	0.34
2020-21	मलनी	375	0.35
	योग वर्ष 2020-21 (04.02.21तक) विभागीय	395710	418.99
वन विकास निगम			
2020-21	मड़वा	964	4.12
2020-21	टाणखपरी	1185	0.88
2020-21	कुकदा	1224	0.95
2020-21	हथनेवरा	1309	1.01
2020-21	रसोटा-3	1800	1.32
2020-21	बोरसी-1	836	0.65

रोपण वर्ष	रोपण स्थल का नाम	जीवित वृक्षों की संख्या	रोपण पर लागत राशि
1	2	3	4
2020-21	मेकरी	1212	0.89
2020-21	मेहदा-2	1420	1.13
2020-21	मुडपार	1609	1.37
2020-21	सलखन-2	2120	1.90
2020-21	खरखौद	1647	1.40
2020-21	रसेड़ा	1984	1.78
2020-21	बोरसी	3397	2.94
2020-21	रीवांपार राहोद-3	4468	3.13
2020-21	तेलीननार सेमरीया	2220	1.59
2020-21	जावलपुर-1	2341	1.73
2020-21	परसदा	1188	0.86
	योग वर्ष 2020-21 (04.02.21तक) वन विकास निगम	39606	27.66
	कुलयोग वर्ष 2020-21 (04.02.21तक)	435316	446.65
	महायोग	1136976	1670.31

परिशिष्ट "उनतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1579) के भाग (क) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में विभिन्न खनिजों उत्खनिपट्टों की खनिजवार, तहसीलवार ग्राम व पट्टे की अवधि सहित जानकारी

क.	पट्टेदार का नाम पूर्ण व पता	ग्राम	तहसील	खनिज का नाम	अवधि
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स जिन कुशल कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर श्री पीयूष बैद निवासी बालगोविंद चौक राजनांदगांव	कलडबरी	राजनांदगांव	चूनापत्थर	17.12.20 से 16.12.50
2	श्री अभिनव तिवारी आ. श्री केशव तिवारी पता ग्राम सोमनी तहसील व जिला राजनांदगांव	ईरा	राजनांदगांव	साधारण रेत	06.06.20 से 05.06.22
3	श्री चेतन आनंद चौधरी आ. श्री देवीलाल चौधरी पता बीएनसी मिल कॉलोनी राजनांदगांव	कोटरासरार	डोंगरगांव	साधारण रेत	16.12.20 से 15.12.22
4	श्री मनिन्दर सिंह गरचा आ. श्री हरवंस सिंह गरचा निवासी-राजनांदगांव	देवरी	छुरिया	साधारण रेत	03.06.20 से 02.06.22
5	श्री मनिन्दर सिंह गरचा आ. श्री हरवंस सिंह गरचा निवासी-राजनांदगांव	चांदो	छुरिया	साधारण रेत	03.06.20 से 02.06.22

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1651) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक	जिला	दिनांक 04.02.2021 की स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या				आवेदकों की संख्या जिनसे प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य राशि जमा कराई गई है	कुल जमा कराई गई राशि रूप में (प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य)
		स्वीकृत/स्थापनाधीन	स्वीकृति हेतु लंबित	औपचारिकता हेतु लंबित	योग		
1	बालोद	66	0	163	229	66	1135000
2	बलौदाबाजार	204	11	244	459	215	1746400
3	बलरामपुर	307	42	87	436	349	2104500
4	बस्तर	65	0	183	248	65	271500
5	बेमेतरा	165	0	135	300	165	777600
6	बीजापुर	55	32	178	265	145	1251000
7	बिलासपुर	86	0	71	157	86	313500
8	दंतेवाड़ा	53	0	56	109	83	1063000
9	धमतरी	103	57	52	212	160	1142800
10	दुर्ग	42	0	164	206	42	507200
11	गरियाबंद	541	0	117	658	541	1623000
12	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	12	5	17	34	21	68100
13	जांजगीर-चांपा	140	0	44	184	140	974400
14	जशपुर	832	18	907	1757	850	3345200
15	कबीरधाम	161	0	577	738	161	918100
16	कांकेर	244	13	324	581	292	2504400
17	कोण्डागांव	176	0	970	1146	189	853000
18	कोरबा	150	28	586	764	178	3467200
19	कोरिया	439	0	573	1012	439	1367400
20	महासमुन्द	310	13	634	957	323	1108600
21	मुंगेली	47	0	94	141	141	897000
22	नारायणपुर	50	0	250	300	50	164400
23	रायगढ़	215	164	152	531	379	2021600
24	रायपुर	51	34	69	154	85	403000
25	राजनांदगांव	195	0	429	624	195	1476600
26	सरगुजा	530	0	404	934	530	6827800
27	सुकमा	110	0	589	699	110	394800
28	सूरजपुर	422	143	355	920	565	1819200
	योग	5771	560	8424	14755	6565	40546300

परिशिष्ट "ईकतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1698) के भाग (क) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा के पामगढ़ विकासखण्ड में दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में संचालित क्रेशर की जानकारी

क्र०	क्रेशर संचालक/मालिक का नाम व पता	खनिज का नाम	स्थान का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
1	3	4	5	6
1	मेसर्स श्री गणेश मिनरल्स प्रो० श्री संजय केडिया अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	झूलन	1.214
2	श्री मंगतूराम अग्रवाल आ. श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, निवासी शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	सुकुलपारा	2.024
3	श्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	सुकुलपारा	0.554
4	मे० ओम मायनिंग एण्ड मिनरल्स, प्रो० श्री अंकित सलूजा, निवासी बिलासपुर, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	चण्डीपारा	3.036
5	मेसर्स एच. एस. इंटरप्राइजेस, प्रो० श्री नीरज शर्मा, पिता श्री रणबीर शर्मा, निवासी विनोबा नगर बिलासपुर, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	चोरभट्टी	3.460
6	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स प्रो. श्री राहुल खण्डेलिया, निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	जेवरा	4.000
7	मे० लक्ष्मणेश्वर स्टोन क्रेशर प्रो० श्री सोनाऊ राम गुप्ता, निवासी खरौद, पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	सुकुलपारा	0.655
8	मे० लक्ष्मणेश्वर मिनरल्स, प्रो० श्रीमती अर्चना शर्मा, पति विजय कुमार शर्मा, निवासी शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	सुकुलपारा	0.210
9	मेसर्स लक्ष्मणेश्वर स्टोन टाईल्स मिनरल्स, पार्ट० श्री गोपाल यादव एवं श्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी सुकुलपारा, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	सुकुलपारा	0.364
10	कन्हैयालाल यादव नि० भुईगांव, तह० पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	नि.श्रे. चूनापत्थर	भुईगांव	3.845

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1699) के भाग (क) की जानकारी]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित रेत खदानों की जानकारी

क्र	पट्टेदार/अधिमानी बोलीदार का नाम एवं पता	खदान ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/तहसील	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	देवरघटा	कमरीद तह0 पामगढ़	5.000 हे.
2	श्री पिताम्बर अग्रवाल, पिता श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी स्टेशन रोड चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	तनौद	तनौद तह. पामगढ़	5.000 हे.
3	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं0 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	खोरसी-1	खोरसी तह0 पामगढ़	5.000 हे.
4	श्रीमति मधुरिमा पाण्डेय, पति श्री मनोज कुमार पाण्डेय, निवासी वार्ड नं0 7, सतनामीपारा, कोटमीसोनार, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ0ग0	खोरसी-2	खोरसी तह0 पामगढ़	5.000 हे.
5	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं0 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ0ग0	देवरी	देवरी तह0 पामगढ़	5.000 हे.
6	श्री अर्जुन सिंह, पिता श्री दिनानाथ सिंह, निवासी वार्ड नं0 12, कुम्हार गली, तालापारा, जिला बिलासपुर, छ0ग0	महन्तपारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	5.000 हे.
7	श्री अभिषेक अग्रवाल, पिता श्री अशोक अग्रवाल, निवासी 1/212, श्रीकृष्णा राईस मिल, मुंगेली रोड वार्ड नं0 1, जिला बिलासपुर, छ0ग0	भोगहापारा	शिवरीनारयण तह0 नवागढ़	5.000 हे.

परिशिष्ट “तैंतीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1727) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
1	3563, 27.04.2020	काष्ठागार चिरचारी	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	165620.00	निविदा
2	3563, 27.04.2020	काष्ठागार चिरचारी	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	165620.00	निविदा
3	3563, 27.04.2020	काष्ठागार चिरचारी	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	165620.00	निविदा
4	3563, 27.04.2020	काष्ठागार चिरचारी	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	165620.00	निविदा
5	1670, 12.06.2020	खुज्जी	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	34496.00	निविदा
6	4539, 26.05.2020	खुज्जी	चैनलिक फेसिंग	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	61916.00	सीएसआई डीसी
7	4539, 26.05.2020	खुज्जी	चैनलिक फेसिंग	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	257748.00	सीएसआई डीसी
8	7288, 31.07.2020	वनमंडल अंतर्गत	ड्रोन कैमरा	श्री दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	88200.00	कोटेशन
9	4467, 22.05.2020	खुज्जी	नीम खली	श्री दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	10780.00	निविदा
10	4467, 22.05.2020	खुज्जी	बोन मिल	श्री दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	10780.00	निविदा
11	6526, 26.06.2020	उत्तर मानपुर	बारबेड वायर	वकरांगी ब्रिक्स, वार्ड नं. 1 बेमेतरा	607641.00	सीएसआई डीसी
12	4535, 26.05.2020	बाघनदी	चैनलिक फेसिंग	खुशी इंटरप्राइजेस, रिंगरोड रायपुर	64887.00	सीएसआई डीसी
13	4535, 26.05.2020	बाघनदी	चैनलिक फेसिंग	खुशी इंटरप्राइजेस, रिंगरोड रायपुर	415116.00	सीएसआई डीसी
14	4535, 26.05.2020	बाघनदी	चैनलिक फेसिंग	खुशी इंटरप्राइजेस, रिंगरोड रायपुर	371338.00	सीएसआई डीसी
15	3949, 15.05.2020	बाघनदी	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	श्वेता इंटरप्राइजेस, रिंगरोड भानपुरी पो. बिरगांव, रायपुर	112135.00	सीएसआई डीसी
16	4467, 22.05.2020	खुज्जी	बारबेड वायर	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ कोरिया	194389.00	सीएसआई डीसी

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
17	4467, 22.05.2020	खुज्जी	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	348070.00	सीएसआई डीसी
18	4467, 22.05.2020	खुज्जी	गिट्टी 20 एमएम	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	55684.00	निविदा
19	6070, 12.06.2020	राजनांदगांव	गिट्टी 20 एमएम	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	8353.00	निविदा
20	6070, 12.06.2020	राजनांदगांव	बारबेड वायर	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	37586.00	सीएसआई डीसी
21	6070, 12.06.2020	राजनांदगांव	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	4312.00	निविदा
22	6070, 12.06.2020	राजनांदगांव	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	12544.00	निविदा
23	6074, 12.06.2020	राजनांदगांव	गिट्टी 20 एमएम	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	24130.00	निविदा
24	6066, 12.06.2020	राजनांदगांव	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	180956.00	सीएसआई डीसी
25	6064, 12.06.2020	राजनांदगांव	बारबेड वायर	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	111214.00	सीएसआई डीसी
26	4537, 26.05.2020	चौकी	चैनलिंग फेसिंग	खुशी इंटरप्राइजेस, रिंगरोड रायपुर	246255.00	सीएसआई डीसी
27	3525, 25.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	38199.00	निविदा
28	3525, 25.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	17754.00	निविदा
29	3525, 25.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	27974.00	निविदा
30	3525, 25.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	13449.00	निविदा
31	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	1076.00	निविदा
32	85, 04.04.2020	राजनांदगांव	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	86122.00	निविदा
33	85, 04.04.2020	राजनांदगांव	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	86122.00	निविदा
34	85, 04.04.2020	राजनांदगांव	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	86122.00	निविदा
35	85, 04.04.2020	राजनांदगांव	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	86122.00	निविदा
36	85, 04.04.2020	राजनांदगांव	मुरुम	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	86122.00	निविदा
37	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	32818.00	निविदा
38	4470, 22.05.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	3764.00	निविदा

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
39	4470, 22.05.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	215.00	निविदा
40	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	1613.00	निविदा
41	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	24747.00	निविदा
42	4470, 22.05.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	5370.00	निविदा
43	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	537.00	निविदा
44	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	537.00	निविदा
45	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	1076.00	निविदा
46	3329, 17.04.2020	बाघनदी	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	537.00	निविदा
47	4472, 22.05.2020	बाघनदी	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	19992.00	निविदा
48	4472, 22.05.2020	बाघनदी	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	196.00	निविदा
49	6528, 26.06.2020	बाघनदी	बारबेड वायर	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जैन मंदिर चौक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	426155.00	सीएसआई डीसी
50	6528, 26.06.2020	बाघनदी	बारबेड वायर	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जैन मंदिर चौक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	210719.00	सीएसआई डीसी
51	6528, 26.06.2020	बाघनदी	बारबेड वायर	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जैन मंदिर चौक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	355608.00	सीएसआई डीसी
52	6528, 26.06.2020	बाघनदी	बारबेड वायर	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जैन मंदिर चौक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	160097.00	सीएसआई डीसी
53	7202, 23.07.2020	बाघनदी	चैनलिंग फेसिंग	खुशी इंटरप्राइजेस, रिंगरोड रायपुर	174572.00	सीएसआई डीसी
54	4472, 22.05.2020	बाघनदी	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	5292.00	निविदा
55	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	1103.00	निविदा

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
56	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	20213.00	निविदा
57	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	367.00	निविदा
58	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	1714.00	निविदा
59	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	6370.00	निविदा
60	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	980.00	निविदा
61	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	1103.00	निविदा
62	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	1103.00	निविदा
63	3327, 17.04.2020	बाघनदी	पॉलीथीन बैग	दीपेश इंटरप्राईजेस, राजनांदगांव	367.00	निविदा
64	6070, 12.06.2020	राजनांदगांव	आर.सी.सी. फेसिंग पोल	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	56364.00	सीएसआई डीसी
65	6744, 19.06.2020	खुज्जी	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	211079.00	सीएसआई डीसी
66	6744, 19.06.2020	खुज्जी	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	223771.00	सीएसआई डीसी
67	6837, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	490741.00	सीएसआई डीसी
68	6837, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	175595.00	सीएसआई डीसी
69	6837, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	208555.00	सीएसआई डीसी
70	6837, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	57292.00	सीएसआई डीसी
71	6837, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	219635.00	सीएसआई डीसी

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम ²⁰²¹
1	2	3	4	5	6	7
72	6838, 07.07.2020	दक्षिण मानपुर	बारबेड वायर	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	250210.00	सीएसआई डीसी
73	4472, 22.05.2020	दक्षिण मानपुर	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	11564.00	निविदा
74	4472, 22.05.2020	दक्षिण मानपुर	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	11564.00	निविदा
75	4472, 22.05.2020	दक्षिण मानपुर	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	11564.00	निविदा
76	4472, 22.05.2020	दक्षिण मानपुर	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	16268.00	निविदा
77	4472, 22.05.2020	उत्तर मानपुर	सीमेंट	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	56252.00	निविदा
78	9205, 15.10.2020	चौकी	बारबेड वायर	विधि इंडस्ट्रीज, भारतमाता चौक, राजनांदगांव	541163.00	सीएसआई डीसी
79	9442, 23.10.2020	राजनांदगांव	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	49000.00	निविदा
80	9442, 23.10.2020	राजनांदगांव	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	49000.00	निविदा
81	9442, 23.10.2020	राजनांदगांव	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	49000.00	निविदा
82	9442, 23.10.2020	राजनांदगांव	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	49000.00	निविदा
83	9442, 23.10.2020	राजनांदगांव	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	49000.00	निविदा
84	9442, 23.10.2020	वनमंडल कार्यालय	पॉलीथीन बैग 30 X 45	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	13230.00	निविदा
85	9618, 29.10.2020	वनमंडल कार्यालय	फायर ब्लोअर	आर.आर.इंटरप्राइजेस, कमला कालेज रोड, राजनांदगांव	73500.00	कोटेशन

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
86	9728, 02.11.2020	समस्त परिक्षेत्र	यूनीफार्म डबी डिजाईन ब्राउन शू (जूता)	छ.ग. ग्रामोद्योग गारमेन्ट्स ईवीएम लेदर वर्क्स, ग्राम व पो. पुरई, जिला दुर्ग (छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं पंजीकृत)	104737.00	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र. / प्रशा./अराज. /वन/277-2/2020/ 3295 दिनांक 27.05.2020
87	9728, 02.11.2020	समस्त परिक्षेत्र	यूनीफार्म डबी डिजाईन ब्राउन शू (जूता)	छ.ग. ग्रामोद्योग गारमेन्ट्स ईवीएम लेदर वर्क्स, ग्राम व पो. पुरई, जिला दुर्ग (छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं पंजीकृत)	1870.00	
88	4524, 26.05.2020	दक्षिण मानपुर	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	36233.00	निविदा
89	4524, 26.05.2020	दक्षिण मानपुर	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	17163.00	निविदा
90	4524, 26.05.2020	दक्षिण मानपुर	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	15255.00	निविदा
91	4524, 26.05.2020	दक्षिण मानपुर	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	16208.00	निविदा
92	4524, 26.05.2020	दक्षिण मानपुर	रेत	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	18593.00	निविदा
93	8770, 26.09.2020	बाघनदी	एंगल आयरन पोल	श्रीराम इंटरप्राइजेस, भटगांव	414635.00	सीएसआई डीसी
94	10057, 12.11.2020	दक्षिण मानपुर	गार्ड स्टोन	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	195999.00	सीएसआई डीसी
95	10057, 12.11.2020	दक्षिण मानपुर	गार्ड स्टोन	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	21359.00	सीएसआई डीसी
96	10138, 18.11.2020	खुज्जी	फलाई ऐश ब्रिक्स	श्री मेसर्स ग्रीन प्रीकारस्ट इण्डस्ट्रीज, राजनांदगांव	101003.00	सीएसआई डीसी
97	10669, 09.12.2020	बाघनदी	आर.सी.सी. फेंसिंग पोल 2 मी.	श्री मंगलम् फेंसिंग पोल, वार्ड नं. 01 पिकरी, बेमेतरा	578731.00	सीएसआई डीसी
98	10661, 09.12.2020	बाघनदी	बारबेड वायर	श्री साई उद्योग, ग्राम रवेली पाटन जिला दुर्ग	202245.00	सीएसआई डीसी

क्र.	आदेश क्र. एवं दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम	व्यय राशि (रूपये में)	माध्यम 98
1	2	3	4	5	6	7
99	11287, 31.12.2020	वनमंडल कार्यालय	खाकी वर्दी कपड़ा	छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	44100.00	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./ प्रशा./अराज. /वन/277-2/2020/ 3295 दिनांक 27.05.2020
100	11287, 31.12.2020	वनमंडल कार्यालय	खाकी वर्दी कपड़ा	छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	50274.00	
101	10581, 08.12.2020	राजनांदगांव	फ्लाई ऐश ब्रिक्स	डी. के. व्ही. इण्डस्ट्रीज घिचोला राजनांदगांव	229312.00	सीएसआई डीसी
102	10057, 12.11.2020	उत्तर मानपुर	गार्ड स्टोन	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	104699.00	सीएसआई डीसी
103	994, 05.02.2021	वनमंडल कार्यालय	लोहे की पेन्ट की हुई नर्सरी प्लेट	हरजिन्दर सिंह भाटिया बुध वारी पारा डोंगरगढ़	86730.00	कोटेशन
योग :-					11019730.00	

प्रपत्र "ब"

क्र.	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि (रूपये में)
1	श्वेता इंटरप्राइजेस, सिंगरोड भानपुरी पो. बिरगांव, रायपुर	112135
2	एस.एल. इण्डस्ट्रीज, ग्राम धनसुली मंदिर हसौद, रायपुर	1836878
3	एस.के.इंटरप्राइजेस, दुर्ग	1093090
4	एस.जी.इण्डस्ट्रीज, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	1016746
5	खुशी इंटरप्राइजेस, सिंगरोड रायपुर	1272168
6	भण्डार, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	94374
7	मंगलम् फेंसिंग पोल, वार्ड नं. 01 पिकरी, बेमेतरा	578731
8	मेसर्स ग्रीन प्रीकास्ट इण्डस्ट्रीज, राजनांदगांव	101003
9	विधि इंडस्ट्रीज, भारतमाता चौक, राजनांदगांव	541163
10	हरजिन्दर सिंह भाटिया बुध वारी पारा डोंगरगढ़	86730
11	रमनलाल जैन उद्योग, वर्धमान नगर राजनांदगांव	641721
12	श्रीराम इंटरप्राइजेस, भटगांव	414635
13	साई उद्योग, ग्राम रवेली पाटन जिला दुर्ग	202245
14	डी. के. व्ही. इण्डस्ट्रीज चिचोला राजनांदगांव	229312
15	दीपाली इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	184044
16	दीपेश इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	401310
17	छ.ग. ग्रामोद्योग गारमेन्ट्स ईवीएम लेदर वर्क्स, ग्राम व पो. पुरई, जिला दुर्ग (छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं पंजीकृत)	106607
18	वकरांगी ब्रिक्स, वार्ड नं. 1 बेमेतरा	607641
19	जी.एम.ट्रेडर्स, कैम्प 02 भिलाई	273118
20	आर.आर.इंटरप्राइजेस, कमला कालेज रोड, राजनांदगांव	73500
21	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन जैन मंदिर चौक, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	1152579
	योग	11019730

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1781) के भाग (क) की जानकारी]

छ.ग. लो.से.गा. 2011 में अधिसूचित सेवाओं की सूची

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवाओं की संख्या	छ0ग0 लो0से0गा0 में अधिसूचित सेवा का नाम
1	ऊर्जा विभाग	1.1	परिवार मूलक बायोगैस संयंत्रों का निर्माण
2		1.2	पर्यवेक्षक परीक्षा से छूट के अनुज्ञा प्रदाय करना।
3		1.3	नवीन "ब" वर्ग के विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञापति जारी करना।
4		1.4	"ब" वर्ग के विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञा नवीनीकरण करना।
5		1.5	तारमिस्त्री परीक्षा से छूट के अनुज्ञा प्रदाय करना।
6	श्रम विभाग	2.1	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत समझौता, ठहराव अवाई का पंजीयन
7		2.2	इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य
8		2.3	प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जांच
9		2.4	प्राबांतक दुर्घटना स्थल की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु
10		2.5	शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु
11		2.6	हितग्राहियों के पंजीयन
12		2.7	भगिनी प्रसूति सहायता योजना
13		2.8	राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना
14		2.9	औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुर्नभुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण
15		2.10	संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुर्नभुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	3.1	पेयजल स्रोतों के परीक्षण
17		3.2	हैण्डपम्प सुधार की सूचना
18		3.3	विभाग के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों का पंजीयन
19		3.4	निविदाओं का निराकरण
20		3.5	निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्यादेश जारी करना
21		3.6	असफल ठेकेदारों की अमानत राशि की वापसी (निविदा स्वीकृति के पश्चात्)
22	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	4.1	चालू खसरा/खतौनी/नक्शों की प्रतिलिपि प्रदान किया जाना
23		4.2	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) अंतर्गत आर्थिक सहायता
24		4.3	शोध क्षमता प्रमाण पत्र का प्रदाय
25		4.4	किसान पुरितका
26		4.5	किसान पुस्तिका डुलीकेट
27		4.6	अस्थायी जाति प्रमाण पत्र
28		4.7	स्थायी जाति प्रमाण पत्र
29		4.8	निवास प्रमाण पत्र
30		4.9	आय प्रमाण पत्र
31	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	5.1	नल कलेक्शन
32		5.2	भवन निर्माण अनुज्ञा
33		5.3	गुमाश्ता लायसेंस
34		5.4	नाम हस्तांतरण सम्पत्ति का
35		5.5	ट्रेडलाईसेंस
36		5.6	खाद्य (विक्रेता) पंजीकरण
37		5.7	जनशिकायत
38	समाज कल्याण विभाग	6.1	नवीन आवेदन के पेशन स्वीकृति
39		6.2	पेशन का भुगतान
40		6.3	पेशन के संबंध में शिकायत की जांच
41		6.4	नवीन प्रकरणों में स्वीकृति (राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना)
42		6.5	विकलांग छात्रवृत्ति
43		6.6	विकलांगों का पुनर्वास-ऋण प्रकरण निरीक्षण कर पात्रता संबंधी रिपोर्ट करना
44		6.7	निगम से ऋण की स्वीकृति
45		6.8	ऋण राशि प्रदाय
46	आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग	7.1	सरथाओं हेतु नवीनीकरण
47		7.2	नवीन छात्रवृत्ति
48		7.3	छात्रवृत्ति का वितरण प्रथम एवं द्वितीय किश्त
49		7.4	जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना

50	खाद्य विभाग	8.1	नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति
51		8.2	अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
52		8.3	उचित मूल्य दुकान का आबंटन
53		8.4	ए.पी.एल. राशन कार्ड
54		8.5	बी.पी.एल. राशन कार्ड
55		8.6	नापतोल उपकरणों का मूल मुद्रांकन एवं सत्यापन
56		8.7	नवीन अनुज्ञप्ति (सेपल टेस्ट पास करना) निर्गता अनुज्ञप्ति
57		8.8	विक्रेता अनुज्ञप्ति का प्रदाय (भारी उपकरण)
58		8.9	सुधारक अनुज्ञप्तियों का प्रदाय (भारी एवं छोटे उपकरण)
59		8.10	अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण
60	वन विभाग	9.1	मालिक मकबूजा काष्ठ का भुगतान
61		9.2	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना-शासकीय काष्ठागार हेतु
62		9.3	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना-काष्ठ के पजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु
63		9.4	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना- भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु
64		9.5	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान-(काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात्।
65		9.6	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण
66		9.7	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण
67		9.8	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधवाना निराकरण
68		9.9	बसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण
69		9.10	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/सम्पत्ति को क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान
70		9.11	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान
71		9.12	वन्यप्राणी द्वारा पशु हानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण
72		9.13	तेन्दूपत्ता संग्रहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर भेजना
73		9.14	जिला युनियन से प्राप्त समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के चेक को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा हितग्रही को वितरित करना
74		9.15	तेन्दूपत्ता संग्रहकों के पुत्र/पुत्रियों को जनश्री बीमा योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा छात्रवृत्ति के चेक का वितरण
75		9.16	लघु वनोपज के प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण
76		9.17	तेन्दूपत्ता व सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान
77		9.18	लघु वनोपज संग्रहण परिवार को चरण पादुका वितरण
78		9.19	परिवहन ठेकों की स्वीकृति
79		9.2	परिवहन बिलों की स्वीकृति
80		9.21	विक्रित वनोपज की स्वीकृति आदेश
81		9.22	वनोपज निर्वहन हेतु कार्य आदेश
82		9.23	असफल बोलीदार की अत्यकार राशि की वापसी
83		9.24	कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी
84		9.25	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण
85		9.26	कय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन
86		9.27	डिपों से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना
87		9.28	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी
88	गृह विभाग	10.1	थाने में पंजीबद्ध अपराधों की संख्या की जानकारी
89		10.2	सड़क दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
90		10.3	अज्ञात वाहन दुर्घटना प्रकरणों में जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
91		10.4	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण
92		10.5	प्राकृतिक आपदाओं (जिनमें पुलिस ने जांच या विवेचना की है) में पीड़ित परिवारों को राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना।
93		10.6	सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्कालिक राहत हेतु कार्यवाही
94		10.7	किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओं के तहत आवेदन पर कार्यवाही
95		10.8	प्रस्तुत शिकायत पत्र/आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
96		11.1	मानव अंग प्रत्यारोपण प्रकरण
97		11.2	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)

11/03/21

98		11.3	मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना अंतर्गत सहायता अनुदान के आवेदन का निराकरण
99		11.4	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अंतर्गत सहायता अनुदान के आवेदन का निराकरण
100		11.5	परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबंदी आपरेशन के दौरान या 07 दिवस के अंदर मृत्यु एवं अस्वास्थ्य आपरेशन की क्षतिपूर्ति बीमा राशि का प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना।
101		11.6	स्थायी निशक्तता प्रमाण पत्र
102	स्वास्थ्य एवं	11.7	फिटनेस प्रमाण पत्र
103	परिवार	11.8	चिकित्सा प्रमाण पत्र
104	कल्याण	11.9	प्रशासन के औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाना।
105	विभाग	11.10	आयुर्वेद/युनानी/प्राकृतिक एवं योग स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन
106		11.11	होम्योपैथी स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन
107		11.12	पंचकर्म/क्षारसूत्र चिकित्सा सुविधा
108		11.13	प्रशासन के औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों/अनुज्ञप्तियों के विक्रय/संग्रहण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण किया जाना।
109		11.14	प्रशासन के अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति जारी किया जाना।
110		12.1	जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिए नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं पंजीयन का नवीनीकरण (सम्पूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)
111		12.2	जिले में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण (सम्पूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्ति के पश्चात)
112	कृषि विभाग	12.3	कृषि के प्रमाणित लेबल बीजों के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (सम्पूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्ति के पश्चात)
113		12.4	शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण
114		12.5	शाकम्भरी योजना
115		12.6	उन्नत कृषि यंत्रों का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना परीक्षण हेतु
116		12.7	मंडी प्रांगण के गेट पर कृषक वाहन तथा उपज की सम्पूर्ण प्रवृष्टि के संबंध में
117		12.8	छ.ग. राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने के संबंध में।
118	महिला एवं	13.1	स्वालय योजना
119	बाल विकास	अ. आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं प्रस्तावों का प्रेषण	
120	विभाग	13.2	ब. प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति
121		14.1	शिक्षार्थी लायसेंस का जारी किया जाना
122		14.2	वाहन चालन अनुज्ञप्तियों का निर्गमन/नवीनीकरण
123	परिवहन	14.3	अंतर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन
124	विभाग	14.4	वाहनों का अस्थायी पंजीयन
125		14.5	गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों का पंजीयन
126		14.6	पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण
127		14.7	अवकथ करार आदि का पृष्ठांकन/निरस्तीकरण
128		14.8	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना
129		15.1	जन्म/मृत्यु का पंजीयन
130		15.2	विवाह का पंजीयन
131	पंचायत एवं	15.3	जन्म प्रमाण पत्र जारी करना
132	ग्रामीण	15.4	मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
133	विकास विभाग	15.5	भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा
134		15.6	नल कनेक्शन
135		15.7	रट्रीट लाईट (बल्ब एवं ट्यूब लाईट बदलना)
136		15.8	आवश्यक सफाई व्यवस्था
137		15.9	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जारी करना
138		16.1	भवनों/भू-खण्डों के अनुबंध का निष्पादन/पंजीयन करना
139		16.2	देय किस्तों की जानकारी उपलब्ध कराना
140		16.3	आबंटित भू-खण्ड पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निराकरण
		16.4	भवन/भू-खण्ड हेतु जमा राशि की वापसी हेतु पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन का निराकरण

M. S.

141	आवास एवं पर्यावरण विभाग	16.5	भवन/भू-खण्डों के आबंटन हेतु लॉटरी पश्चात आबंटन आदेश जारी करना
142		16.6	भाड़ा कय पर आबंटित संपत्ति पर अन्य व्यक्ति का नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन का निराकरण
143		16.7	अंतिम आबंटन आदेश के अनुसार हितग्राही द्वारा देय पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात हितग्राही भवनों का आधिपत्य प्रदान करना।
144		16.8	भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जारी करना (जहां विकास योजना अनुमोदित है)
145		16.9	पट्टा हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करना।
146		16.10	उत्तराधिकारी नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करना
147		16.11	भू-खण्ड/भवन पर निर्माण/पुनर्निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
148		16.12	वित्तदायी संस्था से ऋण लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
149	योजना, आर्थिक एवं सां.विभाग	17.1	जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा प्रतिलिपि जारी करना। (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
150	वित्त विभाग	18.1	देयकों के भुगतान
151		18.2	स्टॉक वेण्डर्स द्वारा राशि जमा करने के उपरांत स्टैम्प पेपर का प्रदाय करना
152		18.3	कोषालय में पी.पी.ओ. प्राप्त होने पर पेंशन का भुगतान आरंभ किया जाना
153		18.4	संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात पी.पी.ओ. जारी करना
154		18.5	पेंशनर्स द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों का निराकरण
155		18.6	पेंशनर्स के पी.पी.ओ. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना
156		18.7	चालान की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध करना
157		18.8	वेतन निर्धारण की जांच की कार्यवाही
158		18.9	पेंशन प्रकरणों का पुनरीक्षण
159		18.10	एजेंट नियुक्ति के आवेदन का निराकरण
160		18.11	बचत योजनाओं के निवेशकों के आवेदन का निराकरण।
161	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	19.1	ई.एम.पार्ट 1 एवं पार्ट 2 अभिस्वीकृति जारी करना
162		19.2	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना
163		19.3	नियंत्रित कच्चे माल की अनुशंसा करना
164		19.4	भूमि आबंटन का मांग/सूचना पत्र जारी करना
165		19.5	भू-आशय पत्र (जारी आफर लेटर में उल्लेखित 10 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम राशि भुगतान के पश्चात)
166		19.6	आबंटन आदेश (आशय पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात)
167		19.7	लीजडीड निष्पादन (आबंटन आदेश जारी होने के पश्चात इकाई द्वारा लीजडीड निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर)
168		19.8	सक्षमता प्रमाण पत्र (आवेदन, पत्र पूर्ण होने की स्थिति में)
169		19.9	बैंक लोन की अनुशंसा पत्र जारी करना
170		19.10	छ.म. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशो. 1998) की धारा-7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही।
171		19.11	भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही
172		19.12	वाष्यंत्रों के पंजीयन हेतु निरीक्षण
173		19.13	वाष्यंत्रों का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करना
174		19.14	वाष्यंत्रों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव
175		19.15	दुर्घटना की स्थिति में अनुसंधान
176		19.16	वैल्डर परीक्षा
177		19.17	वाष्यंत्रों का भाष परीक्षण
178	उच्च शिक्षा विभाग	20.1	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान
179		20.2	समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा
180		20.3	अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति
181		20.4	ब. छात्रवृत्ति का भुगतान
182		20.5	पुस्तकों का प्रदाय
183		20.6	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना
184	20.7	परिचय पत्र जारी करना	
185	20.8	छात्रावास में प्रवेश	
186	20.9	मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	
187	पर्यटन विभाग	21.1	पर्यटन सूचना साहित्य
188		21.2	होटल/मोटल/इकाईयों कक्षा का आरक्षण
189		21.3	कक्षा के आरक्षण उपरांत निरस्तीकरण हेतु

190	लोक निर्माण विभाग	22.1	निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों का पंजीयन
191		22.2	बेरोजगार इंजीनियर पंजीयन हेतु
192	सहकारिता विभाग	23.1	राज्य स्तरीय अथवा एक जिले से अधिक कार्य क्षेत्र वाली सहकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का निराकरण
193	तकनीकी शिक्षा विभाग	24.1	संस्था स्तर पर छात्रों का ब्रांच परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्रों पर निर्णय
194		24.2	संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफण्ड का छात्रों को भुगतान
195		24.3	छात्रों का ट्रांसफर/चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना
196		24.4	संस्था के नि:शक्तजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों/शिकायतों का निराकरण
197		24.5	नि:शक्तजनों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना
198		24.6	संस्था परिवर्तन चाहने वाले छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
199		24.7	बेरोजगार युवकों को रोजगार सहायता के लिए पंजीयन
200		24.8	पंजीयन के नवीनीकरण
201		24.9	नियोक्ता द्वारा अधिसूचित रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार की सूचना पंजीकृत आवेदकों को देना
202		24.10	आवेदक द्वारा प्रस्तुत छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्दाज अतिरिक्त योग्यता दर्ज करना द्वितीय पंजीयन पत्रक या द्वितीय पहचान पत्र बनाना
203		24.11	पंजीयन के समय मार्गदर्शन देना एवं आवेदक द्वारा चाही गई व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना
204		24.12	रोजगार कार्यालय से संबंधित शिकायतों का निराकरण
205		24.13	रोजगार कार्यालय से संबंधित नि:शक्तजनों से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं निराकरण
206		24.14	नि:शक्तजन आवेदक द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज करना, अतिरिक्त योग्यता दर्ज करना, द्वितीय पंजीयन पत्रक का द्वितीय पहचान पत्र बनाना।
207	24.15	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश	
208	24.16	परीक्षा परिणाम घोषित करना	
209	24.17	अंकसूची संस्थाओं के मार्फत वितरित करना	
210	24.18	इंस्लीकेट अंकसूची प्रदत्त करना	
211	24.19	छात्रों को स्थानांतरण-प्रमाण पत्र जारी करना	
212	24.20	नि:शक्त प्रशिक्षणार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	
213	24.21	नि:शक्त प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय अंकसूची प्रदत्त करना	
214	24.22	संस्था स्तर पर नि:शक्त छात्रों का प्रवेश संबंधी निर्णय	
215	जल संसाधन विभाग	25.1	नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना (आवेदन की प्राप्ति सूचना पर कमियों/आपत्तियों की जानकारी)
216		25.2	नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना (आवेदन की सहमति होने पर सिंचाई प्रदाय करने की समय-सीमा)
217		25.3	ठेकेदारों का पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्ति की सूचना कमियों/आपत्तियों सहित
218		25.4	आपत्तियों का निराकरण पश्चात पंजीयन करने की समय-सीमा
219		25.5	ठेकेदारों का पंजीयन जमानत राशि वापसी के संबंध में आवेदनों पर कमियों/आपत्तियों का निराकरण
220		25.6	ठेकेदार की विभागीय देनदारी की जानकारी प्राप्त करने की अवधि
221		25.7	ठेकेदार की विभागीय देनदारी की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ठेकेदार को भुगतान करना
222	स्कूल शिक्षा विभाग	26.1	अंकसूची की प्रतिलिपि
223		26.2	स्थानांतरण प्रमाण पत्र
224		26.3	छात्र दुर्घटना होने पर दावों की प्रतिपूर्ति (संबंधित बीमा निगम द्वारा दावा स्वीकृति उपरांत)
225		26.4	राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना तथा राष्ट्रीय साधन सहप्राविण्य छात्रवृत्ति का वितरण
226	वाणिज्यिक कर विभाग	27.1	अनन्तिम पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना
227		27.2	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना
228		27.3	पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन करना
229		27.4	कर समाशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाना
230		27.5	घोषणा पत्र फार्म-सी तथा फार्म-एफ जारी किया जाना
231		27.6	प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदाय
232		27.7	वापसी आदेश जारी करना
233	मछली पालन विभाग	28.1	विभागीय जलाशयों से स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थाओं समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही
234		28.2	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना।
235		28.3	शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हितग्राहियों का चयन
236		28.4	बीमित मछुआरा की मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना
237		28.5	हितग्राहियों के मछली पालन हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना।

M.P.S.

238	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	29.1	संघ/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता के आवेदनों का निराकरण।
239		29.2	शासन/विभागाध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत आदेशों के तहत आहरण एवं भुगतान
240	संस्कृति विभाग	30.1	अभिलेखों का अवलोकन करने संबंधी आवेदन पत्रों का निराकरण
241		30.2	अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना
242	ग्रामोद्योग विभाग	31.1	बुनकर सहकारी समितियों एवं हाथकरघा इकाइयों का वित्तीय प्रस्ताव का निराकरण
243		31.2	बुनकर सहकारी समितियों व हाथकरघा इकाइयों के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत योग्य न होने की सूचना देना
244		31.3	बुनकर सहकारी समितियों एवं हाथकरघा इकाइयों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही
245		31.4	टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत टसर कृमि पालन, कोसा के भुगतान एवं इस संबंध में हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण
246		31.5	कृमि पालकों को पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह की प्रदाय योजना के अंतर्गत टसर कृमिपालन कोसा भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण
247		31.6	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन विकास के अंतर्गत नैसर्गिक कैम्प का भुगतान एवं हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण
248		31.7	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत मलबरी कृषकों का भुगतान एवं कृषकों से प्राप्त आवेदन का निराकरण
249		31.8	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत कृषकों का भुगतान एवं प्राप्त आवेदनों का निराकरण
250		31.9	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों का भुगतान एवं प्राप्त आवेदनों का निराकरण
251		31.10	हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना। ग्राम पंचायत की अनुशंसा करवाना। प्राप्त आवेदन पत्रों की कमी की पूर्ति करना
252		31.11	जिला रोजगार उपसमिति द्वारा ऋण आवेदन पत्रों में अनुशंसा/अनुमोदन पश्चात बैंकों को प्रेषित करना तथा बैंकों द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृति उपरांत अनुदान राशि बैंकों को प्रेषित करना
253		31.12	छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों से प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही
254		31.13	हितग्राहियों से प्राप्त शिकायत का निराकरण
255	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	32.1	निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्गित विधिक सेवाएं)
256	पशुधन	33.1	पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही
257	विकास विभाग	33.2	व्यक्तिमूलक योजना अंतर्गत हितग्राही के चयन प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण
258	जेल विभाग	34.1	जेल नियमावली के नियम 675 एवं 676 के अंतर्गत दंडित बंदियों का मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा दिया जाना।
259		34.2	जेल नियमावली के नियम 692 के अंतर्गत सिविल तथा विचारधीन बंदियों को रिश्तेदारों, मित्रों तथा विधिक सलाहकारों से मेंट (मुलाकात) तथा पत्र व्यवहार की सुविधा दिया जाना।
260		34.3	डिटैन्सु को मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1787) के भाग (क) की जानकारी]

क.	योजना व स्थान का नाम	कुल		विक्रय		रिक्त		लागत राशि (लाख में)
		आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	आवासीय	व्यवसायिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सामान्य आवास योजना इंपिरियल हाईट्स कबीर नगर रायपुर	192	0	192	0	0	0	2185.90
2	सामान्य आवास योजना ग्रीन्स विले सिटी बोरियाकला रायपुर	14	0	14	0	0	0	401.43
3	सामान्य आवास योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल थोक बाजार डूमरतराई	0	37	0	35	0	02	234.54
4	दीनदयाल आवास योजना कौरिनभाठा राजनांदगांव	80	0	73	0	07	0	331.63
5	अटल विहार योजना गम्हरिया जशपुर	53	0	52	0	01	0	1475.57
6	दीनदयाल आवास योजना पत्थलगांव जशपुर	143	0	142	0	01	0	1021.43
7	अटल विहार योजना सिवनी बालोद	139	0	132	0	07	0	553.00
	कुल	621	37	605	35	16	02	6203.50

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1788) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को विभिन्न बैंक से स्वीकृत ऋण का विवरण

क्र.	बैंक का नाम	ऋण स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत ऋण राशि करोड़ में	ऋण स्वीकृति के समय ब्याज दर	दि. 11.02.2021 के स्थिति में देय ऋण राशि	दि. 11.02.2021 के स्थिति में ब्याज दर
1	2	3	4	5	6	7
1	केनरा बैंक	27/03/2017	800.00	8.45%	6,82,12,68,623/-	8.50%
2	इलाहाबाद बैंक	16/08/2018	195.00	8.20%	1,87,50,00,000/-	7.30%
				कुल	8,69,62,68,623/-	

टीप :-उपरोक्त ऋण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के गारंटी पर स्वीकृत की गई है।

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1794) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2019-20 से 05-02-2021 तक दुर्ग वनवृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमण्डल को केन्द्र या राज्य पोषित योजनाओं के तहत प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि की कार्यवार जानकारी

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5

केन्द्र से प्राप्त राशि का विवरण :-

1	2019-20	लाईन कटाई, सफाई, प्रशिक्षण, अग्नि शमन यंत्र	13.95	13.94
2	2019-20	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	3.62	3.62
3	2019-20	लाईन कटाई, सफाई, प्रशिक्षण, अग्नि शमन यंत्र	17.04	17.03
4	2019-20	-	0.00	0.00
योग :- (2019-20 केन्द्र से प्राप्त राशि)			34.61	34.59

राज्य से प्राप्त राशि का विवरण :-

5	2019-20	मड हाऊस निर्माण, वन चेतना केन्द्र में मरम्मत कार्य	25.23	25.19
6	2019-20	क्षेत्र तैयारी, सामग्री क्रय, वृक्षारोपण, भू-जल संरक्षण, एकलीकरण कार्य	434.19	434.18
7	2019-20	आस्थामूलक कार्य अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण, मंच निर्माण, शौचालय निर्माण कार्य	13.86	13.86
8	2019-20	वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	2.98	2.98
9	2019-20	वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	41.48	18.66
10	2019-20	भू-जल संरक्षण, जल एवं मृदा संरक्षण, बांस भिर्सा सफाई, मिट्टी चढ़ाई, अग्नि सुरक्षा कार्य	21.00	20.21
11	2019-20	बांस राईजोम तैयारी कार्य 266163 नग	5.97	5.97
12	2019-20	बिग नर्सरी पौधा तैयारी कार्य	8.00	8.00
13	2019-20	वृक्षारोपण कार्य	8.82	8.81
14	2019-20	वृक्षारोपण कार्य	1.53	1.51
15	2019-20	कर्मचारियों के खेलकुद के लिये	1.17	1.15
16	2019-20	उप वनमंडल कार्यालय निर्माण	15.32	15.30
17	2019-20	वन महोत्सव कार्य	2.00	1.99
18	2019-20	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	2.10	2.05
19	2019-20	वृक्षारोपण कार्य	1.57	1.57
20	2019-20	अनुदान राशि	11.85	11.73

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
21	2019-20	अग्नि सुरक्षा, जल मृदा संरक्षण, रखरखाव कार्य	17.82	17.81
22	2019-20	बांस प्रसारण केन्द्र प्रशिक्षण कार्य	5.50	5.50
23	2019-20	वन अधिकार पट्टा वितरित भूमि पर मुनारा लगाना	3.40	2.11
24	2019-20	रपटा निर्माण	67.58	67.56
25	2019-20	अग्नि, चराई, सुरक्षा, रखरखाव कार्य	79.94	79.93
26	2019-20	पौधा तैयारी एवं अनुदान राशि	26.97	26.96
27	2019-20	पौधा तैयारी कार्य	5.17	5.16
28	2019-20	रखरखाव कार्य	42.03	42.01
29	2019-20	अंगीकरण, क्लीनिंग कार्य, सी.बी.ओ. अग्नि सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	80.69	80.69
30	2019-20	वन मार्ग मरम्मत कार्य	13.75	13.74
31	2019-20	लाईन कटाई, सफाई, मुनारा निर्माण	18.43	18.43
32	2019-20	कूप मार्किंग, सेम्पल प्लॉट, सीमांकन कार्य	3.50	3.14
33	2019-20	लाईन कटाई, सफाई, अग्नि सुरक्षा कार्य	13.67	13.67
34	2019-20	अन्य आकरिमक व सुरक्षा मजदूरी	29.27	29.17
35	2019-20	दैनिक वेतन भोगी	7.90	7.81
36	2019-20	कूप विदोहन, थप्पीकरण, पंधुच मार्ग, निकासी मार्ग, डिपो सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य	234.91	189.27
37	2019-20	बांस कटाई, थप्पीकरण, पंधुच मार्ग, निकासी मार्ग, डिपो सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य	63.65	41.23
38	2019-20	वनमार्ग मरम्मत	58.33	58.33
39	2019-20	मुनारा निर्माण, सीमा रेखा रखरखाव	19.35	19.35
40	2019-20	सीमांकन, मार्किंग कार्य	56.61	56.44
41	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य 06, 12 मी.	19.11	19.11
42	2019-20	काष्ठ का कटाई, संग्रहण, परिवहन कार्य	507.45	446.09
43	2019-20	बांस का कटाई, संग्रहण, परिवहन कार्य	563.35	557.28
44	2019-20	क्षेत्र तैयारी, भू-जल संरक्षण, एकलीकरण, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	300.50	300.50
45	2019-20	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	3.57	3.52
46	2019-20	भू-जल संरक्षण, बांस भिरा सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	312.96	312.93
47	2019-20	वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य	57.42	57.42
48	2019-20	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	9.48	9.35
49	2019-20	वन्यप्राणी गणना कार्य	2.25	2.04

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
50	2019-20	वन वर्धनिक, फेरिंग, भू-जल संरक्षण, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	102.81	102.81
51	2019-20	उप वनमण्डल कार्यालय एवं निवास निर्माण कार्य	37.29	37.25
52	2019-20	वन महोत्सव कार्यक्रम	2.00	1.99
53	2019-20	वृक्षारोपण कार्य	11.60	11.60
54	2019-20	भू-जल संरक्षण, बांस भिर्रा सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	203.86	203.83
55	2019-20	वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य	8.19	8.19
56	2019-20	वन अधिकारी अंतर्गम मुनारा निर्माण	2.70	2.67
57	2019-20	वनमार्गों पर रपटा तथा पुलिया निर्माण	55.00	54.98
58	2019-20	कच्चा एवं पक्का नाला बंधान	50.50	40.60
59	2019-20	अग्नि, चराई, सुरक्षा एवं रखरखाव	92.28	92.25
60	2019-20	पौधा तैयारी, रखरखाव एवं अनुदान,	48.90	48.90
61	2019-20	निःशुल्क पौधा वितरण	3.44	3.43
62	2019-20	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	82.52	82.50
योग :- (वर्ष 2019-20 राज्य से प्राप्त राशि)			3922.71	3750.70
कुलयोग वर्ष 2019-20 (केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त)			3957.32	3785.28

केन्द्र से प्राप्त राशि का विवरण :-

1	2020-21 (05.02.2021 तक)	लाईन कटाई, सफाई	4.61	1.65
2		वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	1.21	1.21
3		लाईन कटाई, सफाई	6.74	3.25
योग :- (वर्ष 2020-21 केन्द्र से प्राप्त राशि)			12.56	6.11

राज्य से प्राप्त राशि का विवरण :-

4	2020-21 (05.02.2021 तक)	पौधा तैयारी रखरखाव कार्य	2.50	1.75
5		वृक्षारोपण, भू-जल संरक्षण, एकलीकरण, रखरखाव कार्य	123.53	116.52
6	2020-21 (05.02.2021 तक)	आस्थामूलक कार्य अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण, मंच निर्माण, पेयजल व्यवस्था	24.00	0.00
7		वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	0.16	0.15
8	-----	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	7.80	6.51
9	-----	भू-जल संरक्षण, जल एवं मृदा संरक्षण, बांस भिर्रा सफाई, मिट्टी चढ़ाई, अग्नि सुरक्षा कार्य	102.57	82.62
10	-----	बांस राईजोम तैयारी कार्य 240000 नग	7.91	2.54

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
11	2020-21	बिग नर्सरी पौधा तैयारी कार्य	8.00	8.00
12	(05.02.2021 तक)	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	5.57	5.42
13	"	वन महोत्सव/ पर्यावरण पार्क निर्माण	15.06	3.81
14	"	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	0.50	0.39
15	"	आस्थामूलक कार्य अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण, मंच निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रशिक्षण	24.50	0.00
16	"	वृक्षारोपण, वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	24.48	23.65
17	"	कृषिकों के निजी भूमि पर	9.45	7.10
18	"	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	29.02	0.00
19	"	वन अधिकार पट्टा वितरित भूमि पर मुनारा लगाना	4.00	0.00
20	"	अग्नि, चराई, सुरक्षा, रखरखाव कार्य	22.45	22.23
21	"	समिति सदस्यों को प्रशिक्षण	6.50	6.50
22	"	पौधा तैयारी कार्य	8.25	5.83
23	"	रखरखाव कार्य	73.98	55.46
24	"	अंगीकरण, क्लीनिंग कार्य, सी.बी.ओ, अग्नि सुरक्षा, सामग्री क्रय एवं रखरखाव कार्य	309.34	268.14
25	"	वन मार्ग मरम्मत कार्य	4.00	0.70
26	"	लाईन कटाई, सफाई, मुनारा निर्माण	13.02	6.64
27	"	कूप मार्किंग, सेम्पल प्लॉट, सीमांकन कार्य	11.25	8.09
28	"	लाईन कटाई, सफाई, अग्नि सुरक्षा कार्य	25.71	16.02
29	"	अन्य आकस्मिक व सुरक्षा मजदूरी	30.50	27.48
30	"	दैनिक वेतन भोगी	5.50	4.88
31	"	कूप विदोहन, थप्पीकरण, पंधुच मार्ग, निकासी मार्ग, डिपो सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य	290.64	246.58
32	"	बांस कटाई, थप्पीकरण, पंधुच मार्ग, निकासी मार्ग, डिपो सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य	42.00	27.06
33	"	वनमार्ग मरम्मत	14.00	11.12
34	"	पुनारा निर्माण, सीमा रेखा रखरखाव	12.90	7.16
35	"	सीमांकन, मार्किंग कार्य	22.00	0.00
36	"	अग्नि सुरक्षा कार्य 06, 12 मी.	33.11	14.78
37	"	काष्ठ का कटाई, संग्रहण, परिवहन कार्य	221.55	195.87
38	"	बांस का कटाई, संग्रहण, परिवहन कार्य	368.50	353.59
39	"	वन महोत्सव कार्यक्रम	1.68	1.67

क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
40	2020-21	भू-जल संरक्षण, एकलीकरण, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	82.95	52.70
41	(05.02.2021 तक)	रोपण कार्य, अनुदान एवं रखरखाव	8.30	6.09
42	"	भू-जल संरक्षण, बांस भिरा सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	158.76	120.28
43	"	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	12.18	12.09
44	"	वन वर्धनिक, फेंसिंग, भू-जल संरक्षण, सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	893.27	508.70
45	"	पौधा रखरखाव कार्य	1.66	1.66
46	"	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	2.60	1.71
47	"	रोपण कार्य, अनुदान एवं रखरखाव	6.20	6.15
48	"	वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	7.32	3.95
49	"	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	25.25	18.39
50	"	रोपण कार्य, अनुदान एवं रखरखाव	12.87	9.84
51	"	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	132.56	91.05
योग :- (वर्ष 2020-21 राज्य से प्राप्त राशि)			3249.85	2370.87
कुलयोग वर्ष 2020-21 (केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त)			3262.41	2376.98
महायोग :			7219.73	6162.27

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1800) के भाग (ख) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आरामिल के आकस्मिक निरीक्षण की जानकारी (01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में)

क्र	वनमण्डल का नाम	आरामिल का निरीक्षण दिनांक	आरामिल का नाम
1	2	3	4
1	बिलासपुर वनमण्डल	11-01-2019	कृष्णा सॉ मिल चाटीडीह बिलासपुर
2	बिलासपुर वनमण्डल	27-01-2019	मे. गुजरात टिम्बर कम्पनी, तिफरा, बिलासपुर
3	बिलासपुर वनमण्डल	04-03-2019	सुभाष मिल्स पुलिस लाईन बिलासपुर
4	बिलासपुर वनमण्डल	09-03-2019	मेसर्स हार्दिक टिम्बर मुंगेली रोड़, बिलासपुर
5	बिलासपुर वनमण्डल	27-04-2019	श्री विष्णु टिम्बर सॉ मिल मुंगेली रोड़ बिलासपुर
6	बिलासपुर वनमण्डल	23-05-2019	नंदलाल सॉ मिल बिल्हा, बिलासपुर
7	बिलासपुर वनमण्डल	24-05-2019	कैलाश सॉ मिल बिल्हा, बिलासपुर
8	बिलासपुर वनमण्डल	27-05-2019	प्रो. विष्णु टिम्बर सॉ मिल मुंगेली रोड़, बिलासपुर
9	बिलासपुर वनमण्डल	03-07-2019	श्री भागीरथी साहू वल्ड श्यामलाल साहू तिफरा बिलासपुर
10	बिलासपुर वनमण्डल	08-08-2019	श्री गणेश ऑयल एण्ड सॉ मिल नयापारा, चकरभाठा, बिलासपुर
11	बिलासपुर वनमण्डल	03-09-2019	कैलाश सॉ मिल बिल्हा, बिलासपुर
12	बिलासपुर वनमण्डल	07-10-2019	श्री सुभाष मिल्स स्कील इण्डस्ट्रीज तिफरा बिलासपुर
13	बिलासपुर वनमण्डल	07-10-2019	श्री भागीरथी साहू वल्ड श्यामलाल साहू तिफरा बिलासपुर
14	बिलासपुर वनमण्डल	11-12-2019	मारुति वुड इण्डस्ट्रीज सिरगिट्टी, बिलासपुर
15	बिलासपुर वनमण्डल	09-01-2020	श्री गणेश ऑयल एण्ड सॉ मिल नयापारा, चकरभाठा, बिलासपुर
16	बिलासपुर वनमण्डल	08-03-2020	श्री गणेश ऑयल एण्ड सॉ मिल नयापारा, चकरभाठा, बिलासपुर
17	बिलासपुर वनमण्डल	28-03-2020	मे. गुजरात टिम्बर कम्पनी, तिफरा, बिलासपुर
18	बिलासपुर वनमण्डल	27-04-2020	प्रो. विष्णु टिम्बर सॉ मिल मुंगेली रोड़, बिलासपुर
19	बिलासपुर वनमण्डल	15-05-2020	मेसर्स हार्दिक टिम्बर मुंगेली रोड़, बिलासपुर
20	बिलासपुर वनमण्डल	27-07-2020	नंदलाल सॉ मिल बिल्हा, बिलासपुर
21	बिलासपुर वनमण्डल	08-08-2020	श्री गणेश ऑयल एण्ड सॉ मिल नयापारा, चकरभाठा, बिलासपुर
22	बिलासपुर वनमण्डल	19-09-2020	कैलाश सॉ मिल बिल्हा, बिलासपुर
23	बिलासपुर वनमण्डल	05-10-2020	साई बाबा सॉ मिल चकरभाठा, बिलासपुर
24	बिलासपुर वनमण्डल	11-10-2020	श्री बलदाऊ प्रसाद गुप्ता सॉ मिल गुड़ी, मस्तूरी, बिलासपुर
25	बिलासपुर वनमण्डल	15-10-2020	अग्रहरि सॉ मिल करगी रोड़ कोटा बिलासपुर
26	बिलासपुर वनमण्डल	31-01-2021	बाजपेयी सॉ मिल शनिचरी बिलासपुर

प्रपत्र "ब"

संरक्षित प्रजाति के लकड़ी/लट्टा के अवैध परिवहन के प्रकरण एवं की गई कार्यवाही की जानकारी (01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में)

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	आरोपी का नाम	संरक्षित प्रजाति के लकड़ी/लट्टा के अवैध परिवहन में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरणों में की गई कार्यवाही			वसूल की गई मावजा/महसूल की राशि (रु.में.)
					जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	अभिसंधानित/नस्तीबद्ध	प्रक्रियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिलासपुर	बेलगहना	12734/07 01.02.19	भगताराम वल्द चन्द्रभान गोड़, साकिन बहेरामुड़ा	0.042	साल	-	प्रक्रियाधीन	-	0.00
2	बिलासपुर	बेलगहना	13623/02 14.06.19	तुलाराम वल्द घनाराम साकिन जरगा	0.000	मिश्रित जलाऊ 1 गट्टा	-	प्रक्रियाधीन	-	500.00
3	बिलासपुर	बेलगहना	14623/03 14.06.19	रवीशंकर थादव वल्द तुलाराम साकिन कोनघारा	0.000	मिश्रित जलाऊ 1 गट्टा	-	प्रक्रियाधीन	-	500.00
4	बिलासपुर	बेलगहना	13137/07 13.10.19	(1) कौशल वल्द संतराम (2) संतोष वल्द गणेश यादव (3) राजकुमारी वल्द अशोक (4) जगेश्वरी वल्द परदेशी (5) राजकुमार वल्द जयसिंह (6) सावन सिंह वल्द बजरहा (7) नरेन्द्र वल्द पंचूराम (8) मनोज वल्द गणेश यादव (9) मंगल वल्द भकोला (10) शिवहरन वल्द सुकवार सिंह, सभी साकिन बहेरामुड़ा	0.600	मिश्रित जलाऊ 1 चट्टा	अभिसंधानित	-	-	2000.00
5	बिलासपुर	बेलगहना	13137/13 13.03.2020	(1)मिलन वल्द रामचरण गोड़ (2) गोविन्द वल्द छेदीलाल साकिन बहेरामुड़ा	0.334	सागौन	अभिसंधानित	-	-	10000.00
6	बिलासपुर	बेलगहना	14630/04 09.06.2020	तीजराम वल्द चैनसिंह साकिन नगोई	0.036	सेन्हा	-	प्रक्रियाधीन	-	0.00
					0.050	सागौन				
					0.865	करा				
					0.081	साल				
			योग		2.008		2	4	0	13000.00

प्रपत्र "स"

संरक्षित प्रजाति के लकड़ी/लट्ठा का अवैध संग्रहण के प्रकरण तथा की गई कार्यवाही (01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में)

क्र.	दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	स्थल	आरोपी का नाम एवं पता	संरक्षित प्रजाति की लकड़ी की अवैध संग्रहण में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरण में की गई कार्यवाही
				जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	
1	2	3	4	5	6	7
1	7463/9 14.09.2020	पैगवापारा बिटकुला	कन्हैया यादव वल्द रामसिंह साकिन पैगवापारा बिटकुला	0.123	सागौन	प्रक्रियाधीन
			उमेदराम वल्द रामकुमार सूर्यवंशी साकिन बिटकुला			
			कलेश्वर वल्द अगधन यादव साकिन पैगवापारा बिटकुला			
2	11392/20 11.09.2020	नेवसा	नंदकिशोर वल्द नन्हई सूर्यवंशी साकिन नेवसा	0.320	सागौन, साल, शीरश एवं खम्हार	प्रक्रियाधीन
3	11392/21 11.09.2020	नेवसा	अमित वल्द दुलारी राम सूर्यवंशी साकिन नेवसा	0.243	सागौन चिरान	प्रक्रियाधीन
			द्वारिका प्रसाद वल्द दुलारी राम साकिन नेवसा			
4	11392/22 11.09.2020	नेवसा	देवारी वल्द खोबवा साकिन नेवसा	0.031	सागौन पल्ला	प्रक्रियाधीन
5	12739/24 11.09.2020	नेवसा	लक्ष्मीनारायण वल्द गोविन्द सतनामी	0.787	सागौन चिरान, शीशम चिरान, बीजा चिरान	प्रक्रियाधीन
6	11392/22 12.10.2020	बिटकुली सङ्गागोडी	अजोर सिंह उईके वल्द महेंतर सिंह साकिन सरगागोडी	0.046	सागौन चिरान एवं पल्ला	प्रक्रियाधीन
			मनोज कोराम वल्द शत्रुहन सिंह साकिन मंजूरपहरी			
			दुलार दास वल्द रतनदास साकिन मंजूरपहरी			
			संपाल वल्द भगेला सिंह साकिन मंजूरपहरी			
7	11392/24 12.10.2020	बसहा(धौरामुड़ा)	गजानंद डोंगरे वल्द भगताराम साकिन बसहा	0.034	सागौन पल्ला	प्रक्रियाधीन
8	6822/22 11.10.2020	विश्रामपुर	विश्राम बंजारे वल्द प्रेम बंजारे साकिन विश्रामपुर	0.930	बीजा सिलपट, बीजा चिरान, बीजा लट्ठा	प्रक्रियाधीन
9	11391/15 28.10.2020	डीपरापारा पोड़ी	सुमन कुमार शेष वल्द ग्रंथदास साकिन डीपरापारा पोड़ी	0.099	बीजा चिरान	प्रक्रियाधीन
10	11391/14 08.10.2020	अमलीपारा पोड़ी	सुरीतराम वल्द सखाराम धीवर साकिन अमलीपारा	0.232	बीजा चिरान, सिलपट, पटिया सिरसा पाया	प्रक्रियाधीन
11	6622/24 31.12.2020	विश्रामपुर	श्रीराम सर्वश वल्द लक्ष्मी प्रसाद साकिन विश्रामपुर	0.616	बीजा लट्ठा, सिलपट, चिरान	प्रक्रियाधीन
12	999/20 09.01.2019	पचरा 2530	रामजी वल्द बालाराम बांसाझाल	1.396	साल	प्रक्रियाधीन
				0.934	साजा	
13	11396/22 09.01.2019	कंचनपुर 2522	सतीश गोयल वल्द शंकर लाल बिलासपुर	1.200	मिश्रित जलाऊ	प्रक्रियाधीन
14	12749/15 20.01.2019	पश्चिम छत्तौना 2548	लापता	0.467	साजा	प्रक्रियाधीन
15	999/21 10.02.2019	पचरा 2529	भगवान सिंह वल्द अमोल सिंह बांसाझाल	0.101	साजा	प्रक्रियाधीन
				0.079	गोंईजा	
				0.086	धावडा	

क्र.	दर्ज की ओर आने पर कार्य क्रमांक एवं दिनांक	स्थल	आरोपी का नाम एवं पता	संरक्षित प्रजाति की लकड़ी की अवैध संग्रहण में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरण में की गई कार्यवाही
				जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	
1	2	3	4	5	6	7
16	12704/24 07.02.2019	खैरा	लापता	0.060	सागौन	प्रक्रियाधीन
17	17704/25 07.02.2019	घपोरा	जागोन्द्र वल्द मनहरण खुंटापारा	0.656	सागौन	प्रक्रियाधीन
18	985/08 18.02.2019	जमुनाही	बिहारी वल्द मैत्री मरावी जमुनाही	0.110	सागौन	अभिसंधान
				0.050	नीलगीरी	
19	985/09 19.02.2019	जमुनाही	लखन लाल वल्द बैजू राम जमुनाही	0.110	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.060	नीलगीरी	प्रक्रियाधीन
20	997/25 19.02.2019	पुडू	विश्वनाथ वल्द धन्ना नवागांव	0.150	मिश्रित जलाऊ	अभिसंधान
21	985/10 23.02.2019	खैरा	उदल सिंह वल्द पावेल गौड खैरा	1.300	मिश्रित	प्रक्रियाधीन
22	12747/02 09.03.2019	पूर्व छत्तीना 2546	राजेश यादव वल्द लल्ला राम बहरीझीरीया	0.010	साजा	प्रक्रियाधीन
				0.041	साल	
23	11396/25 08.04.2019	कक्ष क्रमांक 2523 PF	लापता	0.150	साजा	अभिसंधान
		कक्ष क्रमांक 2523 PF		0.151	धावडा	
24	12736/17 07.04.19	कक्ष क्रमांक 2543, 2544 PF	लापता	0.336	साल	प्रक्रियाधीन
		कक्ष क्रमांक 2543, 2544 PF		0.391	साजा	
		कक्ष क्रमांक 2543, 2544 PF		0.177	धावडा	
25	12749/16 02.05.19	कक्ष क्रमांक 2548 PF	लापता	0.459	साल	प्रक्रियाधीन
		कक्ष क्रमांक 2548 PF		0.070	साजा	
26	12749/17 05.06.19	कक्ष क्रमांक 2549 PF	लापता	0.408	साजा	प्रक्रियाधीन
27	14663/01 18.06.19	कक्ष क्रमांक 2523 PF	लापता	0.227	साजा	प्रक्रियाधीन
		कक्ष क्रमांक 2523 PF		0.363	साल	
		कक्ष क्रमांक 2523 PF		0.000	धावडा	
28	12736/24 20.06.19	कक्ष क्रमांक 2544 PF	अंतराम वल्द विसम्भर	0.115	साल	प्रक्रियाधीन
29	14664/01 12.10.19	RMKK ROAD	अनिल कुजूर वल्द अंजोरसाय परसापानी	0.028	सागौन	प्रक्रियाधीन
30	12749/19 29.10.19	कक्ष क्रमांक 2548 PF	लापता	0.43	साल	प्रक्रियाधीन
31	12747/03 28.01.20	कक्ष क्रमांक 2547	लापता	0.123	साल	प्रक्रियाधीन
				0.714	साजा	
32	998/24 30.01.20	कक्ष क्रमांक 2528	लापता	0.496	बीजा	प्रक्रियाधीन
33	12749/22 22.02.20	कक्ष क्रमांक 2549	लापता	0.332	नीलगीरी	प्रक्रियाधीन
				0.530	साल	

क्र.	दर्ज प्रौ.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	स्थल	आरोपी का नाम एवं पता	संरक्षित प्रजाति की लकड़ी की अवैध संग्रहण में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरण में की गई कार्यवाही
				जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	
1	2	3	4	5	6	7
34	166/09 14.03.20	RANIGAON	रमेश साहम वल्द दयाल साहू रानीगाव	0.234	सागौन	प्रक्रियाधीन
35	12749/23 16.03.20	कक्ष क्रमांक 2548	लापता	0.0634	साल	प्रक्रियाधीन
36	14665/09 08.04.20	कक्ष क्रमांक 2530	लापता	0.045	साल	प्रक्रियाधीन
				0.045	साजा	
37	14665/11 16.04.20	कक्ष क्रमांक 2530	लापता	0.095	सागौन	प्रक्रियाधीन
38	11399/17 01.05.20	कक्ष क्रमांक 2538	लापता	0.124	सागौन	प्रक्रियाधीन
39	12749/24 18.05.20	कक्ष क्रमांक 2549	लापता	0.734	साल	प्रक्रियाधीन
				0.197	साजा	
40	998/25 26.08.20	सर्च वारंट बारीडीह	रेवाराम वास्ते कन्हैयाराम वल्द अभयराम यादव बारीडीह	0.648	सागौन	प्रक्रियाधीन
41	12747/05 16.08.20	सर्च वारंट बारीडीह	रेवाराम उर्फ अंजोरी वल्द अभयराम यादव बारीडीह	0.042	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.042	साल	
42	12747/04 16/08/20	सर्च वारंट बारीडीह	गणेश राम वास्ते भागवत यादव वल्द सुखराम बारीडीह	0.099	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.191	बीजा	
43	12747/06 16/08/20	सर्च वारंट बारीडीह	गंगोत्री बाई पति विनोद यादव वास्ते भगवान सिंह वल्द जेदूराम	0.075	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.073	साल	
				0.026	साजा	
				0.095	बीजा	
44	14621/21 15.08.20	सर्च वारंट रतनपुर	परमेश्वर वल्द संतराम जगत कोरबामांवर रतनपुर	0.326	मिश्रित	प्रक्रियाधीन
45	14669/03 12.09.20	कक्ष क्रमांक 2549	लापता	0.308	साल	प्रक्रियाधीन
46	14665/12 17.10.20	कक्ष क्रमांक 2531	समारिन बाई पति ईतवार सिंह साता रिगवार	0.042	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.619	साल	
				0.086	बीजा	
47	14669/05 02.12.20	कक्ष क्रमांक 2548, 2549	लापता	0.334	साल	प्रक्रियाधीन
48	996/21 06.01.21	कक्ष क्रमांक 2560	कमलेश वल्द धरमपाल साकिन करी	0.181	सागौन	प्रक्रियाधीन
49	14669/06 17.01.21	कक्ष क्रमांक 2548	लापता	0.083	साल	प्रक्रियाधीन
50	12728/11 29.11.2020	लमकेना	मनोज कुमार अनंत वल्द लोचन साकिन-लमकेना जिला बिलासपुर (छ.ग.)	0.120	सागौन	प्रक्रियाधीन

क्र.	दर्ज पी.ओ.आर प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	स्थल	आरापी का नाम एवं पता	संरक्षित प्रजाति की लकड़ी की अवैध संग्रहण में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरण में की गई कार्यवाही
				जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	
1	2	3	4	5	6	7
51	12728/12 29.11.2020	लमकेना	अर्जुन अनंत वल्द बुध्दुराम अनंत साकिन - लमकेना जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	0.183	सगौन	प्रक्रियाधीन
52	12728/15 29.11.2020	लमकेना	नरेश खाण्डे वल्द रेशमलाल खाण्डे साकिन - लमकेना जिला बिलासपुर (छ.ग.)	0.104	सगौन	प्रक्रियाधीन
53	12728/13 29.11.2020	लमकेना	महेन्द्र सोनवानी वल्द सौखीलाल साकिन - लमकेना जिला बिलासपुर (छ.ग.)	0.230	सागौन	प्रक्रियाधीन
54	12728/14 29.11.2020	लमकेना	बलराम टंडल वल्द पुनीदास टंडन साकिन - लमकेना जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	0.020	सागौन	प्रक्रियाधीन
55	4033/16 02.12.2020	अमाली	मुरित वल्द फिरतु यादव साकिन अमाली जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	0.698	सागौन	प्रक्रियाधीन
56	12728/16 03.01.2021	वाई नंबर 05 कोटा	छेदीलाल वल्द दशरथ गुप्ता सा. कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)	0.106	सागौन	अभिसंधानित
57	40333/17 15.01.21	लक्ष्मी चौक अमाली	अजय वल्द गीताराम साहू साकिन अमाली जिला बिलासपुर (छ.ग.)	0.094	सगौन	अभिसंधानित
58	14623/01 11.04.19	अपराधी के घर, ग्राम चाटापारा	अंधियार वल्द पीथम सिंह साकिन चाटापारा	0.029	सागौन	अभिसंधानित
				0.009	साल	
59	350/23 10.07.19	अपराधी के घर, ग्राम मझगवां	चंदन सिंह वल्द दुसावन साकिन मझगवां	0.750	करा	प्रक्रियाधीन
60	13162/18 20.10.19	क.क. 1069/2381 केन्दा	गणेश सिंह वल्द रतन साकिन केन्दा	0.664	साल	प्रक्रियाधीन
61	13137/08 16.11.2019	क.क. 2420 सड़कपारा बहेरामुड़ा	(1) रामप्रसाद वल्द दूजराम यादव (2) कमल सिंह वल्द शंभू सिंह साकिन बहेरामुड़ा	0.210	साल	प्रक्रियाधीन
62	7355/14 08.12.2019	अपराधी के घर, ग्राम सोनसाय नवागांव	चेतन वल्द गोविंद सिंह साकिन सोनसाय नवागांव	0.177	साल	अभिसंधानित
				0.166	बीजा	
				0.055	खम्हार	
				0.114	मिश्रित	
63	12731/12 30.04.2020	क.क. 2375 सोनपुरी	कमलेश यादव वल्द गनपत साकिन बरपाली	0.210	करा	प्रक्रियाधीन
64	14633/13 22.07.2020	अपराधी के घर ग्राम शक्तीबहरा	राजकुमार वल्द सुनाराम यादव सा. शक्तिबहरा	0.065	सागौन	प्रक्रियाधीन

22

क्र.	दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक	स्थल	आरोपी का नाम एवं पता	संरक्षित प्रजाति की लकड़ी की अवैध संग्रहण में जप्त वनोपज का विवरण		प्रकरण में की गई कार्यवाही
				जप्त वनोपज की मात्रा (घ.मी. में)	जप्त वनोपज की प्रजाति	
1	2	3	4	5	6	
65	14633/14 22.07.2020	अपराधी के घर ग्राम शक्तीबहरा	सूनाराम वल्द मनराखन यादव साकिन शक्तिबहरा	0.051	सागौन	प्रक्रियाधीन
66	14633/12 19.07.2020	अपराधी के घर ग्राम बेलगहना	रमेश वल्द शिवा पनिका साकिन बेलगहना	0.367	सागौन	प्रक्रियाधीन
67	14633/15 22.07.2020	अपराधी के घर ग्राम शक्तीबहरा	गोवर्धन वल्द फूलसिंह यादव शक्तिबहरा	0.074	सागौन	प्रक्रियाधीन
68	14633/16 22.07.2020	अपराधी के घर ग्राम शक्तीबहरा	पुसऊ निसाद वल्द तिरथ साकिन शक्तिबहरा	0.057	सागौन	प्रक्रियाधीन
69	14633/17 24.07.2020	अपराधी के घर ग्राम शक्तीबहरा	श्रवण कुमार वल्द राममगत साकिन शक्तिबहरा	0.349	सागौन	प्रक्रियाधीन
				0.516	सेन्हा	
70	14631/16 09.08.2020	ग्रा.लमरीडबरी अपराधी के घर	रामकुमार वल्द सूरज मिश्रा साकिन लमरी डबरी	0.197	सागौन	अभिसंधानित
				0.021	बीजा	
				0.001	शीशम	
71	13164/18 27.09.2020	क.क. 1203/2471 करही कछार	लापता	0.585	सागौन	प्रक्रियाधीन
	योग			26.800		

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1807) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

तेलंगाना राज्य को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 05 फरवरी, 2021 तक बेची गई बिजली की मात्रा एवं दर का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	बेची गई बिजली की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	औसत दर (रु. प्रति यूनिट)
1	2019	2191.11	5.07
2	2020	3686.7	4.50
3	2021 (देयक के अनुसार जनवरी, 2021 की स्थिति में)	93.3	5.07

प्रपत्र "ब"

तेलंगाना राज्य पर दिनांक 05 फरवरी, 2021 की स्थिति में वित्तीय वर्ष शेष राशि का विवरण

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शेष वसूली योग्य राशि (करोड में)
1	2018-19	610.06
2	2019-20	1044.71
3	2020-21 में 05 फरवरी 2021 तक	1307.53
कुल राशि		2962.3

प्रपत्र "स"

प्रदेश में दिनांक 05-02-2021 की स्थिति में उच्चदाब एवं निम्नदाब कनेक्शनों पर 10 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि वाले उद्योगों एवं उपभोक्ताओं की सूची

क्र	उद्योग / उपभोक्ता का नाम व पता	बकाया राशि दिनांक 05.02.2021 की स्थिति में (राशि रुपये लाख में)	बकाया राशि कब से
1	2	3	4
उच्चदाब उपभोक्ताओं की संख्या			
1	पुरन्दर प्रमोटर्स रायपुर	48.10	दिसम्बर 2020
2	होटल बेबीलोन केपीटल प्रा.लिमि. रायपुर	46.07	जनवरी 2021
3	होटल चिदम्बरा इन्टरनेशनल रायपुर	19.73	दिसम्बर 2020
4	गंगोत्री ट्रेकॉन प्रा.लिमि. रायपुर	31.02	जनवरी 2021
5	आरसीपी इन्फाटेक प्रा.लिमि. रायपुर	16.94	जनवरी 2021
6	पंचामृत इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लिमि. रायपुर	15.70	नवम्बर 2020
7	गुरसुख विन्ट्रेड सर्विसेस प्रा.लिमि. रायपुर	13.76	सितम्बर 2020
8	प्रार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्रा.लिमि. रायपुर	10.78	जनवरी 2021
9	भिलाई स्केन एण्ड रिसर्च लिमि. रायपुर	10.30	जनवरी 2021
10	मे. गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्रा. लि. टाटीबंध रायपुर	1318.20	दिसम्बर 2020
11	मे. सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा. लि. उत्तर रायपुर	13.68	दिसम्बर 2020
12	मे. गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्रा. लि. बोरझरा रायपुर	1287.71	दिसम्बर 2020
13	मे. महावीर मोल्डर्स इंडिया प्रा. लि. सिलतरा रायपुर	48.06	दिसम्बर 2020
14	मे. सिमरन गुप ऑफ इंडस्ट्रीस	48.53	दिसम्बर 2020
15	मे. हाई-टेक अब्रेसिव लिमिटेड उरला रायपुर	148.91	दिसम्बर 2020
16	मेसर्स यूनिवर्थ लि. सिल्क डिविजन उरला रायपुर	169.13	दिसम्बर 2020
17	मे. सार्थक इस्पात प्रा. लिमिटेड उरला रायपुर	24.99	दिसम्बर 2020
18	मे. आसान स्टील्स प्रा. लि. उरला रायपुर	201.34	दिसम्बर 2020
19	मे. सौरभ रोलिंग मिल प्रा. लि. उरला रायपुर	230.05	दिसम्बर 2020
20	मे. सौरभ रोलिंग मिल प्रा. लि. उरला रायपुर	556.22	दिसम्बर 2020
21	मे. एस्कवायर फूड एण्ड बेवरेजेस प्रा. लि. उरला रायपुर	20.59	दिसम्बर 2020
22	मे. कसारे वन्या सिल्क मिल प्रा. लि. उरला रायपुर	28.50	दिसम्बर 2020
23	मे. शिवम वायर उरला रायपुर	10.49	दिसम्बर 2020
24	मे. किशन मूर्ति वायर्स उरला रायपुर	10.37	दिसम्बर 2020
25	में0 बजरंग पावर एंड इस्पात लि0 टी0एम0टी0 डिविजन, उरला रायपुर	133.37	अगस्त 2013
26	में0 श्री नाकोडा इस्पात, सिलतरा रायपुर	60.35	नवम्बर 2014
27	में0 वंदना ग्लोबल लि0, सिलतरा रायपुर	4127.47	नवम्बर 2013
28	में0 भगवती पावर एंड स्टील लि0, सिलतरा रायपुर	76.05	नवम्बर 2013
29	में0 जी0आर0 स्पंज एंड पावर लि0, सिलतरा रायपुर	32.30	दिसम्बर 2013
30	में0 ए0पी0आई0 इस्पात लि0, सिलतरा रायपुर	293.62	नवम्बर 2013
31	में0 रश्मि स्पंज एंड पावर इंडस्ट्रीज लि0, सिलतरा रायपुर	158.41	नवम्बर 2013
32	में0 गोदावरी पावर एंड इस्पात लि0, सिलतरा रायपुर	594.89	नवम्बर 2013
33	में0 एस0के0एस0 इस्पात, सिलतरा रायपुर	770.02	नवम्बर 2013
34	में0 श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि0, बोरझरा रायपुर	1785.49	जुलाई 2013

35	मेसर्स एलॉयड स्टील लिमिटेड रायपुर	85.32	मई 1992
36	मे. श्यामा रामा स्ट्रक्चर एण्ड पॉवर, टाटीबंध रायपुर	138.76	मई 2010
37	मे. मानव मेटाकास्ट प्रा. लि. तेन्दुआ रायपुर	24.73	अगस्त 2016
38	मे. प्रेम पॉलीकेम इंडस्ट्रीस सोनडोंगरी उरला रायपुर	10.07	अगस्त 2017
39	मे. राधे स्ट्रिप्स प्रा. लि. उरला रायपुर	10.46	जुलाई 2016
40	मे० विन्धवासिनी इंड०, उरला रायपुर	11.91	सितम्बर 2014
41	मे. महाकौशल रि-रोलिंग, उरला रायपुर	12.65	जून 1975
42	मे. हिन्दुस्तान स्टील रोलिंग मिल, उरला रायपुर	22.99	दिसम्बर 2000
43	मे. हनुमान माइनर, उरला रायपुर	28.87	अप्रैल 2004
44	मे. सिंघानिया स्टील लिमि., उरला रायपुर	32.28	1996
45	मे. रायपुर स्टील मोल्डिंग, उरला रायपुर	32.64	1992
46	मे. इनाबा स्टील, उरला रायपुर	55.70	फरवरी 2003
47	मे० निकिता कास्टिंग उरला रायपुर	177.50	1996
48	मे. अन्नपूर्णा मलेबल, उरला रायपुर	698.04	जनवरी 2005
49	मे० स्टेडर्ड इस्पात, भनपुरी रायपुर	152.52	1998
50	मे. हाई-टेक पॉलीमर्स उरला रायपुर	11.11	दिसम्बर 2019
51	मे. जगदम्बा पावर एण्ड एलॉयर लिमि. सिलतरा रायपुर	25.34	सितम्बर 2018
52	मे. सूपर ग्लोबल लिमि., सलतरा रायपुर	106.22	मार्च 2014
53	मे. राजिन्दर स्टील, सलतरा रायपुर	1373.69	नवंबर 1997
54	मेसर्स भिलाई सीमेंट को. प्रा. लिमि. भिलाई	10.90	फरवरी 2020
55	मेसर्स सी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल दुर्ग	20.62	जुलाई 2020
56	मेसर्स राजेन्द्र सिंह दुर्ग	11.45	जुलाई 2020
57	मंजीत सिंह खनुजा स्टोन क्रशर दुर्ग	11.02	जुलाई 2020
58	ए.बी.बी.एस. स्टोन एवं क्रशर दुर्ग	43.13	मार्च 2020
59	मेसर्स शिवा चावल उद्योग दुर्ग	31.74	अगस्त 2020
60	मेसर्स नव दुर्गा पप्प एवं पेपर मिल दुर्ग	44.71	वर्तमान एरियर्स
61	यूनिवर्सल हेचरिज प्रा. लिमि. दुर्ग	34.83	जुलाई 20
62	नोवेल हेचरिज प्रा. लिमि. दुर्ग	28.51	मार्च 2020
63	सुदेश पोल्ट्री फार्म दुर्ग	19.65	मार्च 2020
64	सिम्पलेक्स कॉस्टींग्स दुर्ग	12.31	दिसम्बर 2020
65	पॉवर पेक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि दुर्ग	14.35	सितम्बर 2020
66	महेश्वरी स्टील्स दुर्ग	105.08	वर्तमान एरियर्स
67	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील कास्टिंग,भिलाई	19.80	दिसम्बर 2008
68	मेसर्स कनकई स्टील प्रा०लि० भिलाई	128.56	जुलाई 2009
69	मेसर्स लोटे इण्डस्ट्रीज, भिलाई	18.07	जनवरी 2008
70	मेसर्स सेव स्टील्स प्रा.लि.,भिलाई	19.39	दिसम्बर 2013
71	मेसर्स सेव स्टील्स प्रा.लि. भिलाई	10.12	दिसम्बर 2013
72	मेसर्स श्री मेटकास्ट प्रा.लि., भिलाई	47.30	अप्रैल 2017
73	मे. क्रैस्ट स्टील एण्ड पॉवर प्रा.लि., जोरातराई राजनांदगांव	77.84	नवम्बर 2017
74	मे. रॉग स्टील, टेडेसरा राजनांदगांव	76.99	मार्च 2005
75	मे० शांति पुष्प एसोसिएट्स, बिलासपुर	11.63	नवम्बर 2020
76	मे० विलसन रुफिंग प्रा० लिमि. बिलासपुर	45.20	नवम्बर 2020
77	मे० अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्रा० लिमि. बिलासपुर	22.17	नवम्बर 2020

78	मे० एम.पी. एलाय कास्टिंग बिलासपुर	28.48	मई 1986
79	मे० बिलासपुर स्पीनिंग मिल बिलासपुर	69.93	दिसंबर 1991
80	मे० बिलासपुर कास्टिंग बिलासपुर	120.77	सितंबर 1995
81	मे० भास्कर इस्पात प्रा० लिमि० बिलासपुर	19.98	मार्च 2004
82	मे० सूर्या एलाय इंडस्ट्रीज बिलासपुर	73.64	अप्रैल 2004
83	मे० रायपुर फोरजीन एण्ड कास्टिंग प्रा० लिमि० बिलासपुर	20.18	सितंबर 2013
84	मे० ओम कृष्णा बजरंग एलाय बिलासपुर	77.30	नवंबर 2013
85	मेसर्स भाटिया कोल ट्रेडिंग, लोखण्डी, जिला बिलासपुर	13.63	फरवरी-2020
86	मेसर्स श्रीकला स्पनिंग मिल एल.एल.पी, धमनी, मुंगेली	95.48	मार्च-2020
87	मेसर्स श्री साई स्टोन क्रेशर, कोसमडीह, मस्तूरी, बिलासपुर	12.36	अक्टूबर-2020
88	मेसर्स लैंको अमरकंटक, कोरबा	343.47	जुलाई 2018
89	मेसर्स ए.सी०बी. इंडिया लिमिटेड, कोरबा	47.44	दिसम्बर 2020
90	मेसर्स एस.व्ही. पावर लिमिटेड, कोरबा	59.04	दिसम्बर 2020
91	मेसर्स श्री कृष्णा बिल्डिंकॉन, कोरबा	27.33	दिसम्बर 2020
92	मेसर्स बाल्को स्मेल्टर प्लांट, कोरबा	108.43	1990 से पूर्व
93	मेसर्स वंदना इनर्जी एण्ड स्टील प्रा. लि., कोरबा	16.99	मार्च.-2013
94	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स, सराईपाली रायगढ़	306.24	दिसम्बर 2015
95	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमि०, ग्राम नहरपाली रायगढ़	6440.20	जून 2019
96	मेसर्स अंजनी स्टील लिमिटेड, उजलपुर रायगढ़	203.39	जुलाई 2020
97	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पावर लिमि०, ग्राम गेरवानी रायगढ़	1470.73	अगस्त 2013
98	मे० रायगढ़ जूट एंड टेक्सटाइल मिल, रायगढ़	104.23	फरवरी 2006
99	मे० स्टेण्डर्ड कोम, ग्राम बरमुड़ा रायगढ़	3968.69	जुलाई 2005
100	मे० पशुपतिनाथ रोलिंग मिल, सरायपाली रायगढ़	10.69	दिसम्बर 2008
101	मे० राधारानी मिनरल्स, ग्राम झाराडीह रायगढ़	29.00	नवम्बर 2009
102	मे० गणेश फेरो एलाय, ग्राम जोरापाली रायगढ़	56.04	नवम्बर 2010
103	मे० वैष्णव सीमेंट, दरामुड़ा रायगढ़	12.64	नवम्बर 2010
104	मे० वीजा पावर लिमि०, ग्राम डूमरपाली रायगढ़	22.37	मार्च 2018
105	मे० अम्बिका इस्पात इ० प्रा० लि० रायगढ़	27.33	जनवरी 2019
106	मेसर्स मध्यभारत पेपर लिमि., जांजगीर	60.41	फरवरी 2020
107	मेसर्स साई लीलागर पावर लिमि., जांजगीर	15.33	सितम्बर 2018
108	मेसर्स सी.सी.आई अकलतरा जांजगीर	1152.21	दिसम्बर 1998
109	मेसर्स एस.ई.डब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर जांजगीर	18.62	जुलाई 2016
110	मेसर्स राजेश शुक्ला, बैकुण्ठपुर	12.18	नवंबर 2020
111	मे. कल्याण स्टोन कशिंग, यूनिट-2 मंदिर हसौद रायपुर	10.73	नवम्बर 2020
112	मे. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि., यूनिट-3 मंदिर हसौद रायपुर	5657.34	अगस्त 2014
113	मे. श्री ओम राईस टेक प्रा. लि. खरोरा, रायपुर	23.72	जनवरी 2021
114	मे अस्टधातू फेरो मेटल प्रा.लि. तारासिव रायपुर	107.76	नवम्बर 2020
115	मे. कान्हा ग्रेन प्रासेस कोहका नेवरा, रायपुर	25.86	अक्टूबर 2020
116	मे श्री साईबाबा राईस मील प्रा.लि. तुलसी नेवरा, रायपुर	18.82	नवम्बर 2020
117	मे. जे.डी. इंडस्ट्रीज तिल्दा, रायपुर	10.68	दिसम्बर 2020
118	मे. सुपर पॉलिमर प्रा.लि. दौंदेकला, रायपुर	10.26	जनवरी 2021
119	मे इण्डोलहरी पावर प्लांट बिल्लारी, रायपुर	117.56	अगस्त 2015
120	मेसर्स नुवोको विस्तास कार्पोरेशन लिमिटेड बलौदाबाजार	3028.52	जनवरी 2021
121	मे. एन.एल. राईस इंडस्ट्रीज पिटियाझर रोड, महासमुन्द	32.34	सितम्बर 2020
122	मे. गुरुतेग बहादुर राईस मिल ग्राम सिरगिडी, झालखम्हरिया	22.03	जनवरी 2021

123	श्री साई पेड्डी देवलभाठा सरायपाली	10.78	अगस्त 2020
124	मे. संजय ट्रेडर्स भीमखोज खल्लारी महासमुन्द	14.82	नवम्बर 2020
125	मे. कृष्णा राईस मिल, कोहाकुडा बागबाहरा रोड पिथौरा	20.64	नवम्बर 2020
126	मे. दातार राईस मिल गरियाबंद	15.59	जनवरी 2021
127	मेसर्स जिन्दल इलेक्ट्रीसिटी जनरेशन मौलीमुड़ा, महासमुन्द	29.74	जुलाई 2010
128	मेसर्स महामाया एग्रोटेक साराडीह, महासमुन्द	37.02	जनवरी 2009
योग		40,476.26	
निम्नदाब उपभोक्ताओं की संख्या			
129	द प्रेसिडेन्ट आई.ए.एस. एसोसिएसन रायपुर	40.99	जनवरी 2011
130	बिल्डिंग कंट्रोल सॉल्युशन प्रा. लिमि. रायपुर	13.59	नवम्बर 2019
131	मेसर्स श्री राम वायर्स गोंदवारा रायपुर	13.88	अक्टूबर 2017
132	महत्वकांक्षी बिल्डर्स दुर्ग	24.80	जुलाई 2020
133	मे. देव इण्डस्ट्रीज दुर्ग	22.78	जुलाई 2020
134	आईडल इंडस्ट्रीयल एक्सप्लोसिव लिमि., कोरबा	45.96	अक्टूबर 2020
135	मे0 बृज कृष्णा उद्योग प्रो0 राजीवभूषण पान्डे रायगढ़	21.24	अगस्त 2020
136	मे. अंश बिल्डर्स ठाकुरपुर, अम्बिकापुर	10.01	फरवरी 2019
137	मे0 श्रीकांत दुबे, भिलाईनगर बरियों राजपुर बलरामपुर	18.62	मार्च 2019
138	वास्कान इंजीनियरिंग लिमि0 अटल नगर, रायपुर	10.73	जुलाई 2020
139	श्री समीम डाला पिता श्री नजाक अली रायपुर	17.17	नवम्बर 2017
140	मधुर साहू कोरबा	15.63	सितंबर 2020
141	श्री नरेश कोहली घोड़ारी, महासमुन्द	10.48	सितंबर 2005
योग		265.88	
महायोग		40,742.14	

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1812) के भाग (ख) की जानकारी]

Schedule I – Payment Schedule

1.49 Payment Schedule

Payments shall be released only on satisfactory acceptance of the deliverables for each activity/task as per the following schedule:

Payment Milestones	Proposed Payment Schedule (Material)	Proposed Payment Schedule (Services)	Proposed Payment Schedule (S-NOC)
Mobilization Payment	9% of the total CAPEX value	9% of the total CAPEX value	NA
Commissioning of S-NOC		NA	80% on the BOM of S-NOC (Cost included in material and services)
Submission of network topology and design document	0.25% per cluster	0.25% per cluster	NA
Supply of 100% of material in a block i.e. Duct, OFC, electronics, Radio equipment and related accessories on Project Store for next two months as required in Block	50% of total material cost	NA	NA
End to End completion of 20 GPs (locations) or 25% GPs (locations) in a block, whichever is earlier and integration of these GPs with S-NOC	NA	20% of Service cost for that block will be released	NA
End to End completion of 40 GPs (locations) or 50% GPs (locations) in a block, whichever is earlier and integration of these GPs with S-NOC	15% of Delivered material value	20% of Service cost for that block will be released	NA
End to End completion of 60 GPs (locations) or 75% GPs (locations) in a block, whichever is earlier and integration of these GPs with S-NOC	NA	20% of Service cost for that block will be released	NA
End to End completion of 100% GPs (locations) in a block and integration of these GPs with S-NOC	15% of Delivered material value	20% of Service cost for that block will be released	NA
Project Go-Live (i.e. 100% GPs (locations) in the State)	10 % of the total	10 % of the total	20% on the BOM of S-NOC

Payment Milestones	Proposed Payment Schedule (Materials)	Proposed Payment Schedule (Services)	Proposed Payment Schedule (S-NOC)
Payment shall be made after adjustment of the Mobilization Advance given to the MSI.	CAPEX	CAPEX	

- Note 1: All payments shall be released after certification of Delivery and Implementation Milestones by CHIPS or its appointed agency
- Note 2: All Payments shall be made in Indian Rupees Only and shall be subject to provisions of Clause 1.36 and Schedule I - Section 2.1 of MSA.
- Note 3: Payment shall be released by the purchaser against the invoices raised by MSI within 30 calendar days on providing all the relevant documents, timely and complete in all aspects.
- Note 4:
 - All payments shall be made through RTGS only.
 - Payments should be subject to deductions of any amount including liquidated damages and penalty for which the MSI is liable under the MSA conditions. Further, all payments shall be made subject to deduction of TDS (Tax deduction at Source) as per the current Income-Tax Act.

1.50 Implementation Plan, Deliverables and Penalties

The key milestone dates ("critical dates")* as anticipated by the Purchaser are

S. No.	Deliverable	Timeline for completion	Penalties	Incentives	Remarks
1.	Issuance of Award of Contract and work order	T0	N.A.	-	On selection of the MSI , Award of Contract and Work Order is issued
2.	S-NOC Set up and commissioning	T+90 Days	5% of the S-NOC cost for per week of delay	-	
3.	End to End completion and integration of 10% of total GPs with S-NOC	T+100 Days	If the MSI fails to complete 10% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report

क्र. सं.	कार्यक्रम/कार्य	पंक्ति/दिनांक	शर्त/विवरण	प्रतिफल/विवरण	समाप्ति/विवरण
				the MSI (excluding O&M cost)	
4.	End to End completion and integration of 20% of total GPs with S-NOC	T+130 Days	If the MSI fails to complete 20% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
5.	End to End completion and integration of 30% of total GPs with S-NOC	T+160 Days	If the MSI fails to complete 30% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning of the network and Testing Report approved by State, OTDR link test reports, power-on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
6.	End to End completion and integration of 40% of total GPs with S-NOC	T+190 Days	If the MSI fails to complete 40% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress

S. No.	प्रतिबन्धनांक	समयसीमा (दिनांक)	शर्तसमूह	निष्कर्ष	टिप्पणी
				O&M cost)	Report
7.	End to End completion and integration of 50% of total GPs with S-NOC	T+220 Days	If the MSI fails to complete 50% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
8.	End to End completion and integration of 60% of total GPs with S-NOC	T+250 Days	If the MSI fails to complete 60% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
9.	End to End completion and integration of 70% of total GPs with S-NOC	T+280 Days	If the MSI fails to complete 70% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation , Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by

S. No.	प्रतिबन्धित कार्य	समाप्तिकाल	दण्ड	प्रोत्साहन	टिप्पणी
			cost)	completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
10	End to End completion and integration of 80% of total GPs with S-NOC	T+310 Days	If the MSI fails to complete 80% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation, Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
11	End to End completion and integration of 90% of total GPs with S-NOC	T+340 Days	If the MSI fails to complete 90% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M cost)	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation, Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD report), Monthly Progress Report
12	End to End completion and integration of 100% of total GPs with S-NOC	T+360 Days	If the MSI fails to complete 100% of total GPs within stipulated time schedule then a penalty of 10% of total cost of incomplete GPs shall be deducted (excluding O&M	If the MSI completes additional no. of GPs as given in milestone within the stipulated time schedule then an incentive of 3% of total cost of additional completed GPs	Copy of duly signed and stamped Delivery Challan, Installation, Commissioning of the network and testing report approved by State, OTDR link test reports, power on, post, FAT report approved and certificate issued along with configuration reports by State, As-Build Diagram (ABD

S. No.	Deliverable	Timeline for completion	Penalties	Incentives	Remarks
			cost)	shall be given to the MSI (excluding O&M cost)	report), Monthly Progress Report

MSI shall start end to end connectivity of GPs in those blocks for which the site survey has been conducted and approved by CHIPS.

परिशिष्ट "ईकचालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1837) के भाग (ख) की जानकारी]

अनु. क्र.	जिले का नाम	कैम्पा निधि से स्वीकृत कार्य की संख्या	
		2019-20	2020-21
1	2	3	4
1	धमतरी	135	75
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	231	186
3	रायपुर	53	62
4	महासमुन्द	155	153
5	गरियाबंद	219	158
6	बिलासपुर	90	70
7	गौरेला-पेन्द्रा (मरवाही)	229	87
8	कोरबा	317	308
9	रायगढ़	223	275
10	जांजगीर-चांपा	50	38
11	मुंगेली	45	53
12	दुर्ग	10	22
13	बेमेतरा	1	1
14	बालोद	173	168
15	राजनांदगांव	177	237
16	कबीरधाम	152	242
17	सरगुजा	67	162
18	सूरजपुर	67	241
19	बलरामपुर	21	37
20	कोरिया	209	255
21	जशपुर	14	120
22	बस्तर	312	315
23	दंतेवाड़ा	92	160
24	सुकमा	149	191
25	बीजापुर	462	406
26	कांकेर	456	678
27	कोण्डागांव	368	733
28	नारायणपुर	134	159
योग		4611	5592

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1842) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

(राशि रु. लाख में)

जिला का नाम	वर्ष	योजना का नाम	स्थापित उद्योग की संख्या	स्वीकृत परियोजना राशि	स्वीकृत अनुदान राशि	वितरित अनुदान राशि	वितरण हेतु शेष अनुदान राशि
बस्तर	2019-20	PMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		CMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	2020-21	PMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		CMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नारायणपुर	2019-20	PMEGP	02	7.00	2.45	1.05	1.40
		CMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	2020-21	PMEGP	06	22.00	4.70	निरंक	4.70
		CMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कोण्डागांव	2019-20	PMEGP	03	15.00	4.25	4.25	निरंक
		CMEGP	02	2.00	0.70	0.35	0.35
	2020-21	PMEGP	02	8.00	2.80	1.75	1.05
		CMEGP	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुलयोग			15	54.00	14.90	7.40	7.50